

विषय-सूची

1.	दिल्ली शहर	3
2.	वर्ष की उपलब्धियाँ	5
3.	प्राधिकरण का प्रबन्ध-तंत्र	8
4.	कार्मिक विभाग	11
6.	विधि विभाग	14
7.	प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग	18
8.	इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्यकलाप	20
9.	योजना एवं वास्तुकला	34
10.	आवास	46
11.	भूमि प्रबन्ध एवं निपटान विभाग	50
12.	खेल-कूद	56
13.	उद्यान-राजधानी को हरा-भरा बनाना	63
14.	कोटि नियंत्रण कक्ष	64
15.	वित्त एवं लेखा	65



इण्डिया गेट

दिल्ली की नींव युगों-युगों से योजना और भवन - निर्माण के इतिहास की एक अमिट और अटल छाप है। समय व्यतीत होने के साथ-साथ प्राचीन एवं आधुनिक विचारधारा के वास्तुकारों ने स्मारकों की भव्यता के सुन्दर प्रतीकों पर अपनी कल्पना और बुद्धि की ऐसी छाप छोड़ी है, जो बीते हुए कल और आने वाले कल का एक अनूठा संगम एवं सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है।

अब हम दिल्ली के भविष्य को स्थाई स्वरूप प्रदान करने के लिए इसके पुराने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। पहले दिल्ली 'इन्द्रप्रस्थ' के नाम से मशहूर थी। इस शहर को पांडवों ने 900 ईसा पूर्व यमुना नदी के किनारे बसाया था।



कुतुब मीनार

11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा अनंगपाल ने कुतुबमीनार के समीप लाल कोट को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। सन् 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1320-1412 के दौरान ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। इसके बाद मुहम्मद तुगलक ने कुतुबमीनार के निकट जहांपनाह शहर बसाया। इसके बाद फिरोजशाह तुगलक ने सिंहासन संभाला और 1351-1388 के बीच में वर्तमान फीरोजशाह कोटला के निकट स्थित फीरोजाबाद शहर पर राज किया। 1538-1545 के बीच शेरशाह सूरी द्वारा पुराना किला बनवाया गया और हुमायूं द्वारा दीनपनाह का निर्माण किया गया, जो इस समय शाहजहानाबाद अथवा पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। वह दिल्ली के सातवें शहर के रूप में शाहजहाँ द्वारा 1638-1649 के बीच बसायी गई थी। इस शानदार युग की अभिव्यक्ति विश्व विख्यात लाल किले और जामा मस्जिद के रूप में जाहिर है। इसके अतिरिक्त फूलों वाले उद्यान, जैसे-रोशनाराबाग, शालीमार बाग और कुदसिया बाग भी लगवाए गए थे।

दिल्ली का आठवां शहर, जिसे अब नई दिल्ली कहा जाता है, 1911 में साम्राज्यवादी भारत की राजधानी बनी। दो अंग्रेज वास्तुकार सर एडविन लुटियन्स और सर हरबर्ट बेकर ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, और सचिवालय पर अपनी छाप छोड़ी तथा भव्य इंडिया गेट व कनाट प्लेस का निर्माण करवाया।

सन् 1700 के आस-पास का दौर मिली जुली उपलब्धियों का दौर रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी दूतावास की स्थापना (1714) महाराजा जय सिंह द्वारा जन्तर-मन्तर का निर्माण (1739) और फारस के बेरहम बादशाह, नादिर शाह द्वारा दिल्ली की कुख्यात लूटपाट महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं।

ब्रिटिश काल किंग जॉर्ज-V की उद्घोषणा (दिल्ली दरबार



में, 1911) और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण (1930) के साथ आरम्भ हुआ। इस प्रकार एडविन लुटियन्स और हरबर्ट बेकर के सपनों का एक विशेष शहर नई दिल्ली अस्तित्व में आया।

आज दिल्ली, पुरानी दुनियां और नई दुनियां (प्राचीन एवं आधुनिक) दोनों युगों का एक अनूठा दर्पण है। एक वास्तविक महानगर, जो अद्भुत योजना, द्रुत कार्यान्वयन और अभूतपूर्व विकास एवं वृद्धि की सार्वभौमिक मांग को पूरा करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को भारत में प्रथम शहरी विकास प्राधिकरण का श्रेय प्राप्त है। इसका परिप्रेक्ष्य मिशन 2001 तक के लिए दिल्ली की प्रथम मुख्य योजना-1962 और



संसद भवन

1982 पर केन्द्रित था। यह पहल एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इसकी समीक्षा की जा रही है।



जन्तर मन्तर

दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का घोषणापत्र निम्नलिखित है:

“प्राधिकरण के उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली के विकास का उन्नयन करना और उसको सुनिश्चित करना होंगे तथा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और व्यय करने, निर्माण इंजीनियरिंग, खनन और अन्य सक्रियाएं करने, जल और विद्युत के प्रदाय, मल-व्ययन और अन्य सेवाओं और सुख-सुविधाओं के संबंध में कार्य निष्पादित करने और साधारणतः ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिए तथा उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई भी बात करने की शक्ति होगी”।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दि.वि.प्रा. प्रत्येक दिल्ली वासी के जीवन स्तर को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है।



अ.रा. बस अड्डे पर मेट्रो रेल लाइन का एक दृश्य

उपलब्धियाँ (2003-04)

संदर्भाधीन वर्ष में सूचना का प्रभावी प्रसार, भूमि के निपटान में वृद्धि, लम्बित मामलों का तेजी से निपटान करने और प्रक्रियात्मक मामलों में काफी वृद्धि दिखाई देती है। अर्जित लाभ इस बात का साक्ष्य है कि सभी प्रकार के कार्यों में पर्याप्त पारदर्शिता दिखाई पड़ती है। ऐसा कर पाने में सार्वजनिक स्वचलन प्रणाली की सुविधा, वेबसाइट और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में शुरू की गयी और लगायी गयी स्क्रीन को स्पर्श करके जानकारी प्राप्त करने की मशीनों से सहायता प्राप्त हुई है। आवासीय, व्यावसायिक एवं मनोरंजनात्मक भूमि के विकास कार्य में हुई वृद्धि, विभिन्न विकास परियोजनाओं फ्लाई ओवरों, खेल संबंधी आधारिक संरचना और महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों के तीव्र समापन के क्षेत्र में भी पूरे प्रयास किये गये हैं। कुछ प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं हरित क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का कार्य भी किया गया। दिल्ली के विरासत क्षेत्रों एवं ऐतिहासिक स्मारकों का भूदृश्यांकन एवं सौन्दर्यीकरण करके उन्हें निखारा गया।

आवास

(I) निर्माण: विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की बकाया संख्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने निर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों को तेज किया। दिनांक 01.04.2004 को लगभग 23,016 आवासों का कार्य चल रहा था। इनमें रोहिणी, नरेला, द्वारका, वसंत कुंज और बक्करवाला, पीतमपुरा, दिलशाद गार्डन आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च आय वर्ग के 4695, मध्यम आय वर्ग के 2861, निम्न आय वर्ग के 14980 और जनता श्रेणी के 480 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया।



द्वारका में दि.वि.प्रा. फ्लैट

(II) आबंटन: वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 12516 आबंटन किये गये। 20476 पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बकाया संख्या के वर्ष 2005 तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

4 नयी आवासीय योजनाएं आरम्भ की गईं। इनमें (क) जून, 2003 में शुरू की गई रोहिणी उच्च आय वर्ग आवासीय योजना 2003 (ख) जून, 2003 में शुरू की गई जसोला जनता आवास योजना-2003 (ग) दिसम्बर, 2003 में शुरू की गई उच्च आय वर्ग द्वारका योजना (ध) दिसम्बर, 2003 में शुरू की गई जसोला जनता योजना शामिल हैं।

2. आवासीय प्लॉटों का आबंटन

(i) रोहिणी आवासीय योजना-1981: वर्ष 2003-04 में इस योजना के अन्तर्गत 6831 प्लॉटों का आबंटन किया गया। 31425 व्यक्ति आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ii) वैकल्पिक आवासीय प्लॉट: वैकल्पिक आवासीय प्लॉट उन व्यक्तियों को आबंटित किये जाते हैं, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जाती है। यह आबंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर बनाई गई प्रार्थमिकता के अनुसार किया जाता है। वर्ष के आरम्भ में रोहिणी, द्वारका और नरेला में वैकल्पिक प्लॉटों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे 810 सिफारिशी व्यक्तियों में से मई 2003 में 578 को वैकल्पिक प्लॉट आबंटित किए गए। पात्र सिफारिशी व्यक्ति को आबंटित प्लॉट का आकार अधिग्रहीत की गई भूमि की माप पर आधारित होता है।

3. व्यावसायिक भूमि

(i) वर्ष 2003-04 के दौरान व्यावसायिक सम्पत्तियों के निपटान में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 के दौरान 36 करोड़ रुपये की वसूली सहित कुल 510 दुकानों का निपटान किया गया।

(ii) व्यावसायिक प्लॉटों के निपटान में भी भारी वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान 98 व्यावसायिक प्लॉटों का निपटान किया गया और इसके लिए 2073 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई।

(iii) व्यावसायिक भूमि एवं सम्पदा की बिक्री से राजस्व में वृद्धि हुई, जो वर्ष 2002-03 में 462 करोड़ रुपये की तुलना में 2003-04 के दौरान 2109 करोड़ रुपये के रूप में है।



(iv) नीतियों एवं कार्यक्रमों को भी नई दिशा प्रदान की गई और पेट्रोल पम्प स्थलों के निपटान के लिए अधिक पारदर्शी एवं बाजार की दृष्टि से सौहार्दपूर्ण एक नीति तैयार की गई। पेट्रोल पम्प स्थल अब आंबटन के स्थान पर निविदा और नीलामी के माध्यम से दिये जाएंगे। अस्पताल स्थलों के निपटान का तरीका भी नीलामी के रूप में बदल दिया गया है।

4. खेलकूद

अभी तक दिल्ली के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 13 खेल परिसर विकसित किये जा चुके हैं और जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। तरणताल, व्यायामशाला आदि जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए चुने हुए खेल मैदानों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मिनी खेल परिसर भी विकसित किये जा रहे हैं। एक ऐसा ही मिनी खेल परिसर दक्षिणी दिल्ली में मुनीरका में स्थित है, जिसका नाम बाबा गंगानाथ खेल परिसर है। ऐसे ही दो अन्य खेल परिसर पश्चिमी दिल्ली में प्रताप नगर में और पूर्वी दिल्ली में काँति नगर में विकसित किये जाएंगे।

इन खेल परिसरों के अलावा, 23 बहुव्यायामशालाएं और 26 खेल मैदान भी विकसित किये गये। लाडो सराय में 18 होल वाला गोल्फ कोर्स भी विकसित किया गया और भलस्वा में विकसित किये जा रहे दूसरे कोर्स में 3 होल तथा एक ड्राइविंग रेंज भी विकसित की गई।

5. सरकार एवं आम जनता के संबंधों में सुधार

1. सूचना केन्द्र

सूचना के समुचित प्रसार और दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विकास सदन और विकास मीनार में सूचना केन्द्र बनाए गये हैं। बाद में ऐसे केन्द्रों की व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी स्थल कार्यालयों पर की जाएगी। ये केन्द्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध जानकारी, जैसे-आंबटन की स्थिति, भुगतान की स्थिति, योजनाओं आदि की जानकारी के प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे। आठ केन्द्र बनाए जा चुके हैं जिनमें से छह विकास सदन स्थित डी ब्लाक के स्वागत कक्ष में और दो विकास मीनार में स्थित हैं। इन केन्द्रों की सहायता से आम व्यक्ति विभिन्न योजनाओं आदि की जानकारी सहित भूमि और आवास के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सर्वरों में उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के विभिन्न प्रोफार्म, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आंबटन, परिणामों आदि से संबंधित स्थिति की जानकारी अब आम जनता को आसानी से मिल जाती है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट

एक नई द्विभाषी वेबसाइट डीडीए दिल्ली डॉट कॉम विकसित की गई, जिसका उद्घाटन श्री पी शंकर, मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा दिनांक 06.11.2003 को किया गया। इस वेबसाइट पर आर्बाटिती और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी कार्यों की उपयोगी जानकारी उपलब्ध है।

इस वेबसाइट पर विभिन्न कार्यों के लिए आर्बाटितीयों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों के प्रोफार्म भी उपलब्ध हैं।

6. नये दिशा-निदेश/पहल

1. फ्लाई ओवरों का निर्माण

वर्ष 2003-04 के दौरान 4 फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 7 फ्लाई ओवरों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जो पूरा किया जा चुका है और उन्हें यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है। शेष एक फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और इसके वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य फ्लाईओवरों की योजना बनाई गई और कार्य शुरू किया गया। इनमें से दो का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और निम्नलिखित का निर्माण कार्य चल रहा है:-

- i) पंखा रोड़ स्थित दिल्ली रेवाड़ी लाइन लेवल क्रॉसिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज।
- ii) जी.टी. रोड़ मार्ग संख्या 66 के चौराहे पर फ्लाई ओवर।
- iii) गाजीपुर भाड़ा परिसर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बाईपास।
- iv) जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग - लाला लाजपत राय मार्ग।
- v) छावनी क्षेत्र से होकर द्वारका के साथ दक्षिणी दिल्ली को जोड़ने वाला पहुँच मार्ग।
- vi) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की दक्षिणी चारदीवारी के साथ-साथ द्वारका के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जोड़ने वाला लिंक रोड़।

vii) पालम नाले को ढकना।

2. शहरी विरासत संरक्षण

सात नगरों की भूमि दिल्ली में 1700 से अधिक सूचीबद्ध स्मारक हैं, जिनमें से भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा केवल दो सौ स्मारकों का रख-रखाव किया जाता है। इन स्मारकों को देखने के लिए विश्वभर के पर्यटक आते हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक विशेषता को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए दिल्ली मुख्य योजना परिप्रेक्ष्य-2021 में विरासत क्षेत्रों और ऐतिहासिक स्मारकों एवं प्राचीन नगरों वाले विशेष महत्त्व वाले क्षेत्रों के संरक्षण और सुधार की सिफारिश की गई है।

- i) मुरादाबाद पहाड़ी और तुगलकाबाद किला क्षेत्र।
- ii) कोटला स्थित छोटे खान बड़े खान।
- iii) सुलतान गद्दी मकबरे का विकास।
- iv) पुराना किला स्थित क्षेत्रों का सुधार।
- v) लाडो सराय गाँव स्थित गुम्बद पार्क।
- vi) किला राय पिथौरा दीवार।
- vii) वाससराय निवास, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- viii) रोशनारा रोड़ स्थित सत्य नारायण मंदिर।
- ix) अशोका रॉक एडिक्ट कैलाश।
- x) एंगलो अरेबिक स्कूल अजमेरी गेट।

इसके अतिरिक्त, शहरी विरासत फाउन्डेशन के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाएँ भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरासत संरक्षण कार्यक्रम का भाग होंगी।



3. उद्यान विकास

i) दिल्ली विकास प्राधिकरण हरित क्षेत्रों के विकास पर जोर देता है, जो शहर के वायुप्रद स्थल माने जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण संभवतः देश के किसी अन्य शहर की तुलना में हरित क्षेत्रों की सबसे अच्छी व्यवस्था करने का दावा कर सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 4587 हैक्टेयर हरित क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें नगर वन, वन भूमि, हरित पट्टियाँ, जिला पार्क, क्षेत्रीय पार्क, निकटवर्ती पार्क तथा आवासीय क्षेत्रों में लघु भूखंड शामिल हैं।

ii) “आस्था कुंज” नामक एक पार्क, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधान मंत्री ने रखी थी, का नेहरू प्लेस के निकट 200 एकड़ भूमि पर विकास करने की योजना है। इस पार्क के सम्पूर्ण विकास के लिए एक प्रतियोगिता चलाई गई थी। जिसमें मौजूदा तीन मंदिरों अर्थात् कमल मंदिर, इस्कान मंदिर और माता का मंदिर को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पार्क में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं:-



यमुना जैव-वैविध्य पार्क का मॉडल

1. निकटवर्ती सुविधाएँ
2. शहरी पार्क जिला केन्द्रों के बहुविध कार्यक्रमलाप
3. आध्यात्मिक उद्यान
4. पर्व समागम क्षेत्र
5. पारिस्थितिक स्थल
6. वनस्पति वाटिका

4. जैव-वैविध्य पार्क

i) दिल्ली की जीवन प्रणाली की लुप्त प्राकृतिक विरासत को बनाए रखने एवं परिरक्षित रखने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेटर्न फोर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स (सी.ई.एम.डी.ई.), दिल्ली विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में जैव-वैविध्य फाउंडेशन के संरक्षण में जैव-वैविध्य पार्क (यमुना एवं अरावली) का एक नेटवर्क प्रारंभ किया है। ऐसे पहले पार्क अर्थात् यमुना जैव-वैविध्य पार्क का विकास बजौराबाद में 157 एकड़ क्षेत्र में पहले चरण के रूप में किया जा रहा है और इसके दूसरे चरण में इसमें 300 एकड़ और भूमि शामिल की जाएगी।

ii) यमुना जैव-वैविध्य पार्क में एक प्रकृति प्रदर्शन केन्द्र का विकास किया गया है। इसमें, पैनलों के माध्यम से यमुना नदी को, यमुना गलैशियर से इसके उद्गम स्थल से लेकर इलाहाबाद में इसके प्रवेश तक दर्शाया गया है। इंटरएक्टिव डिस्प्ले एवं टच स्क्रीन कम्प्यूटरों के माध्यम से विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों का भी स्पष्टीकरण किया गया है। 250 विभिन्न किस्मों के लगभग 8000 पौधे, बायोटिक वर्गों के विकास के लिए लगाए गए हैं। 300 से भी अधिक किस्मों के फल-वृक्ष जिनमें फल देने वाले 50 किस्मों के वृक्ष शामिल हैं, फलोद्यान क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसमें केवल आम की 45 किस्मों के वृक्ष भी शामिल हैं। विभिन्न प्रकार फसलों की 600 परम्परागत किस्मों का भी विकास किया गया है और पार्क में 4 मीटर गहरे बहने वाले जलाशयों में 10 किस्मों की मछलियाँ भी छोड़ी गई हैं। आशा है कि 400 प्रवासी पक्षी एवं अन्य प्रजातियों के पक्षी विभिन्न मौसमों में प्रति वर्ष यहां आएंगे।

5. अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए बैंकों को शामिल करना।

यह देखा गया है कि आंबटितियों द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि के सत्यापन में विलंब करना, आंबटितियों की शिकायतों में से एक है जिसके कारण कई लेन-देन जैसे कब्जा लेने, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने, परिवर्तन आदि जैसे कार्यों में विलंब होता है। सभी नई आवास एवं अन्य निपटान योजनाओं में सम्पूर्ण संकल्प, सत्यापन, संराधन तथा अन्य वित्तीय सेवाओं में और हमारे पुराने आंबटिती खातों के लिए ऐसी सभी सेवाओं के संबंध में सुधार के लिए बैंकों को शामिल करने की नीति अपनाई गई है। इसके सम्पूर्ण लाभ इस प्रकार हैं:-

- i) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ग्राहक नई बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित होंगे।
- ii) वित्तीय विभागों से बैंकों का बेहतर समाकलन होगा, जिससे निधि से अंतरण एवं धन-राशि के सत्यापन में कम समय लगेगा।
- iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण की गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों के पैकेज को बैंकों एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से निर्मात्रित किया जाएगा।



श्री पी. शंकर, मुख्य सतर्कता आयुक्त और श्री अनिल बैजल उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., विकास सदन में स्थापित सूचना केन्द्र का उद्घाटन करने के बाद उसे देखते हुए



3 प्राधिकरण का प्रबन्ध-तंत्र



श्री अनिल बैजल, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर दि.वि.प्रा. के अधिकारियों को शपथ दिलाते हुए।

3. प्राधिकरण का प्रबंध

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अंतर्गत की गई थी। यह निगमित निकाय है, जिसको सम्पत्ति का अधिग्रहण करने उसे धारण करने और निपटान करने का की शक्ति प्राप्त है। प्राधिकरण के पास एक शाश्वत उत्तराधिकार तथा कॉमन सील है। यह मुकदमा कर सकता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रख्यात प्रशासक श्री विजय कपूर, आई.ए.एस. ने 20 अप्रैल, 1998 को दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया और संगठन के विभिन्न कार्यों को निदेशित कर रहे हैं।

अध्यक्ष

श्री विजय कपूर 01.04.2003 से 31.03.2004

उपाध्यक्ष

श्री पी. के. होता 29.03.2003 से 07.04.2003

श्री अनिल बैजल 08.04.2003 से 06.02.2004

श्री प्रभाष सिंह 07.02.2004 से 16.02.2004

श्री मधुकर गुप्ता 17.02.2004 से 31.03.2004

पूर्ण कालिक सदस्य

श्री ए.के. पटनायक 01.04.2003 से 31.03.2004
वित्त सदस्य

श्री सी. बनर्जी 01.04.2003 से 17.12.2003
अभियन्ता सदस्य

श्री प्रभाष सिंह 18.12.2003 से 31.03.2004
अभियन्ता सदस्य

केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित

श्री पी.के. प्रधान, संयुक्त सचिव
शहरी विकास एवं गरीबी 01.04.2003 से 31.03.2004
उपशमन मंत्रालय

श्री बी.एस. लल्ली 01.04.2003 से 10.10.2003
सदस्य सचिव
रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड

श्री बी.के. सुन्दर राय

10.10.2003 से 31.03.2004

सदस्य सचिव

रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड

श्री के.टी. गुरुमुखी

1.4.2003 से 31.3.2004 तक

मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

श्री राकेश मेहता

01.04.2003 से 31.03.2004

आयुक्त, दिल्ली नगर निगम

गैर-सरकारी सदस्य

श्री पूरन चन्द योगी

1.4.2003 से 31.12.2003

विधायक

श्री महाबल मिश्रा

1.4.2003 से 31.12.2003

विधायक

श्री कंवर करण सिंह

1.4.2003 से 31.12.2003

विधायक

श्री ईश्वर सिंह

1.4.2003 से 31.3.2004

पार्षद, दिल्ली नगर निगम

श्री वीरेन्द्र कसाना

1.4.2003 से 31.3.2004

पार्षद, दिल्ली नगर निगम

वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 5 बैठकें हुईं और कुल 66 मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

3.2 सलाहकार परिषद

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-5 के अन्तर्गत गठित निकाय है, जिसका उद्देश्य मुख्य योजना तैयार करने तथा योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से संबद्ध या उसके संबंध में उठने वाले मामलों में, जो भी प्राधिकरण इसे भेजे, प्राधिकरण को सलाह देना है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद् का गठन इस प्रकार था।

1. अध्यक्ष

श्री विजय कपूर 1.4.2003 से 31.3.2004

2. लोक सभा सदस्य

i) श्री अवतार सिंह भड़ाना 1.4.2003 से 6.2.2004

ii) डा.(श्रीमती)अनिता आर्य 1.4.2003 से 6.2.2004



3. राज्य सभा सदस्य

i) श्री हंस राज भारद्वाज 1.4.2003 से 6.2.2004

4. श्री पी.के. होता 1.4.2003 से 7.04.2003

उपाध्यक्ष

श्री अनिल बैजल 08.04.2003 से 06.02.2004

श्री प्रभाष सिंह 07.02.2004 से 16.02.2004

श्री मधुकर गुप्ता 17.02.2004 से 31.03.2004

5. सदस्य

i) श्री हिरेन टोकस 1.4.2003 से 31.3.2004
पार्षद, दिल्ली नगर निगम

ii) श्री सुग्रीव सिंह 1.4.2003 से 31.3.2004
पार्षद, दिल्ली नगर निगम

iii) श्री रोहित मनचंदा 1.4.2003 से 31.3.2004
पार्षद, दिल्ली नगर निगम

iv) श्रीमती निर्मला वत्स 1.4.2003 से 31.3.2004
पार्षद, दिल्ली नगर निगम

v) जे.पी. गोयल

vi) चतर सिंह

vii) सुनील देव

viii) अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम

ix) अध्यक्ष, सी.ई.ए.

x) महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय

xi) महानिदेशक (आर.डी.) एवं अपर सचिव, परिवहन मंत्रालय

xii) मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

xiii) महाप्रबंधक (पी.एम.) एम.टी.एन.एल.

xiv) निगम स्वास्थ्य अधिकारी, दि.न.नि.

3.3 स्टाफ क्वार्टर आबंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से निम्नानुसार स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन के लिए 628 आवेदन प्राप्त हुए।

1. टाइप-I	33
2. टाइप-II	388
3. टाइप-III	154
4. टाइप-IV	36
5. टाइप-V से VII	17

वर्ष 2003-2004 के दौरान टाइप-I, II, III, IV, एवं V, से VII तक के 292 स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए। आबंटन का विवरण इस प्रकार है:-

1. टाइप-I	11
2. टाइप-II	125
3. टाइप-III	139
4. टाइप-IV	12
5. टाइप-V से VII	5

परिवर्तन के प्राप्त सभी 104 मामलों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया। प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर 11 मामलों में निरीक्षण किया गया तथा विपरीत अधिभोग के मामलों में उन पर कार्रवाई की गई।

3.4 नजारत शाखा

नजारत शाखा सामान्य प्रशासन, प्रबंध और लेखन सामग्री मदों, फर्नीचर, कार्यालय उपकरणों की खरीद, वर्दी की मदों को जारी करने, फैक्स मशीनों, मैनुअल/इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के रखरखाव के साथ-साथ कार्यालय प्रयोग के लिए स्टाफ वाहनों और मोबाइल फोन के रखरखाव का कार्य देखती है।

विकास सदन, विकास मीनार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और दि.वि.प्रा. की भूमि के संरक्षण के लिए योग्यता प्राप्त सलाहकार और के.ओ.सु.ब. की सेवाएं ली गयी थी और उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है। अधिक सुरक्षाकर्मी लगाकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के प्रयास भी किए गए। यह शाखा कार्यालय-स्थल के आबंटन का कार्य भी देखती है। राजस्व राशि जुटाने के लिए विकास सदन की छत पर लाइसेंस शुल्क आधार पर एम.टी.एन.एल. का एन्टीना लगवाया गया/आबंटित किया गया।

3.5 हिन्दी विभाग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिन्दी विभाग ने 2003-04 के दौरान 40 निरीक्षण किए। दिल्ली विकास प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। सितंबर, 2003 के दौरान मनाए गए “हिन्दी पखवाड़े” के दौरान हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेताओं को नकद रूप में तथा प्रमाणपत्रों से पुरस्कृत किया गया। कुल 11,200/- रुपये के पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त, विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में 15 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। 9 कार्यशालाएं आयोजित की गईं और हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग के लिए कुल 118 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।



‘हिन्दी पखवाड़े’ के दौरान आयोजित हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी।



वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, अधिसूचनाओं, प्रेस-विज्ञप्तियों, प्राधिकरण की कार्यावली मदों और बैठकों आदि से संबंधित सामग्री को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

3.6 जन सम्पर्क/जन शिकायत विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जन-सम्पर्क विभाग को प्रदत्त और अप्रदत्त प्रचार द्वारा संगठन की छवि बेहतर बनाने और संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने से संबंधित कार्य सौंपे गये हैं। इस विभाग के अन्य कार्यों में मार्ग निर्देश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, निविदा दस्तावेजों आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेल समाचार-पत्र, प्रचार सामग्री सहित विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरों की जांच करना, विज्ञापन अभिकरणों की सूची बनाना, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलन/प्रेस दौरों की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रचार माध्यमों से विभिन्न समारोहों की जानकारी देना, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना, जन शिकायत विभाग भारत सरकार और अन्य माध्यमों से प्राप्त और समाचार पत्रों में छपी शिकायतों की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई/निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, स्पष्टीकरण पत्र जारी करना भी इसके कार्यों में शामिल है।

2003-04 के दौरान किए गए कार्यकलापः

- इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यकलापों और समारोहों, उपलब्धियों को व्यक्त करते हुए 62 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में) जारी की गयीं। इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रचार माध्यमों के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य माध्यमों को भी दिया गया।
- सितम्बर, 2003 में विकास सदन में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन राज्य मंत्री ने सम्बोधित किया। सितम्बर, 2003 में 'टेरी' के साथ संयुक्त रूप से "दिल्ली अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 1986" पर एक विचार - गोष्ठी आयोजित की गयी। फरवरी, 2004 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक परिसरों के एक बार में सुधार करने के संबंध में बाजार एसोसिएशनों के साथ उपराज्यपाल की आपसी विचार-विमर्श संबंधी बैठक का भी आयोजन किया गया।
- 2 प्रेस दौरे - दिल्ली विकास प्राधिकरण के हरित क्षेत्रों का एक प्रेस दौरा करवाया गया।
- विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित 54 प्रेस कतरनों पर कार्रवाही की गयी ताकि वैयक्तिक शिकायतों का निवारण किया जा

सके और सम्पादक को 30 पत्र (स्पष्टीकरण-पत्रों) जारी किए गए।

- विभिन्न समाचार-पत्रों में विभिन्न अभियानों सहित 107 विज्ञापन (अंग्रेजी + हिन्दी भाषाओं में) प्रकाशित कराए गए।
- जन शिकायत विभाग, मंत्रीमण्डल सचिवालय, भारत सरकार के माध्यम से 150 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 88 शिकायतों को निपटाया गया।
- इस विभाग को 105 विभागीय जन-शिकायतें (डी.पी.जी.) हस्तारित की गयीं, जिनमें से 30 मामलों को निपटाया गया।
- शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय से 152 शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें निपटान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।
- जनता से सीधे 327 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें निपटान के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया।
- स्वागत कक्ष स्थित कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण काउण्टरों पर 1,10,632 पत्र प्राप्त हुए और 76,275 पत्र जारी किए गए।
- पुस्तकालय में 1609 नई पुस्तकें खरीदी गयीं और दैनिक समाचार-पत्रों से दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित 5,541 प्रेस कतरन काटी गयीं।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट के सम्पादन के अतिरिक्त अपनी संस्था पत्रिका दिल्ली विकास वार्ता के 3 अंकों (प्रत्येक के 42 पृष्ठ) का सम्पादन और प्रकाशन किया गया तथा 9000 प्रतियां वितरित की गयीं।
- "खेल समाचार-पत्र" के तीन अंक (प्रत्येक के 16 पृष्ठ) का सम्पादन एवं प्रकाशन किया गया और खेल विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वितरण किया गया।
- फोटो अनुभाग द्वारा 137 समारोहों में फोटो खींची गईं, जिनमें 2,394 फोटो खींचे गए और 3054 फोटो तैयार किए गए तथा प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
- विकास सदन और विकास मीनार के स्वागत कक्ष में 8 'टच स्क्रीन' सूचना केन्द्र स्थापित किए गए। इन सूचना केन्द्रों के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण सर्वर पर उपलब्ध आवास और भूमि विभाग से संबंधित जानकारी जनता प्राप्त कर सकती है। इनके माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट भी देखी जा सकती है।





श्री अनिल बैजल, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' समारोह के अवसर पर दि.वि.प्रा. के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को पुरस्कार देते हुए

4.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्मिक शाखा को महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिसम्पत्ति माना जाता है। विद्यमान रूपरेखा के संचालन, कर्मचारियों के विकास, शिकायतों और विकास तथा प्रबन्ध के लिए पारस्परिक आदर को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। आम जनता की सेवा करने के लिए, सर्वोत्तम निष्कर्ष प्राप्त करने का यह एक सतत् प्रयास है। निर्धारण एवं पुर्नमूल्यांकन किया जाता है तथा निगरानी की जाती है और नेतृत्व के गुणों एवं प्रवृत्ति के कार्य अभिरूचि मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को समझकर उनके कल्याण हेतु उपाय करके संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। किए गए विभिन्न प्रयास निम्नलिखित हैं:-

4.2 की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	60	63	83	-	206

4.3 की गई भर्ती

समूह क = 1, समूह ख = 4, समूह ग = 1, समूह घ = 11, में भर्ती की गई। समूह 'ग' एवं 'घ' की सभी नियुक्तियां अनुकम्पा आधार पर की गई हैं। विद्यमान नियमित एवं वर्कचार्ज स्टाफ में से 29 अनुभाग अधिकारियों की भर्ती की गई।

4.4 चयन वेतनमान दिया गया

3 अधिकारियों को चयन वेतनमान का लाभ दिया गया है।

4.5 ए.सी.पी. योजना

भारत सरकार में लागू की गई योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में समूह ख, ग एवं घ कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. योजना शुरू की गई। 1630 पदधारियों को भी लाभ दिया गया। इसी प्रकार लगभग 8000 वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिए भी ए.सी.पी. योजना का विस्तार किया गया।

4.6 स्थायी करना

81 पदधारियों को स्थायी किया गया।

4.7 दक्षता रोध पार करना

विभिन्न श्रेणियों के कुल 23 कर्मचारियों को दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी गई।

4.8 अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समूह 'घ' एवं 'ग' में क्रमशः 11 एवं 1 नियुक्तियां अनुकम्पा आधार पर की गई हैं।

4.9 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 7015 वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें प्राप्त की गईं।

4.10 पेंशन मामले स्वीकृत करना

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा-निवृत्ति के दिन पेंशन संबंधी देय राशियों का भुगतान करने की प्रणाली आरम्भ की गई। इन देय राशियों का भुगतान प्रत्येक माह इस उद्देश्य के लिए आयोजित एक समारोह में किया जाता है। पेंशन / मृत्यु मामलों को निपटाने के लिए 8 कल्याण निरीक्षक/कार्मिक निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। कल्याण अनुभाग में कल्याण निरीक्षक तैनात करने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। पेंशन मामलों को यथा संभव शीघ्रता से निपटारा जाता है। अवधि के दौरान 242 पदधारी सेवा निवृत्त हुए और सभी व्यक्तियों को सेवा-निवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है।

4.11 अनुशासनात्मक मामले

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों के 17 अनुशासनात्मक मामले निपटाए गए।

4.12 कैडर समीक्षा

योजना विंग, वास्तुकार विंग, उद्यान और लेखा विभागों की कैडर समीक्षा की प्रक्रिया जारी की गई।

4.13 31.03.2004 को कर्मचारियों की स्थिति

समूह	सामान्य	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
क	392	58	07	3	460
ख	1037	204	24	2	1267
ग	5066	758	52	27	5903
घ	2088	845	09	27	2969
कुल	8583	1865	92	59	10599
वर्क चार्ज					10797
महा योग					21396





दि.वि.प्रा. की पुष्प प्रदर्शनी में एक पुष्प प्रविष्टि का दृश्य

6.1 पैनी दृष्टि वाले विधि विभाग की निपुणता दि.वि.प्रा. के सारे मुकदमों की छानबीन, उन पर कार्यवाही करने और निगरानी करने जैसे कार्यों से झलकती है। उपलब्धियों का मामलेवार विवरण नीचे दिया गया है:-

6.2 भूमि निपटान विभाग

6.2.1 दि.वि.प्रा. बनाम विजय सी. गुरशरणी के नाम से विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) और दि.वि.प्रा. बनाम नानक चंद के नाम से एक अन्य विशेष अनुमति याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने खून के रिश्ते से बाहर के वसीयत के मामलों में अनर्जित वृद्धि (यू.ई.आई) वसूल करने के लिए दि.वि.प्रा. के जांच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। ये विशेष अनुमति याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर की गयी थीं, जिनमें यह निर्णय लिया गया था कि दि.वि.प्रा. वसीयत के ऐसे मामलों जिनमें प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) अथवा प्रोबेट लिया गया हो, दि.वि.प्रा. अनर्जित वृद्धि (यू.ई.आई.) नहीं वसूल सरकता। इन विशेष अनुमति याचिकाओं में नीतियां, दस्तावेज और सामग्री उपलब्ध करायी गयी और वकील को पूर्ण सहायता एवं जानकारी प्रदान की गयी। अथक प्रयासों के कारण उच्चतम न्यायालय ने हमारे मत को माना, जिसके कारण दि.वि.प्रा. में लम्बित मामलों और न्यायालय में लम्बित मामलों और सभी भावी मामलों में दि.वि.प्रा. को 50% अनर्जित वृद्धि (यू.ई.आई) वसूल करने का अधिकार मिला, जिससे प्राधिकरण को आवर्ती लाभ हुआ।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दि.वि.प्रा. कानून और नीतियों को बनाने वाला है तथा ऐसे प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये दिशानिर्देश पक्षों के लिए बाध्यकर होंगे, जब तक कि इसके विपरीत कोई नियम न हो। इस प्रकार यह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दि.वि.प्रा. की नीतियां और दिशानिर्देश पक्षों के लिए बाध्यकर होंगे।

6.2.2 दि.वि.प्रा. के भूमि निपटान विभाग के मामले में प्रगति कंस्ट्रक्शन कं. बनाम दि.वि.प्रा. नाम से सिविल रिट याचिका 7854/2001 में 1,77,72,953/-रू.

की भूभाटक राशि की मांग को चुनौती दी गयी। मुकदमे को गम्भीरता से और तत्परता से लड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 2.10.2003 को रिट याचिका खारिज हो गयी। न्यायालय ने दि.वि.प्रा. को इस बात की स्वतंत्रता दे दी कि वह याचिकाकर्ता द्वारा पहले जमा की गयी राशि का सत्यापन और समायोजन करने के बाद मांग राशि की वसूली करे।

6.2.3 तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि दि.वि.प्रा. के भूमि निपटान विभाग के मामले में संतोष भरतिया बनाम दि.वि.प्रा. नाम से दायर रिट याचिका (सिविल) सं 564/2003 में मिली। इस रिट याचिका में वसंत कुंज, नई दिल्ली स्थित “माल” के व्यावसायिक प्लॉटों को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि पर्यावरण प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और प्रदूषण की रोकथाम और कानूनी की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गये। सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि प्रस्तावित माल के लिए 92 हेक्टेयर भूमि को पहले ही इन व्यवस्थाओं से बाहर रखा जा चुका है। इस प्रकार इस आदेश से माल के विकास के रास्ते की रुकावट दूर हो गई है। अतः दि.वि.प्रा. की परियोजना को रोका नहीं जा सकता और इसका विकास-कार्य जारी रखा जा सकता है।

6.3 भूमि प्रबन्ध

6.3.1 सिविल रिट याचिका सं. 623/1977, मन्दिर श्री सीता राम जी @ श्री सीता राम बहादुर बनाम भारत संघ

यह रिट याचिका कड़कड़दूमा गांव में 300 बीघा 9 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अधिग्रहण कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। यह चुनौती इस आधार

पर दी गई थी कि पहली अधिसूचना के लागू रहते दूसरी अधिसूचना लागू करना विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसे जारी नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को कोई नक्शा नहीं दिया गया अतः वह उचित आपत्ति नहीं कर सकता। सोसायटी ने आगे प्रतिवाद किया कि भूमि के छोटे टुकड़ों का अधिग्रहण करके नियोजित विकास नहीं किया जा सकता। दि.वि.प्रा. ने एल.ए.सी. के साथ मामले पर प्रतिवाद किया और यह मामला 20,000/- रु की लागत के साथ 21-22 अगस्त, 2003 को खारिज हो गया। रिट याचिका के खारिज होने के तुरन्त बाद दिल्ली सरकार के समक्ष मामला उठाया गया और दिनांक 22.9.2003 को भूमि का कब्जा ले लिया गया। बाद में, रिट याचिका सं 6086/2003, 5794/2003 भी क्रमशः दिनांक 22.9.2003 और 9.9.2003 को खारिज हो गयीं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था और इसे तत्परता से लड़ा गया, जिसके कारण हम कड़कड़ूमा गांव में 300 बीघा मूल्यवान भूमि लेने में सफल हो सके। अब इस भूमि को विकसित किया जा रहा है और इसे समूह आवास सोसायटियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

6.3.2 सिविल रिट याचिका सं. 3843/96 श्री जफर सिद्दकी और अन्य बनाम दि.वि.प्रा./ सिविल रिट याचिका सं. 4340/96 वकील अहमद बनाम दि.वि.प्रा./सिविल रिट याचिका सं 4341/96 लियाकत अली बनाम दि.वि.प्रा.

ये याचिकाएं उच्च न्यायालय में इस आधार पर दायर की गई थीं कि विधि की प्रक्रिया के बिना उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा इन मामलों में प्रभावी रूप से प्रतिवाद किया गया और यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण करते समय सरकार द्वारा विधि की समुचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और बाद में अतिक्रमण कर्ताओं को नोटिस देना अपेक्षित नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ 29.5.2003 को रिट याचिकाएं खारिज हो गयीं। उच्चतम न्यायालय में दायर एल.पी.ए. और एस.एल.पी. भी खारिज कर दिये गये। इस निर्णय से अन्य कई मामलों में अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

6.3.3 सिविल रिट याचिका सं. 922/2001 श्री राधे श्याम गुप्ता बनाम भारत संघ

इस मामले में अधिग्रहण कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि आपत्तियां दर्ज करने के लिए अवसर नहीं दिया गया। यह याचिका देरी के आधार पर और इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए खारिज की गयी कि दिनांक 16.6.98 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के साथ, धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना की गयी थी और दिनांक 26.3.98 को

धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा प्रकाशित की गई, दिनांक 10.7.98 को कब्जा भी ले लिया गया। याचिका दिनांक 6.2.2001 को अर्थात् अधिसूचना जारी करने के बाद और कब्जा लेने के बाद दायर की गयी थी। अतः देरी करने के कारण याचिका खारिज कर दी गई और प्रत्येक याचिकाकर्ता से 20,000/- रु. का व्यय प्राप्त हुआ। इस भूमि की आनन्द पर्वत क्षेत्र में एस.टी.पी. के लिए तत्काल आवश्यकता थी।

6.3.4 सिविल रिट याचिका सं 2579/99 श्री अशोक कुमार बनाम भारत संघ

यह रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के बाद दिया गया अधिनिर्णय, सन् 1984 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-11 में संशोधन के बाद समाप्त हो गया है। रिट याचिका 7,500/-रु. की लागत के साथ इस आधार पर खारिज हो गई थी कि यह पूर्णतः अव्यावहारिक है कि एक व्यक्ति विशेष ने अपनी भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध स्थगनादेश लिया है, जबकि पूरी अधिसूचना के लिए स्थगनादेश था। खण्ड पीठ की यह राय थी कि अधिग्रहण कार्रवाई को पूरा करने के लिए स्थगन-अवधि को शामिल न करने के पीछे यह तर्क था कि जब न्यायालय ने स्थगनादेश जारी कर रखा हो तो उस योजना को लागू करना असम्भव नहीं तो अव्यावहारिक जरूर हो जाता है, जिसके अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय का अन्य कई मामलों पर प्रभाव पड़ेगा।

6.3.5 सिविल रिट याचिका सं 1283/2003 श्री टी.एन. वोहरा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका खसरा सं 424-425 गांव महीपालपुर के संबंध में सरकार के विरुद्ध रोक आदेश लेने के लिए इस आधार पर दायर की गयी थी कि सम्पत्ति अनधिकृत कालोनी का एक भाग है, जिसको नियमित किया जाना है। दि.वि.प्रा. ने प्रतिवाद किया कि प्रश्नाधीन भूमि अनधिकृत कॉलोनी का भाग नहीं है और इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया गया था, याचिकाकर्ता के हित-पूर्वाधिकारी ने दायर मुकदमे में जाली/अन्तर्वेशित न्यायालय आदेश प्रस्तुत करके प्राधिकरण को भूमि का कब्जा नहीं लेने दिया। इस कारण याचिका 50,000/- रु की लागत के साथ खारिज कर दी गयी और न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे दि.वि.प्रा. को 61 लाख की राशि का भुगतान करें, जो वह जाली आदेश प्रस्तुत करने की तिथि से अपने किरायेदार से



वसूल करते रहे हैं। दि.वि.प्रा. ने 61 लाख रू. की राशि के साथ महीपाल पुर गांव में संरचना सहित मूल्यवान भूमि प्राप्त की, जिससे 8 लाख रू मासिक किराया मिल रहा था।

6.3.6 सिविल अपील सं 4722/97 दिल्ली प्रशासन बनाम एम.एल. नागिया, गांव पहलाद पुर ।

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने दिनांक 14.12.1995 के आदेश द्वारा इस आधार पर भूमि अधिग्रहण कार्रवाई का अभिखंडन (क्वैशड) किया कि बेदखल व्यक्ति की भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकती। तथापि, दिल्ली प्रशासन और दि.वि.प्रा. द्वारा दायर की गयी अपील में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बेदखल व्यक्ति की भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत इसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इस निर्णय से दिल्ली में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई मामलों में प्रभाव पड़ेगा।

6.3.7 विशेष रिट याचिका (सी) संख्या 12460/97 दि.वि.प्रा. बनाम एस.एम. खुराना, गांव कड़कड़डूमा के संबंध में।

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अधिग्रहण कार्रवाई को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि इस मामले से संबंधित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 अधिसूचना से मुक्त है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष दायर की गई एल.पी.ए. भी खारिज हो गयी। दि.वि.प्रा. ने विशेष रिट याचिका दायर की, जो सिविल अपील में बदल गयी।

दि.वि.प्रा. का प्रतिविरोध यह था कि जब अधिनिर्णय के बाद एक बार भूमि का कब्जा ले लिया गया है तो उसके बाद अधिग्रहण कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के प्रतिविरोध को स्वीकार किया और दिनांक 18.9.2003 के निर्णय के द्वारा दि.वि.प्रा. की अपील को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न न्यायालयों में इस कारण से कई मामले लम्बित पड़े हैं। उक्त आदेशों के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गयी 2003 की समीक्षा याचिका (सी) सं 1832 भी भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 9.12.2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दी। यह भूमि कड़कड़डूमा न्यायालय के समीप स्थित मूल्यवान भूमि है, जो केन्द्रीय व्यापार जिला (सी बी डी) शाहदरा, पूर्वी दिल्ली का भाग है।

6.3.8 विशेष रिट याचिका सं 23185/2004 श्री मलूक नागर बनाम एल ए सी और अन्य गांव बहापुर।

इस मामले में दि.वि.प्रा. द्वारा नेहरू प्लेस में बहु-स्तरीय

(मल्टी लेवल) पार्किंग के लिए भूमि अधिग्रहीत की है। याचिकाकर्ता का प्रतिविरोध यह था कि भूमि अधिग्रहण करने की कोई अत्यावश्यकता नहीं है और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कोई समुचित कार्य-विधि नहीं अपनायी गयी। इससे पहले उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्थगनादेश जारी करने से इंकार कर दिया था। दि.वि.प्रा. ने उच्चतम न्यायालय में केवियट दायर किया और विशेष रिट याचिका का विरोध इस आधार पर किया कि नेहरू प्लेस में बहु-स्तरीय पार्किंग के लिए भूमि की अत्यावश्यकता थी और भूमि अधिग्रहण के लिए समुचित कार्य-विधि अपनायी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के प्रतिविरोध को स्वीकार किया और दिनांक 19.12.2003 के आदेश के द्वारा विशेष रिट याचिका खारिज कर दी। यह उन मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिनमें दि.वि.प्रा. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अत्यावश्यकता से संबंधित उपबंधों के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। दि.वि.प्रा. को नेहरू प्लेस जिला केन्द्र के साथ लगती लगभग 6 बीघा भूमि प्राप्त हुई।

6.3.9 विशेष रिट याचिका (सी) सं 151-52/2004 श्रीमती कृष्णा कुमारी उप्पल बनाम भारत संघ, गांव मोहम्मद पुर, मुनिरका।

इस मामले में दि.वि.प्रा. द्वारा भीकाजी कामा प्लेस में पार्किंग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। याचिकाकर्ता का प्रतिविरोध यह था कि भूमि अधिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कोई समुचित कार्य-विधि नहीं अपनायी गयी। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्थगनादेश जारी करने से इंकार कर दिया था। दि.वि.प्रा. ने उच्चतम न्यायालय में केवियट दायर किया और विशेष रिट याचिका का विरोध इस आधार पर किया कि भीकाजी कामा प्लेस में पार्किंग के लिए भूमि की अत्यावश्यकता थी और भूमि अधिग्रहण के लिए समुचित कार्य-विधि अपनायी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के प्रतिविरोध को स्वीकार किया और



स्वर्ण जयंती पार्क स्थित झील का दृश्य



दिनांक 9.1.2004 के आदेश के द्वारा विशेष रिट याचिका खारिज कर दी। यह उन मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिनमें दि.वि.प्रा. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अत्यावश्यकता से संबंधित उपबंधों के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। दि.वि.प्रा. को भीकाजी कामा प्लेस जिला केन्द्र के बीच में 1200 वर्ग गज की बहुमूल्य भूमि मिली।

6.3.10 विशेष रिट याचिका (सी) सं. 1515/97 श्री आर.एल.जैन बनाम दि.वि.प्रा., गांव खरेड़ा, एस डी ए।

इस मामले में न्यायालय ने पहले की गयी भूमि अधिग्रहण कार्रवाई को अभिखंडित कर दिया। दि.वि.प्रा. ने इस भूमि के अधिग्रहण के लिए पुनः अनुरोध किया क्योंकि दि.वि.प्रा. ने प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग सफ़रजंग डिवलपमेंट एरिया में अपने कर्मचारियों के लिए स्टॉफ़ क्वार्टर बनाने में किया था। एल ए सी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और पहली कार्रवाई के बाद कब्जा लेने की तिथि से, जिसे बाद में अभिखंडित कर दिया गया, शेष वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया। ब्याज की राशि लगभग 1 करोड़ रु बनती है। दि.वि.प्रा. ने अधिनिर्णय को इस आधार पर चुनौती दी कि एल.ए.सी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने से पूर्व कोई ब्याज लगाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने दि.वि.प्रा. की रिट याचिका को अनुमति दे दी और दि.वि.प्रा. उक्त राशि वापिस लेने में सफल हुआ, जो उसने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा करवायी थी। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में विशेष रिट याचिका दायर की। तथापि, दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मामला तीन न्यायधीशों की पीठ को भेज दिया क्योंकि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के विरोधाभासी निर्णय थे। तीन जजों की पीठ ने वकीलों की बहस सुनने के बाद दिनांक 12.3.2004 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता की सिविल अपील को खारिज कर दिया। इस निर्णय से दि.वि.प्रा. न केवल लगभग 1 करोड़ रु. बचाने में सफल हुआ है वरन् इससे विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

6.3.11 विशेष रिट याचिका (सी) सं 2721-22/2003 दि.वि.प्रा. बनाम एस.एस. अग्रवाल और ओम प्रकाश, गांव जसोला।

इस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका मामलों, मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए आदेशों

के तहत जल-मल शोधन संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बाजार दरों के आधार पर 102/- रु. प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर 7390/- रु. कर दिया। दि.वि.प्रा. ने उक्त आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि सरकारी परिपत्र अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने का आधार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.9.2003 के आदेश के द्वारा एस.एल.पी. को अनुमति प्रदान की और उसे सिविल अपील में बदल दिया तथा इन मामलों में अधिनिर्णय की 25% राशि जमा करने की शर्त पर बढ़ी हुई राशि पर स्थगनादेश भी दिया। दि.वि.प्रा. पहले ही न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर चुका है।

6.4 आवास विभाग

दक्षिण दिल्ली में स्व वित्त योजना फ्लैटों में 20% की दर से अधिभार वसूल करने के मुद्दे पर आवंटितियों द्वारा 250 मामले दायर किये गए। इन मामलों में उच्च न्यायालय ने 20% अधिभार वसूल करने के दि.वि.प्रा. के अधिकार को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने 20% की दर से अधिभार वसूल करने का दि.वि.प्रा. का अधिकार इस आधार पर बरकरार रखा कि उक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने और डी.डी.ए. सेल्फ-फाइनेंस ओनर्स बनाम दि.वि.प्रा. के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे दिया है और अतः उस पर निर्भर रहते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि खण्ड पीठ और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था को बरकरार रखा जाए और कहा कि ऐसे क्षेत्रों में कोई रियायत देने का प्रश्न ही नहीं है, जो दक्षिण दिल्ली में नहीं है।

6.5 इंजीनियरिंग विभाग

दि.वि.प्रा. बनाम भाई सरदार सिंह, एफ ए ओ (05)93/2002 के मामले में मुद्दा यह था कि नये अधिनियम के लागू होने से पूर्व आरम्भ की गयी कार्रवाई में पुराने माध्यस्थता अधिनियम की ग्राह्यता क्या है। इस मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह निर्णय दिया कि जिन मामलों में नये अधिनियम के लागू होने से पूर्व माध्यस्थता कार्रवाई आरम्भ हो गयी थी, उन मामलों में सभी चरणों में, जिसमें अधिनिर्णय पर आपत्तियां दर्ज करना शामिल है, सहित सभी मामलों में पुराना अधिनियम लागू होगा। इस प्रकार दि.वि.प्रा. को ऐसे सभी लम्बित मामलों में लाभ मिलेगा क्योंकि नये अधिनियम के अंतर्गत तीन महीनों का समय बीतने के बाद अधिनिर्णय को स्वतः डिक्री होने से बचाया जाएगा और दि.वि.प्रा. को आपत्तियां दर्ज कराने का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ माध्यस्थ मामले लम्बित हैं, जिनको उक्त निर्णय को ध्यान में रखकर निपटाया जाएगा।



प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग



जारी प्रशिक्षण सत्र का दृश्य

7.1 प्रणाली विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्य निपटाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रणालीबद्ध स्वचलन व्यवस्था को अपनाया है। यह प्राधिकरण के प्रणाली विभाग की व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ी है और निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

7.1.1 भूमि निपटान

भूमि निपटान विभाग की विभिन्न शाखाओं में ऑनलाइन प्रणाली लागू की गयी है। सभी आबंटन कम्प्यूटर द्वारा लाटरी के ड्रा द्वारा अथवा खुली नीलामी/निविदाओं द्वारा किये जाते हैं। आबंटन से सम्बन्धित सभी कार्यकलाप, जैसे मांग-पत्र जारी करना और अन्य रिपोर्टों के साथ-साथ विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट बनाने के अतिरिक्त कब्जा-पत्र भी कम्प्यूटर द्वारा जारी किये जाते हैं। पुराने आबंटन से सम्बन्धित सभी आंकड़े संग्रहण के लिए डाले जाते हैं। यह प्रणाली रसीदों के ऑनलाइन सत्यापन के अतिरिक्त विभिन्न सम्पत्तियों का लेखा-विवरण उपलब्ध कराती है। बेदखलकारों को प्लाटों में आबंटन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी सुधार किया गया है। जनता के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकास सदन और रोहिणी में लगाए गए सूचना-क्योसकों से डाटाबेस को जोड़ा गया है।

7.1.2 आवास

आवास विभाग के विभिन्न कार्यकलापों जैसे पंजीकरण, आबंटन, रद्दकरण, नामांतरण, हस्तांतरण, पते में परिवर्तन और भुगतान की विधि में परिवर्तन जैसे कार्यों के स्वचलन के लिए 'आवास' नाम का सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान 9,280 से अधिक फ्लैटों का आबंटन किया गया और 9000 आबंटितियों के लिए मांग-पत्र जारी किये गए और प्रेषित किए गए। जनता के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकास सदन और रोहिणी में सूचना-क्योसक बनाए गए।

7.1.3 दि.वि.प्रा. की वेबसाइट

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नयी वेबसाइट नवम्बर 2003 में शुरू की गई थी। वेबसाइट को परिवर्तनात्मक बनाया गया और यह दि.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यों जैसे-आवास, भूमि, मुख्य योजना, खेल-कूद, पर्यावरण आदि के संबंध में सूचना प्रदान करती है। जनता से सम्बन्धित सूचनाओं, जैसे-आवास एवं भूमि निपटान के

परिणामों के ड्रा और निविदा सूचना आदि को समुचित रूप से दि.वि.प्रा. की वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से अब ई-मेल के जरिए सम्पर्क किया जा सकता है और इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत डाक बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष के दौरान दो आवासीय योजनाओं के संबंध में विवरणिका और आवेदन फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जनता उन योजनाओं में आवेदन करने के लिए फार्मों आदि को डाउनलोड कर सके। वेबसाइट में जनता से फीडबैक के साथ सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वेबसाइट में सुविधा सामग्री को और अधिक सुधारा जा सके।

7.1.4 भूमि रिकार्ड स्वचलन

भूमि रिकार्ड के स्वचलन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इस सॉफ्टवेयर का नाम 'भूमि प्रबन्ध सूचना प्रणाली' है। यह प्रणाली जी.आई.एस. आधारित है और अधिग्रहित भूमि के संबंध में सूचना प्रदान करती है। ये किसी समय विशेष के अंदर अधिग्रहित भूमि के उपयोग और उसकी अवस्थिति के साथ बढ़े हुए मुआवजे की निगरानी करती है। स्थान संबंधी सूचना सार और अधिग्रहण के लिए विशेषताओं को एकीकृत किया जा रहा है। द्वितीय चरण में, योजना तैयार करने के लिए दि.वि.प्रा. के योजनाकारों की सुविधा के लिए ऐसे क्षेत्रों को लिया जाएगा, जिनका अभी तक किसी शहरी विस्तार के लिए विकास नहीं किया गया है। 452 गाँवों में से 349 गाँवों के मसाबिस की छानबीन की गयी और 240 मसाबिस का डिजिटलीकरण किया गया, जिनमें से 229 गाँवों का अधिग्रहण किया गया। अन्य विशेषताओं से साथ 69 गाँवों के संबंध में आंकड़े समेकित किए गए।

7.1.5 विधिक मामला निगरानी प्रणाली

दैनिक संदर्भों के लिए विधिक मामलों के आंकड़ा-संग्रह का रख-रखाव और प्रगति की निगरानी के लिए जी.यू.आई. आधारित उपयोगकर्ता-मित्रवत सॉफ्टवेयर लगाया गया है। विधिक मामलों की निगरानी को और स्वचालित बनाने के लिए वकीलों के कार्यों की निगरानी के लिए एक ओर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है।

7.1.6 वेतन पत्रक

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई वेतन पत्रक प्रणाली विकसित की गयी

है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा और नेटवर्क आधारित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवस्थिति से सम्बन्धित किसी भी मुद्दे पर पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हों। सॉफ्टवेयर विभिन्न अग्रिम राशियों की बकाया राशि के विवरण के साथ-साथ सामान्य भविष्य निधि आदि के संबंध में लेखा-विवरण भी उपलब्ध कराएगा। एक बार नेटवर्क लग जाने पर सॉफ्टवेयर को चालू किया जाएगा।

7.1.7 प्रशिक्षण (कम्प्यूटर साक्षरता)

प्रणाली विभाग दि.वि.प्रा. में कम्प्यूटर साक्षरता में सुधार के लिए विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। चालू वर्ष के दौरान 32 कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रमों के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। दि.वि.प्रा. के लगभग 400 कर्मिकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

7.1.8 प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली

विकास सदन के स्वागत काउण्टरों पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। काउण्टरों पर प्राप्त सभी पत्रों के लिए कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी की जाती है। इन्हीं काउण्टरों से शाखाओं द्वारा भेजी जानी वाली डाक के समयबद्ध प्रेषण संबंधी सूचना दी जाती है। प्रणाली के द्वारा विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट भी तैयार की जाती हैं ताकि अधिकारीगण प्राप्ति-पत्रों की निगरानी रख सकें।

7.1.9 कार्मिक प्रबंध आसूचना प्रणाली

कार्मिक विभाग के सभी कार्यकलापों की जानकारी देने, जैसे-सेवा-रिकार्ड का रखरखाव, गोपनीय रिपोर्टें, ऋण एवं अग्रिमों, छुट्टियों के रिकार्ड का रख-रखाव, अवकाश यात्रा रियायत, अनुशासनात्मक और न्यायालय मामलों, सेवा-निवृत्ति और मृत्यु के मामलों, नीतिगत मामलों और स्टाफ शिकायतों, निवारण आदि के लिए एक बहुउपयोगकर्ता कम्प्यूटरीकृत कार्मिक प्रबंध आसूचना प्रणाली विकसित की गई है। हार्डवेयर उपलब्ध कराने और कार्यान्वयन के लिए प्रणाली सॉफ्टवेयर पर कार्यवाही की जा रही है।

7.1.10 विकास मीनार में सी.ए.डी.डी. सैल

विकास मीनार में सी.ए.डी.डी. सैल कार्य कर रहा है और वास्तुकला विभाग के वास्तुकारों को कम्प्यूटर पर उनके वास्तुकलात्मक नक्शों का कच्चा रूप तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। योजना विभाग के उपयोगकर्ता भी ड्राइंग, स्क्रीन पर देखने, नक्शों में संशोधन और उनके मुद्रण के लिए कैड कक्ष की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। केन्द्रीय डिजाइन संगठन और अन्य इंजीनियरिंग कार्यलयों के उपयोगकर्ता भी ड्राइंग, स्क्रीन पर देखने, संशोधन, संरचनागत विश्लेषण और ड्राइंगों के मुद्रण के लिए सी.ए.डी.डी. सैल की सुविधा का लाभ उठाते हैं।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारियों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को भी नामित किया जाता है।



जारी कम्प्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण का दृश्य

7.2.2 वर्ष 2003-04 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने प्रशिक्षण और बड़ी संख्या में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लाभ के लिए उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों के काफी संख्या में कर्मचारियों को अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	2002-03	114	2155
		2003-04	120	1460
2.	बाहरी संस्थानों/अधिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	2002-03	42	121
		2003-04	65	211

7.2.3 विभागीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे-नि.श्रे. लि., आशुलिपिकों और लेखा कर्मिकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। सहायकों/वरिष्ठ आशुलिपिकों/आशुलिपिकों/उ.श्रे.लि. के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूलस और अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यचर्या तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

7.2.4 प्रशिक्षण संस्थान ने कार्मिक विभाग को सहायक पद के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होने वाले उ.श्रे.लि. और उ.श्रे.लि. पद के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होने वाले नि.श्रे.लि. के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों में सहायता देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण संस्थान ने अनुभाग अधिकारी (उद्घान) के लिए विभागीय परीक्षा का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

7.2.5 लेखा और अन्य क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में सुधार के लिए भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे दि.वि.प्रा. को विभाग में कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मदद मिलती है।





पूठकलां स्थित सरदार पटेल झील का दृश्य

8.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण की इंजीनियरिंग निपुणता अधिग्रहित भूमि को विकसित करने जैसे कठिन कार्य से प्रकट होती है। इंजीनियरिंग विभाग को आधारीक-संरचना का विकास करने जैसे-सड़कें, नाले, जलापूर्ति, जल-मल व्ययन और अन्य सुविधाएं जुटाने, व्यावसायिक केन्द्रों और हरित क्षेत्रों का विकास/निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है। इसकी निपुणता और अनुभव आवासों के निर्माण-कार्य तक फैला हुआ है। सड़कों, बरसाती नालों, जल-मल व्ययन, जलापूर्ति आदि का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, जो आंतरिक / परिधीय सेवाओं का भाग है, ये सेवाएं आगे के रखरखाव के लिए दि.न.नि., दि.ज.बो. और दि.वि.बो. को सौंप दी जाती है। निर्मित परिसर के अन्दर आम रास्तों और उपयोग-स्थलों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों की सम्बन्धित वेलफेयर सोसायटियों की है।

इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- क) आवासीय भवनों का निर्माण।
- ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।
- ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और

व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

घ) विशेष परियोजनाएँ / खेलकूद परिसर।

ङ) हरित क्षेत्रों, जैसे-मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों, समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केन्द्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के पार्कों इत्यादि का विकास एवं रखरखाव।

उपर्युक्त कार्यकलापों के संबंध में 2003-04 की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

दिल्ली विकास प्राधिकरण बड़ी संख्या में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे एस.एफ.एस./एच.आई.जी./एम.आई.जी./एल.आई.जी./जनता/ई.डब्ल्यू.एस. इत्यादि के मकानों का निर्माण करता है। दि.वि.प्रा. द्वारा 1.4.2003 को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2003-04 के दौरान पूरे किए गये नये मकानों और 2003-04 के दौरान पूरे किए मकानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और निपटान किए गए विभिन्न आवासीय / औद्योगिक परिसरों के निवासियों के लिए खरीददारी की सुविधाओं और व्यावसायिक स्थानों की हमेशा से

क्र. सं.	विवरण	एच. आई. जी.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	ई.डब्ल्यू. एस./ जनता	कुल
1.	1.4.2003 को प्रगतिधीन मकान	4895	3233	12032	544	20704
2.	2003-04 के दौरान शुरू किये जाने वाले लक्षित मकान	1707	2520	8092	2192	14511
3.	2003-04 के दौरान शुरू किये गये मकान	216	120	3652	शून्य	3988
4.	2003-04 के दौरान पूरे किये जाने वाले मकानों का लक्ष्य	1577	1076	2722	544	5919
5.	2003-04 के दौरान पूरे किये गये मकान	416	492	704	64	1676
6.	1.4.2004 को निर्माणाधीन मकान	4695	2861	14980	480	23016

बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए, विभिन्न आकारों के बड़ी संख्या में व्यावसायिक केन्द्रों को नियोजित किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण किया गया है।

1.4.2003 को प्रगतिधीन विभिन्न खरीददारी/व्यावसायिक परिसरों, 2003-04 के दौरान नए शुरू किए गए परिसरों और पूरे किए गए परिसरों की स्थिति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	जिला केन्द्र	समाज सदन	स्थानीय बाजार	सुविधा बाजार	कुल
1.	1.4.2003 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	7	6	2	4	19
2.	2003-04 के दौरान शुरू किए जाने वाले लक्षित नए व्यावसायिक परिसर	2	6	13	17	38
3.	2003-04 के दौरान शुरू किए गए नए व्यावसायिक परिसर	शून्य	5	शून्य	4	9
4.	2003-04 के दौरान पूरे किए जाने के लिए लक्षित व्यावसायिक परिसर	4	9	6	9	28
5.	2003-04 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक केन्द्र	2	3	शून्य	5	10

8.4 मुख्य भूमि विकास योजनाएँ

दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के दूर किनारों तक नगर सीमाओं का विस्तार करके नये उप-नगरों का विकास करके और ऐसे शहरी विस्तारों के लिए भौतिक आधारिक संरचना जैसे सड़क, सीवरेज, नाले, जलापूर्ति, पॉवर लाइन और मनोरंजनात्मक सुविधाएँ आदि की व्यवस्था करके लगातार विकास कार्यकलाप कर रहा है।

8.4.1 द्वारका फेज - I एवं II

द्वारका उप नगर दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और इसकी योजना एक मिलियन जनसंख्या के लिए की गई है। यह उप नगर अपने आप में सब सुविधाओं से पूर्ण होगा तथा इस तक पहुँचने के कई मार्ग होंगे। पहुँच मार्गों की योजना इस तरीके से की गई है कि इस उपनगर में सभी तरफ से आवागमन हो सके। आधारिक संरचना के तीव्र विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण पहली बार अपने पूरे चौराहों तक पथ प्रकाश सहित मुख्य योजना सड़कों का निर्माण कर रहा है। पहले पथ-प्रकाश का सभी कार्य दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता था। द्वारका में अपनाये गये डिजाइन का डिजाइन फिलिप्स इंडिया द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी सहायता उनके हालैंड स्थित निगमित कार्यालय ने की थी।

यह डिजाइन अब दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा भी अपनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह डिजाइन सस्ता है और इसका परिणाम आरम्भिक पूंजी निवेश के साथ-साथ इसके परिचालन एवं रख-रखाव पर बाद में आवर्ती व्यय में 20% की वित्तीय बचत होगी।

ग (i) छावनी क्षेत्र से होकर जाने वाली एवं दक्षिणी दिल्ली को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का निर्माण: दक्षिण दिल्ली से जोड़ने के लिए एक 6.1 कि.मी. की सड़क है, जो छावनी क्षेत्र से गुजरेगी और यह पालम गांव के ऊपर लगभग 2 कि.मी. तक उठी हुई है। इस सड़क का संरक्षण सत्यापित हो गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा रक्षा प्राधिकारियों की संयुक्त

दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली स्थित द्वारका परियोजना 5648 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैली हुई है और दिल्ली मुख्य योजना-2001 के प्रस्तावित शहरी विस्तार का भाग है। इस योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

चरण

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) चरण-1 क्षेत्रफल | : | 1862 हेक्टेयर |
| 2) चरण-2 क्षेत्रफल | : | 2098 हेक्टेयर |
| 3) निर्मित क्षेत्रफल | : | 1688 हेक्टेयर |
| 4) चरण-2 में हाल में अधिग्रहीत क्षेत्रफल | : | 800 हेक्टेयर |
| 5) चरण-2 में अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्रफल | : | 284 हेक्टेयर |

I) द्वारका उप-नगर का पहुँच-मार्ग

द्वारका उप-नगर को मुख्य नगर के साथ 3 स्थलों पर मिलाया जाना है अर्थात्

क) नजफगढ़ रोड: द्वारका को नजफगढ़ से जोड़ने वाली 60 मीटर चौड़ी सड़क पूरी हो चुकी है।

ख) पंखा रोड: पंखा रोड से प्रवेश करना सुलभ नहीं था, क्योंकि उसके मार्ग में अनधिकृत अतिक्रमण था और इस कारण विकल्प/प्रस्ताव यह लिया गया कि 2.3 किलोमीटर दूरी तक पालम नाले को ढक दिया जाए और इस पर 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाए। यह कार्य प्रगति पर है और जून, 2004 तक एक कैरिज वे के पूर्ण होने की संभावना है।



सहमति हो गई है। सरेखण को भी तकनीकी समिति की दिनांक 15.3.2001 को हुई बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस सड़क का निर्माण-कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2005 तक पूरा होने की संभावना है

(ii) आई.जी.आई हवाई अड्डे की दक्षिणी सीमा के साथ से द्वारका को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क का निर्माण

इस सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 4.6 कि.मी. है, जिसमें से पालम/रेवाड़ी रेलवे लाइन के नीचे 50 मीटर लम्बी आर.यू.बी. है। आर.यू.बी. कार्य रेलवे द्वारा दि.वि.प्रा. के निक्षेप कार्य के रूप में पूरा किया गया है। सम्पर्क सड़क के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है और इसके अक्टूबर, 2004 में पूरा होने की संभावना है।

II) मार्ग-प्रकाश व्यवस्था

द्वारका में मुख्य योजना सड़क पर प्रकाश व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी दिल्ली विद्युत बोर्ड (अब डिस्कोम्स) की है परन्तु यह निर्णय किया गया है कि अब यह कार्य दि.वि.प्रा. द्वारा शुरू किया जाएगा।

पथ-प्रकाश की व्यवस्था के लिए फिलिप्स इंडिया लि. के परामर्श से एक नव-परिवर्तित डिजाइन विकसित किया गया है और इसे अपनाया गया है। सभी मुख्य योजना सड़कों में पथ-प्रकाश का कार्य पूरा कर लिया गया है अर्थात् 75 कि.मी. में से 65 कि.मी. में पथ-प्रकाश का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 10 कि.मी. में खम्भे गाड़ दिए गए हैं और जब भी आवश्यकता होगी, उन पर फिटिंग लगा दी जाएगी। इस कार्य की सराहना सब लोगों द्वारा की जा रही है।

III) सेक्टर-11 द्वारका में खेल परिसर

सेक्टर-11 में एक खेल परिसर विकसित किया गया है, जहां लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिन्टन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउन्ड, हॉकी फील्ड, चारदीवारी, स्केटिंग रिंग, प्रशासनिक भवन, स्कवॉश कोर्ट, क्रिकेट पिच, बहु-व्यायामशाला, पार्किंग आदि का कार्य पूरा हो गया है। खेल परिसर जनता के लिए खोल दिया गया है। स्वीमिंग पूल का कार्य चल रहा है और इसके अप्रैल-2004 तक पूरा होने की संभावना है।



सीरी फोर्ट स्थित दि.वि.प्रा. खेल परिसर

IV) फेज-II द्वारका में भूमि का अधिग्रहण

द्वारका फेज-I और द्वारका फेज-II के भाग वाली 2876 हेक्टेयर भूमि का पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है और वह विकास के विभिन्न चरणों में है। शेष लगभग 1084 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के अधीन है, जिसके लिए भूमि एवं भवन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। हाल ही में 800 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है। जैसे ही यह क्षेत्र हस्तान्तरित किया जाएगा, वैसे ही इस क्षेत्र के विस्तृत नियोजन और विकास का कार्य किया जाएगा।

8.4.2 नरेला

यह परियोजना संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के उत्तरी भाग में स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकास के अन्य केन्द्र बना कर शहरी दिल्ली पर दबाव को कम करना है। मुख्य योजना सड़कों और परिधीय सड़कों का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। नरेला फेज-1/1ए में निर्मित आवासों के लिए अन्य सेवाओं जैसे जल-मल व्ययन, जलापूर्ति और बरसाती नालों का कार्य पूरा किया जा चुका है। बिजली भी उपलब्ध है। बाहरी नाले के द्वारा आई और एफ नाले के साथ जोड़ने का कार्य अभी किया जाना है। नरेला परियोजना का पूरा विकास कार्य 31.5.2005 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) सामान्य विकास योजना के अनुसार कुल परियोजना क्षेत्र	7365 हेक्टे. (लगभग)
ख) डी.डी.ए. का विकास क्षेत्र	6300 हेक्टे. (लगभग)
ग) अनुमानित जनसंख्या	12 लाख
घ) सकल घनत्व	400 प्रति हेक्टेयर
ङ) पूर्व विकसित/अधिग्रहीत क्षेत्र	1264 हेक्टेयर
च) मौजूदा प्रमुख कार्यकलाप	डी.एस.आई.डी.सी. एवं अनाज मंडी

इस योजना के अंतर्गत दि.वि.प्रा. ने अभी तक विभिन्न श्रेणियों के 8335 आवासों का निर्माण किया है। अन्य 170 म.आ.व. और 2420 नि.आ.व. आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आकारों के 833 वैकल्पिक प्लायों का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में सेक्टर बी-4 में 42 और वैकल्पिक प्लायों की योजना बनायी गयी है और उनका विकास कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 1.75 एम.जी. की क्षमता वाले दो कमांड टैंकों का निर्माण किया गया है और ये टैंक चल रहे हैं। राइजिंग मेन के साथ 10 एम.जी.डी. क्षमता वाले एक एस.पी.एस. को दिल्ली जल बोर्ड के एस.टी.पी. के साथ जोड़ा गया है और यह भी चालू है। दिल्ली जल बोर्ड को पहले से चल रही इस परियोजना की जलापूर्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए जल-शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 55 हेक्टेयर भूमि भी दी गयी है। योजना में दिए गए 14 सुविधा बाजारों में से, 4 सुविधा बाजारों का निर्माण किया गया है। अब तक दो बाजार (शापिंग सेन्टर) चल रहे हैं। इस क्षेत्र में कई विकसित पार्क और हरित क्षेत्र हैं जो जनता के



लिए खुले हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों असंगत क्षेत्र से डी. एस.आई.डी.सी. क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से नरेला के निवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर काफी बढ़ जाएंगे। क्लब सहित खेल परिसर अनुमोदित किया गया। इस योजना के लिए अवधारणात्मक योजना तैयार की जा रही है। रोहिणी से जोड़ने वाली 80 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावाधीन है जिससे नरेला परियोजना को बेहतर सम्पर्क मार्ग मिलेगा।

इसके अतिरिक्त सेक्टर बी-2, नरेला में 21 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जा रहा है, जहां पर 2420 नि.आ.व. फ्लैटों का निर्माण-कार्य टर्न-की आधार पर किया जाएगा और इस कार्य में निर्माण-कार्य पूरा होने के बाद इन फ्लैटों का 3 वर्ष के लिए रखरखाव भी शामिल है।

8.4.3 धीर पुर

धीर पुर परियोजना के पहले चरण में 990 हेक्टे. भूमि के कुल परियोजना क्षेत्र में से 194.50 हेक्टे. का विकास प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र उत्तर-पूर्व से बाहरी रिंग रोड से दक्षिण में शाह आलम बांध मुखर्जी नगर से और पश्चिम में 45 मीटर चौड़ी सड़क और ऐतिहासिक कोरोनेशन पिलर से घिरा है। यह भूमि नीची है। धीरपुर फेज-1 की योजना दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना में बहुमंजिले आवासों, सहकारी समूह आवास समितियों और भू-खण्डीय आवासीय मकानों को रखा गया है। यहाँ व्यावसायिक केन्द्रों, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और मनोरंजनात्मक क्षेत्र अर्थात् मुख्य योजना हरित क्षेत्र की व्यवस्था भी की गई है।

योजना में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 7.70 कि.मी. है, जिसमें 5.80 कि.मी. का निर्माण हो चुका है। विभिन्न योजनाओं अर्थात् मल-जल व्ययन, बरसाती पानी के नाले और जलापूर्ति के डिजाइन “टाटा कन्सल्टेंसी” के माध्यम से तैयार करवाये गये थे और दिल्ली जल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

आरम्भ में इन सेवाओं का कार्य जून, 2004 में आरम्भ किया जाना था, परन्तु धीरपुर की भूमि अभी समूह आवास सोसायटियों को आबंटित की जानी है और दि.वि.प्रा. यह भूमि सोसायटियों को हस्तांतरित करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। सेवाओं की



द्वारका में स्थित दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित हरित क्षेत्र

लाइनें बिछाने, जैसे जलापूर्ति, जल-मल व्ययन और बरसाती नाले के लिए सहायक संरचना के डिजाइन के लिए आई.आई.टी. से परामर्श लिया गया है। जहां तक बिजली का संबंध है, 66 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि दिल्ली विद्युत बोर्ड को सौंप दी गयी है।

8.4.4 रोहिणी

रोहिणी फेज-IV एवं फेज-V (सेक्टर 26 से 33)

इस फेज का कुल क्षेत्रफल लगभग 4000 एकड़ है, जिसमें से लगभग 1500 एकड़ भूमि दि.वि.प्रा. द्वारा वास्तविक रूप से ले ली गई है। यह भूमि सेक्टर 26, 27, 28 एवं सेक्टर 29 से 32 के भाग के अन्तर्गत आती है। अनुमोदित नक्शों के अनुसार दो लेन वाली मुख्य योजना सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है। सर्विस प्लान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसके जून, 2005 तक पूरा होने की सम्भावना है।

इस क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से प्लॉटों हेतु रोहिणी के पंजीकृत व्यक्तियों की लम्बित सूची को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। लम्बित सूची लगभग 38,000 की है। अधिग्रहीत भूमि 12,000 से 15,000 प्लॉट विकसित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए यह अपेक्षित है कि इस फेज के अन्तर्गत आने वाली शेष भूमि को भी शीघ्र अधिग्रहीत किया जाए ताकि लम्बित सूची 2005 तक समाप्त की जा सके।

सेक्टर 26, 27 एवं 28 में भूमि के बहुत बड़े भाग पर अतिक्रमण/न्यायालय स्थगन आदेश हैं। इन अतिक्रमणों को हटाये जाने और स्थगन आदेशों को समाप्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा योजनाबद्ध क्षेत्र के विकास हेतु इस भूमि का उपयोग किया जाना कठिन हो जाएगा।

i) जोनल कार्यालय भवन का निर्माण

फिलहाल, रोहिणी जोनल कार्यालय मंगलम प्लेस के मनोरंजनात्मक प्लॉट पर निर्मित बैरकों में चल रहा है। इसे खाली किया जाना है क्योंकि मधुबन चौक पर 8 मंजिला जोनल कार्यालय भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इस भवन में रोहिणी परियोजना से संबंधित इंजीनियरिंग विंग योजना, भूमि, भवन अनुभाग और वित्त यूनिट के कार्यालय होंगे। यह कार्य सौंप दिया गया है और इसके सन् 2005 में पूरा होने की संभावना है।

ii) अवन्तिका स्थित जिला पार्क

इस पार्क का शिलान्यास पिछले वर्ष माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया था। इसका कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा 3.10.2003 को किया गया।

iii) सरदार पटेल (पूठकलां) पार्क

इसका शिलान्यास माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा पिछले वर्ष किया गया था। इसका कार्य पूरा हो गया है और इसका उद्घाटन शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया।

iv) गाड़िया लोहारों का पुनर्वास

गाड़िया लोहार मंगोलपुर गांव में भूमि के एक भाग में रहते थे।



उनके “उसी स्थल पर पुनर्वास” हेतु 34 कार्य स्थानों और 34 एक कमरे के मकानों का निर्माण कार्य किया गया। इस कार्य के मई 2003 में पूरा हो जाने की संभावना है। इस कार्य का उद्घाटन भी माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया था। इन आवासों का आबंटन किया जाएगा।

V) कंझावला रोड

बाहरी रिंग रोड को जोड़ने वाले कंझावला रोड के सरेखण के साथ-साथ झुगियों को हटाने और बाद में सड़क का निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया और यह पूरा किया जा चुका है। इस कार्य का उद्घाटन भी माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया था।

vi) रोहिणी फेज-3 में मुख्य योजना सड़कों का निर्माण

इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए फेज-3 में केवल दो लेन वाली मुख्य योजना सड़कों का निर्माण किया गया था। अब इस क्षेत्र



मंगोलपुरी में गाड़िया लोहार पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट एवं दुकानें

का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है। इसलिए पूरी चौड़ाई में सड़कों का निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य चल रहा है और इसके सितम्बर, 2004 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्तमान प्रगति 50% है।

vii) मनोरंजन पार्क

स्वर्ण जयंती पार्क के पास ही मनोरंजन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। “चालू करो और सौंपो” आधार पर पार्क विकसित करने के लिए लगभग 60 एकड़ भूमि मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड को दे दी गई है। आशा है कि यह पार्क दो वर्षों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

8.4.5 वसन्त कुंज

वसन्त कुंज परियोजना दिल्ली के प्रमुख भाग दक्षिण में स्थित है। परियोजना का विकास-2 चरणों में किया जा रहा है।

वसन्त कुंज फेज-I

वसन्त कुंज फेज-I ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में घिठोरनी, रंगपुरी इत्यादि गांव हैं, उत्तर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, पश्चिम में लिंक रोड और महिपालपुर गाँव और पूर्व में महारौली-गुडगाँव मार्ग है। परियोजना 381.45 हेक्टेयर

में है और यह कुल 1,15,000 जनसंख्या को बसाएगी। फेज-1 का विकास पहले ही किया जा चुका है। 13,600 मकानों का निर्माण हो चुका है और आबंटित/आबंटनाधीन हैं।

वसन्त कुंज फेज-II

315 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ वसन्त कुंज फेज-II दक्षिणी दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण में वसन्त कुंज फेज-1 से, उत्तर में मुनीरका गाँव, वसन्त विहार से, पश्चिम में रिज क्षेत्र से और पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है अर्थात् (i) 92 हेक्टेयर प्रतिबंधित क्षेत्र और (ii) 223 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय होटल परिसर का विकास करना है। 223 हेक्टेयर भूमि के बारे में निर्णय यह लिया गया है कि यह क्षेत्र दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किये जा रहे जैव-वैविध्य पार्क का भाग होगा।

इस समय 92 हेक्टेयर भूमि में भौतिक आधारिक संरचना का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़कों का कार्य एस.पी.एस. और राइजिंग मेन सहित सीवरेज प्रणाली, जलापूर्ति लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। बाहरी नाले और भूमिगत टैंक का कार्य प्रगति पर है और इनके क्रमशः जून, 2004 और दिसम्बर, 2004 तक पूरा होने की संभावना है।

1) वसन्त कुंज स्थित खेल परिसर

क) पॉकेट-2, सेक्टर-डी, वसन्त कुंज के पीछे :

चारदीवारी, क्रिकेट पिच, और टयूबवैल का कार्य पूरा हो चुका है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तरण-ताल का कार्य भी पूरा हो चुका है।

ख) पॉकेट 2 एवं 3, सेक्टर-डी वसन्त कुंज के मध्य:

लॉन टेनिस कोर्ट, बेडमिन्टन कोर्ट, बहु-व्यायामशाला, प्रशासनिक ब्लॉक, सुविधा ब्लॉक और स्केटिंग रिंग और स्कवॉश कोर्ट का कार्य पूरा हो चुका है।

II) वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव-वैविध्य पार्क

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दूर तक फैले रिज क्षेत्र के ऊपर और दक्षिणी दिल्ली में दिखाई देने वाले चट्टानी दृश्यांश वाले भाग पर दूसरा जैव-वैविध्य पार्क विकसित करने की योजना तैयार की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से वसन्त विहार के समीप वृहत क्षेत्र, जिसे मुरादाबाद पहाड़ी और कुसुमपुर पहाड़ी के नाम से जाना चाहता है, को अरावली जैव-वैविध्य पार्क विकसित करने के लिए चुना गया है।

क) अवस्थिति और स्थल की स्थिति

अरावली जैव-वैविध्य पार्क वर्तमान में वसन्त विहार और वसन्त कुंज के बीच लगभग 690 एकड़ (277 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। केन्द्र स्थल से स्थल के दक्षिणी छोर की ओर चट्टानी दृश्यांश भाग दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद पहाड़ी और कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र सहित पूरा क्षेत्र संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है यह स्थल लहरदार एवं ऊबड़-खाबड़, कीकर के पेड़ों और रिज की झाड़ियों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर एक पुरानी मस्जिद विद्यमान है। इसे मुरादाबाद पहाड़ी किलों के नाम से पुकारा जाता है।



ख) सम्पर्क मार्ग

इस स्थल पर उत्तर में बाहरी रिंग रोड से और पूर्व की ओर से वसंत विहार में पूर्वी मार्ग से पहुंचा जा सकता है। छावनी क्षेत्र स्थल की पश्चिम चारदीवारी के रूप में है।

ग) विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति

1) चारदीवारी का निर्माण

क) स्थल पर एक मीटर उंची पत्थर की दीवार और उस पर एक मीटर ऊंची हाई चैन लिंक फेंसिंग करके 3 कि.मी. लम्बी चारदीवारी पहले ही बनायी जा चुकी है।

ख) शेष 4 किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। आज तक लगभग 3700 मीटर दीवार का कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य अप्रैल, 2004 में पूरा कर लिया जाएगा।

2) प्रदर्शन (इंटरप्रिटेशन केन्द्र का निर्माण)

निदेशक (भूदृश्यांकन) दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के परामर्श से विवरण तैयार कर रहे हैं।

3) पैदल सैर करने का रास्ता (वाकवे)/पगडण्डी और अन्य कार्य।

iii) शॉपिंग माल

शॉपिंग माल दक्षिणी दिल्ली के केन्द्र में नेलसन मण्डेला रोड पर ग्रेण्ड होटल के समीप स्थित है। यह वसंत कुंज फेज-2 की समग्र योजना का भाग है, जिसको 92 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाने की योजना है। दिनांक 15.12.2003 को 6 प्लॉटों की नीलामी की चुकी है।

8.4.6 जसोला

यह परियोजना दक्षिण दिल्ली में सरिता विहार के निकट 160.21 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है और लगभग 40,000 जनसंख्या के लिए नियोजित है। इस परियोजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. सकल आवासीय क्षेत्र	100.77 हेक्टे.
ii. व्यावसायिक केन्द्र	19.44 हेक्टे.
iii. सुविधा केन्द्र	12.00 हेक्टे.
iv. मुख्य योजना हरित क्षेत्र	28.00 हेक्टे.



द्वारका स्थित शॉपिंग माल

सकल आवासीय क्षेत्र विवरण

मौजूदा गाँव	6.00 हेक्टे.
समूह आवास पॉकेट	28.85 हेक्टे.
प्लॉटिड समूह	26.92 हेक्टे.
पार्क और सुविधाएं	22.20 हेक्टे.
सड़कें	16.80 हेक्टे.
कुल	100.77 हेक्टे.

केवल विवादाधीन अथवा अतिक्रमणाधीन भूमि को छोड़ कर शेष भूमि पर विकास कार्य पूरा हो चुका है।

1) जसोला स्थित खेल परिसर

टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल मैदान, हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बहु व्यायामशाला, सुविधा ब्लॉक, तरण ताल, प्रशासनिक ब्लॉक और स्कवॉश कोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। परिसर में “भुगतान करो और खेलो” सुविधा शुरू कर दी गई है।

2) जसोला स्थित जिला केन्द्र

इस जिला केन्द्र (पहले यह मीडिया केन्द्र के नाम से जाना जाता था) का कुल क्षेत्र 19.43 हेक्टेयर है। यह परियोजना दक्षिणी दिल्ली में स्थित है और पूर्व में रोड सं. 13ए से, पश्चिम में जिला पार्क, उत्तर में जसोला खेल परिसर और दक्षिण में मथुरा रोड से घिरा हुआ है। सेवाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:

सड़कें : कार्य पूरा हो चुका है।
जल आपूर्ति : पानी की लाइन बिछा दी गयी है। आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह कार्य जुलाई, 04 तक पूरा हो जाएगा।
बरसाती नाला : कार्य दे दिया गया है और अक्टूबर, 04 तक पूरा हो जाएगा।

जल-मल : कार्य पूरा हो चुका है।
व्ययन प्रणाली

8.5 विशेष मुख्य परियोजनाएं/खेल परिसर

दि.वि.प्रा. ने विकास के एक भाग के रूप में कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2003-04 के दौरान दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित विशेष / मुख्य परियोजनाएं शुरू की हैं।

क) वर्ष 2003-04 के दौरान पूरी की गई विशेष मुख्य परियोजनाएं :

- विकास सदन फेज-2 के आस-पास परिचालन क्षेत्र का सुधार।
- अवन्तिका और पूठ कलां में झीलों का विकास।
- बेला रोड (फेज 1 और 2) में हनुमान मन्दिर का विकास।

ख) विशेष मुख्य परियोजनाएं, जिनमें कार्य चल रहा है :

- नरेला स्थित समन्वित भाड़ा परिसर।
- गाजीपुर, पॉकेट-सी स्थित समन्वित भाड़ा परिसर।
- यमुना नदी तट विकास पॉकेट-3, फेज-1।



अनुबंध - "क"

पैरा 8.4 में दी गई मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति सारणी के अनुसार निम्नलिखित है:-

क) योजनाओं में दी जाने वाली सेवा की कुल मात्रा

ख) 31.3.2003 तक दी गई सेवाएँ

ग) 31.3.2004 तक दी गई सेवाएँ

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल-हैक्टेयर में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जल आपूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में	विद्युत
द्वारका फेज-I	1862	क ख ग	101.35 101.35 —	59.30 59.30 —	79.925 79.925 —	150.00 150.00 —	दि.वि. बोर्ड का कार्य चल रहा है
द्वारका फेज-II	2098/1014	क ख ग	73.948 42.00 44.00	57.762 26.00 26.00	59.82 27.32 27.32	111.80 45.50 49.36	दि.वि. बोर्ड का कार्य चल रहा है
नरेला	7282/750	क ख ग	90.90 33.60 74.26	33.00 32.00 32.00	33.00 28.00 28.00	79.00 60.00 60.00	दि.वि. बोर्ड का कार्य चल रहा है
धीरपुर	194.50	क ख ग	7.70 2.80 5.80	6.00 — —	6.00 — —	10.00 — —	
रोहिणी फेज-III	1000/700	क ख ग	168.00 165.50 165.60	26.60 26.60 —	55.00 55.00 —	83.00 83.00 —	दि.वि. बोर्ड का कार्य चल रहा है
रोहिणी फेज-IV और V	4000/575	क ख ग	22.15 1.00 18.50	9.827 — 3.80	12.60 — 11.50	—	
वसंत कुंज फेज-II	315/92	क ख ग	5.75 5.75 —	3.90 3.90 —	7.76 7.76 —	4.30 1.20 2.15	
जसोला	160.21	क ख ग	17.25 12.50 17.25	14.50 10.00 14.50	19.40 15.25 19.40	15.00 14.00 15.00	



- iv) जसोला में जिला केन्द्र।
- v) जिला केन्द्र, भीकाजी कामा प्लेस का सुधार एवं नवीकरण।
- vi) जमरूदपुर में समाज सदन का सुधार एवं नवीकरण।
- vii) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला लिंक रोड।
- viii) दक्षिण दिल्ली को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला पहुंच मार्ग
- ix) तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास हरित क्षेत्र का विकास।
- x) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस के समीप आस्था कुंज का विकास।
- xi) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का सुधार।
- xii) ई-ब्लाक, मस्जिद मोठ में स्थानीय बाज़ार केन्द्र का सुधार।
- xiii) झड़ौदा माजरा एवं वजीराबाद में यमुना जैव-वैविध्य पार्क का विकास।
- xiv) मधुबन चौक, रोहिणी में क्षेत्रीय कार्यालय भवन।
- xv) मथुरा रोड को निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से जोड़ने वाले बारापुल्ला नाला के साथ लिंक रोड।
- xvi) अ.रा. बस अड्डा, सराय काले खान, फेज़ 2 के निकट मिलेनियम पार्क।
- xvii) शास्त्री पार्क में प्लाट स. 17 पर सम्मेलन केन्द्र।
- xviii) सी.बी.डी. शाहदरा में 46 है. भूमि का विकास।
- xix) निगम बोध घाट का उन्नयन / सुधार।
- xx) पालम नाले को ढकना।
- xxi) 91 बाज़ार परिसरों का उन्नयन।

ग) 2003-04 के दौरान पूरी की गई खेल गतिविधियां

- i) पाकेट 2, सैक्टर डी, वसन्त कुंज के पीछे खेलकूद केन्द्र : शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तरणताल।
- ii) पाकेट 2 एवं 3, वसन्त कुंज के बीच सैक्टर डी में खेलकूद केन्द्र : स्क्वॉश कोर्ट।
- iii) हरिनगर खेल परिसर में स्क्वॉश कोर्ट को दोबारा बिछाना।
- iv) प्रसाद नगर में बहुव्यायामशाला।
- v) सुभाष नगर में बहुव्यायामशाला।
- vi) जसोला खेल परिसर में स्क्वॉश कोर्ट।
- vii) सीरी फोर्ट में गोल्फ ड्राइविंग रेंज का सुधार।
- viii) साकेत में स्क्वॉश कोर्ट का सुधार।
- ix) कुतुब गोल्फ कोर्स में क्लब बिल्डिंग का सुधार।

- x) हरी नगर (एन.एच.पी.) में खेल परिसर, प्रताप नगर : स्वीमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट।
- xi) मानसरोवर गार्डन में बहुव्यायामशाला।
- xii) जिला पार्क, हौज़ खास में स्केटिंग रिंग।
- xiii) कल्याण विहार में बहुव्यायामशाला।
- xiv) अशोक विहार खेल परिसर में क्रिकेट ग्राउन्ड।
- xv) पीतमपुरा खेल परिसर में एरोबिक हाल।
- xvi) पीतमपुरा खेल परिसर में इन्डोर बैडमिन्टन हाल।

घ) जारी खेल गतिविधियां

- i) पाकेट 2 एवं 3 के बीच वसन्त कुंज सैक्टर डी में खेल परिसर : टेनिस कोर्ट।
- ii) सैल्वेज पार्क, मायापुरी में बहुव्यायामशाला।
- iii) सीरीफोर्ट में स्वीमिंग पूल का सुधार।
- iv) सीरीफोर्ट में कंक्रीट सर्फेस लॉन टेनिस कोर्टों का सिंथेटिक सर्फेस कोर्टों में परिवर्तन।
- v) पीतमपुरा में खेल परिसर : स्वीमिंग पूल।
- vi) साकेत में खेल परिसर : कवर्ड बैडमिन्टन हॉल, कंक्रीट सर्फेस टेनिस कोर्टों का सिंथेटिक सर्फेस कोर्टों में परिवर्तन।
- vii) द्वारका खेल परिसर में स्वीमिंग पूल।

8.6) उद्यान कार्यों का विकास / रखरखाव

दि.वि.प्रा. ने हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया है, जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं। दि.वि.प्रा. देश में हरित क्षेत्र की बेहतर प्रणाली का विकास करने का दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा. ने लगभग 16000 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया है - जिसमें नगर वन, वन भूमि, हरित पट्टियां, जिला पार्क, ज़ोनल पार्क, समीपवर्ती पार्क और रिहायशी कालोनियों में स्थित लघु भू-खण्ड शामिल हैं।

8.7 नए महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.7.1 फ्लाई ओवर

जनसंख्या में वृद्धि (स्थानीय एवं प्रवासी) होने और निजी वाहनों के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने के कारण सड़कों पर यातायात बढ़ गया है। आन्तरिक रिंग रोड जैसी व्यस्त सड़कों के चौराहों पर यातायात जाम होने से सड़कों का प्रयोग करने वालों को बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, इससे प्रदूषण का स्तर और व्यर्थ ईंधन पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाती है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए फ्लाई ओवरों के निर्माण का कार्य दि.वि.प्रा. द्वारा किया जाए।

निम्नलिखित फ्लाई ओवरों का कार्य दि.वि.प्रा. को सौंपा गया है और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लॉनों का विकास (एकड़ में)		बाल-उद्यानों का विकास (संख्या में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2003-2004	4.60	4.69	298.10	188.59	48	40



क्र. अवस्थिति सं.

वर्तमान स्थिति

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं रोड न. 13ए सरिता विहार
1. मुख्य फ्लाई ओवर
2. क्लोवर लीफ
पूरा किया जा चुका है
फरवरी 2001
31.12.2004
2. नेल्सन मंडेला मार्ग, महारौली महीपाल पुर मार्ग का चौराहा
पूरा किया जा चुका है
(जुलाई 2001)
3. जेल रोड - मायापुरी रोड का चौराहा
पूरा किया जा चुका है
(फरवरी 2002)
4. रिंग रोड का चौराहा-वजीरपुर डिपो में रोड न. 41
पूरा किया जा चुका है
(मार्च 2002)
5. विकास मार्ग - रोड न. 57
पूरा किया जा चुका है
(जुलाई 2002)
6. वजीराबाद रोड - रोड न. 66
पूरा किया जा चुका है
(मई 2003)
7. राष्ट्रीय राजमार्ग - 24 एवं नोएडा मोड़
1. मुख्य फ्लाई ओवर
2. क्लोवर लीफ (34%)
पूरा किया जा चुका है
(नवम्बर 2003)
31.10.2004
8. रिंग रोड - सराय काले खां के लिए प्रवेश मार्ग
पूरा किया जा चुका है
(नवम्बर 2003)
9. रिंग रोड का चौराहा - राष्ट्रीय राजमार्ग 24
पूरा किया जा चुका है
(सितम्बर 2003)
10. पंखा रोड पर दिल्ली-रेवाड़ी लाइन पर आर.ओ.बी. (43%)
31.10.2004
11. जी.टी. रोड चौराहे पर हाफ फ्लाई ओवर-रोड न. 66 सब वे सहित (31%)
31.12.2004
12. गाजीपुर भाड़ा परिसर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-24 बाईपास (46%)
31.10.2004
13. जोसिफ ब्रॉज टीटो मार्ग-लाला लाजपत राय मार्ग, सबवे सहित (29%)
30.11.2004
14. कैंट क्षेत्र के द्वारा द्वारका को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाला पहुँच मार्ग
31.03.2005
15. आई.जी.आई. एयरपोर्ट की दक्षिण सीमा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को द्वारका के साथ जोड़ने वाला लिंक रोड
30.09.2004
16. पालम नाले को ढकना
1. पहला केरिज-वे
2. दूसरा केरिज-वे
30.06.2004
30.06.2005

8.7.2 अ.रा.बस अड्डा, सराय कालेखां और भैरों मन्दिर मार्ग के बीच सहस्राब्दि पार्क का विकास

दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए अ.रा.बस अड्डे सराय कालेखां

से भैरों मन्दिर मार्ग तक मथुरा की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन और रिंग रोड के बीच की भूमि की सम्पूर्ण पट्टी का भू-दृश्यांकन करने का निर्णय लिया गया है, जो एक समय सेनेटरी लैंड-फिल साइट के रूप में प्रयोग की जाती थी। 59 एकड़ के इस पार्क की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:-

क. रिंग रोड के साथ-साथ पार्क की कुल लम्बाई - 2000 मीटर
ख. मार्गों की कुल लम्बाई - लगभग 5 कि.मी.

पार्क को हरा-भरा बनाने के लिए डॉ. सेन नर्सिंग होम मल-जल शोध. संयंत्र से शोधित जल का प्रयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड 0.1 एम.जी.डी.शोधित जल दि.वि.प्रा. को उपलब्ध कराने के लिए पहले ही सहमत हो गया है।

मुख्य विशेषताएं सेनेटरी लैंडफिल को हरे-भरे भू-दृश्यांकनों, एवेन्यू और मार्गों में परिवर्तित करना है, जिनका डिजाइन हुमायूं मकबरे को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो एक आकर्षक पृष्ठ भाग तथा जौगिंग ट्रैक का दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 6 कि.मी. है।

इस परियोजना का फेज-I पूरा हो चुका है और माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा दिनांक 17.6.2002 को इसका उद्घाटन किया जा चुका है। फेज-II का कार्य चल रहा है और जून-2004 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

8.7.3 विकास सदन के चारों तरफ परिचालन प्रणाली

चौकि दि.वि.प्रा. दिल्ली में एक अग्रगामी विकास एजेंसी है, इसलिए इसके प्रधान कार्यालय अर्थात् विकास सदन को आने वाली सड़कों/पहुँच मार्गों को सुधारने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली नगर निगम से इस कार्य को लेने के बाद इन सड़कों के सुधार का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और माननीय उपराज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। फेज-II पूरा हो चुका है। यह विकास सदन के आस-पास कलात्मक डिजाइन के रूप में है।

8.7.4 बरसाती पानी का संग्रहण

किसी भी प्रकार की आबादी का विकास होने पर पीने के पानी और अन्य उपयोग हेतु पानी की आवश्यकता की मांग बढ़ती है। स्थायी जल स्रोत के अभाव में अथवा जब बढ़ती हुई मांग पूरी करने में असमर्थता हो, तब वैकल्पिक स्रोत के रूप में मौजूदा भूमिगत पानी का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत पानी का संचयन विभिन्न साधनों से पुनर्उपयोग के प्राकृतिक संतुलन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे बरसाती पानी आदि का। भूमिगत पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए बरसाती पानी का संग्रहण करना महत्वपूर्ण होता है।

बरसाती पानी का संग्रहण करना सतत रूप से समाप्त होने वाले जल स्तर की भराई/आपूर्ति करने की एक आसान और प्रभावी विधि है, जिससे निकट और दूर भविष्य में एक विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. द्वारा पिछले कुछ वर्षों से इसके महत्व को महसूस किया गया है। दि.वि.प्रा. ने इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाई है और कई एजेंसियों जैसे-केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, इंटेक आदि को यह काम सौंपा



है ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन कर सकें, इन एजेंसियों से इन क्षेत्रों में जल की आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए जल संग्रहण के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है। संजय वन और वसंत कुंज में बरसाती पानी के संग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

कृत्रिम जल पूर्ति का उद्देश्य

- गिरते जल स्तर को बढ़ाने के लिए।
- मौजूदा आपूर्ति की अनुपूर्ति के लिए।
- मिट्टी के माध्यम से छान करके निकाले गए कचरे को हटाने के लिए।
- सूखे के समय में उपयोग हेतु आवर्ती जल अधिव्यय के भंडारण के लिए।

बरसाती पानी के संग्रहण के लाभ

- भूमि का जल स्तर उठेगा और बना रहेगा।
- पानी की कोटि सुधरती है।
- पानी में खारापन दूर होता है।
- स्व-पोषण का विकास होगा।

8.7.5 दोहरी जलापूर्ति प्रणाली

दोहरी जलापूर्ति प्रणाली में प्रत्येक इकाई को दो पृथक-पृथक जलापूर्ति प्रदान की जाती है। एक 'पेय जल' आपूर्ति लाइन होती है, जो रसोई और प्याऊ में बिछाई जाती है और केवल पीने और खाना बनाने इत्यादि के उपयोग में लाई जाती है। अन्य एक 'घरेलू जल' आपूर्ति है, जो शौचालय, स्नानगृह इत्यादि में की जाती है। इस प्रकार पेय जल की मांग केवल पेय जल की वास्तविक आवश्यकता होगी तथा तब और व्यापक उपाय, जो कि पेय जल हेतु अपेक्षित हो सकता है, वह जल की एक छोटी मात्रा को परिवर्तित कर देगा। घरेलू जल की आपूर्ति खुदे हुए कुंओं से /खुले कुंओं से अथवा अन्य उपलब्ध स्रोतों से की जाएगी। यह जल रोगाणु मुक्ति के लिए अवरोधन प्रदान करने के लिए भूमि स्तरीय भंडारण टैंकों में डाला जाएगा।

“वर्ष 2001-02” के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा लिए गए लगभग 10,000 मकानों में यह व्यवस्था की गई।

8.7.6 हनुमान मंदिर बेला रोड के आस-पास भूमि का पुनर्विकास

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार 'हनुमान मन्दिर' के आसपास की भूमि का पुनर्विकास कार्य दि.वि.प्रा. द्वारा शुरू किया गया था। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थल दि.न.नि. के नियंत्रणाधीन था और उस पर सीमेंट के गोदाम मौजूद थे। सीमेंट के गोदामों को हटा दिया गया है और स्थल को विकास कार्य के लिए खाली करा दिया गया है।

इस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए वास्तुकलात्मक ड्राइंगें प्रस्तुत करने के लिए परामर्शदाता के रूप में मैसर्स सुमित घोष को नियुक्त किया गया है। परामर्श दाता ने कथा मैदान, सामुदायिक/प्रदर्शनी हॉल, कैनोपी सहित स्टेज, बाजार सुविधाओं, पार्किंग इत्यादि के विकास को ध्यान में रखते हुए

एक प्रस्ताव बनाया है। परिसर को विकास 3 चरणों में किया गया है।

फेज-1 कथा मैदान की चार दीवारी, रेलवे पटरी के साथ-साथ घास लगाकर, क्षेत्र में प्रकाश करने, पार्किंग और अन्य सम्बन्धित कार्यों के द्वारा विकसित किया गया है। मंच पर पीछे की दीवार पर “भगवान हनुमान” का चित्र बनाया गया है। यह चित्र रंगीन कांच (सिरामिक) का बना हुआ है, जो “भगवान हनुमान सेतु” का सजीव वर्णन करता है।

फेज 2 : दूसरे फेज में, चारदीवारी में गेट का निर्माण किया गया और कथा कुंज स्थल पर मार्ग बनाया गया तथा मंच के आसपास रेलिंग बनाई गई है / बनाई जा रही है। कलकत्ता ब्रिज की ओर चारदीवारी का शेष भाग अभी तक निर्मित नहीं हो पाया है, क्योंकि रेल प्राधिकारियों ने उस भूमि को अभी तक खाली नहीं किया है, जहां पर कलकत्ता ब्रिज को चौड़ा करने का कार्य निर्माणाधीन है।

फेज 3 : तीसरे फेज में, प्रदर्शनी / समाज सदन और खरीददारी सुविधाओं के निर्माण को पूरा किया जाएगा। ड्राइंगें भी उपलब्ध कराई गई हैं परन्तु इसका निर्माण तभी किया जाएगा जब दूसरे फेज का कार्य पूरा हो जाएगा।

8.7.7 वसंत कुंज के निकट महरौली-महिपालपुर रोड पर सुल्तानगढ़ी मकबरे के संरक्षण परिसर का विकास

सुल्तानगढ़ी-मकबरा, जो सुल्तान इल्तुमिश के सुपुत्र सुल्तान नसीरुद्दीन महबूद का मजार है, महरौली - महिपालपुर रोड पर रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में (उर्फ मलिकपुर कोही) सन् 1236 ई. में बनाया गया था। माननीय केन्द्रीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा उल्लिखित क्षेत्र तथा उसके आस-पास के लगभग 25 हैक्टे. क्षेत्रफल का विकास करने का निर्णय लिया गया है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा विरासत ज़ोन में आता है और इस समय इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त परिसर का शिलान्यास भारत सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिनांक 25.9.2001 को किया गया। तदनुसार, मुख्य वास्तुकार ने क्षेत्र में कार्य करने के लिए विकास पर कार्य किया। चारदीवारी, रास्ते, नाले और प्रवेश गेट का कार्य पूरा हो



लाडो सराय में किला राय पिथौरा दीवार के आस-पास विकसित हरित क्षेत्र



गया है। उपर्युक्त क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी हैं:-

1. कैक्टस एवं सूक्यूलेंट पार्क
2. शिशु पार्क
3. ओपन एअर थिएटर
4. रोज गार्डन
5. उद्यान औषधीय वृक्ष पार्क
6. संरक्षण केन्द्र
7. एशिया विरासत केन्द्र

श्री रवीन्द्र पुन्डे को 25 एकड़ क्षेत्र के लिए भू-दृश्य वास्तुकार नियुक्त किया गया है। विस्तृत कार्य ड्राइंगों का कार्य परामर्शदाता द्वारा किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व निर्वेक्षण विभाग से स्कीम का अनुमोदन होने के पश्चात् आगामी दो माह के दौरान कार्य को किया जाएगा।

परियोजना की अनुमानित लागत 7.50 करोड़ रु.
पूरे होने की सम्भावित तिथि सितम्बर, 2004

8.7.8 व्यावसायिक केन्द्रों का सुधार

दि.वि.प्रा. ने अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 600 व्यावसायिक परिसरों का निर्माण/विकास किया है। दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित व्यावसायिक केन्द्रों में दक्ष/समुचित परिचालन और स्वास्थ्य पर पर्यावरण को बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली नगर निगम से व्यावसायिक केन्द्रों को वापिस लेने के पश्चात् उसका सुधार किया जाए।

फेज 1 में, 91 व्यावसायिक परिसरों (1 जिला केन्द्र, 15 समाज सदन, 54 स्थानीय बाजार केन्द्रों तथा 21 सुविधा बाजार केन्द्रों) का पुनर्विकास किया जाएगा और उसे 2004-05 के तीसरी तिमाही तक पूरा किया जाएगा।

फेज 2 में, 113 व्यावसायिक परिसरों (1 समाज सदन, 5 स्थानीय बाजार केन्द्रों और 107 सुविधा बाजार केन्द्रों) को दूसरी तिमाही में लिया जाएगा जिसके 2004-05 के चौथी तिमाही तक पूरा होने की सम्भावना है।

8.7.9 विरासत परियोजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पर्यावरण एवं शहर के विरासतीय स्वरूप को सुधारने के लिए अनेक विरासत परियोजनाएं आरंभ की हैं।

किला राय पिथौरा परिसर का संरक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका उद्घाटन उप प्रधानमंत्री (गृहमंत्री) द्वारा दिनांक 7.6.02 को कर दिया गया। इसी प्रकार, दिनांक 28.9.02 को गांव लाडो सराय में गुंबद पार्क का कार्य पूरा किया गया और सचिव (शहरी विकास) द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

निम्नलिखित परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है:-

- i) एंग्लो अरैबिक स्कूल, अजमेरी गेट - कार्य चल रहा है
- ii) रोशनारा रोड पर सत नारायण भवन - कार्य चल रहा है
- iii) इसके अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस रीगल लोज

का सुधार तथा नवीनीकरण का कार्य अपने हाथ में लिया गया है, जिसके लिए दि.वि.प्रा. द्वारा वित्त की व्यवस्था की गयी है।

8.7.10 ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण

हाल ही में दि.वि.प्रा. ने सुल्तान गद्दी-मकबरे के खंडहरों के संरक्षण का कार्य इन्टेक को सौंपने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

हौजखास की ऐतिहासिक झील का सुधार करने के लिए इन्टेक के सहयोग से एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम में झील की सफाई, एक पाइप लाइन द्वारा संजयवन से झील तक जल प्रवाह को जोड़ना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, उप-मृदा जल स्तर में वृद्धि जल की कोटि, हरियाली पर प्रभाव और पर्यावरण को तीन वर्ष की अवधि तक देखना शामिल हैं। अन्य संरक्षण परियोजनाएं हैं: मुरादाबाद पहाड़ी और तुगलकाबाद फोर्ट।

8.7.11 शहरी सड़कों का सुधार

शहरी सौंदर्यीकरण के एक भाग के रूप में जैसे-विकास सदन के चारों ओर के क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिए, दि.वि.प्रा. ने अब सुधार करने और पुनर्विकास करने हेतु निम्नलिखित अन्य क्षेत्रों को लेने की योजना बनाई है:-

- i) दिल्ली विश्व विद्यालय क्षेत्र में सेन्ट्रल लाइब्रेरी और आर्ट्स फैकल्टी के बीच में पहुँच मार्ग,
- ii) जोन एफ, दक्षिण दिल्ली में मैडिकल के चौराहे से लेकर आई.आई.टी. फ्लाई ओवर तक सड़क,
- iii) पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र के चारों ओर का क्षेत्र,
- iv) जनकपुरी मेन रोड,
- v) द्वारका में पंखा रोड से डाबरी को जाने वाली सड़क
- vi) वसन्त कुंज में सैक्टर बी एवं सी के बीच मुख्य सड़क।

8.7.12 भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास

92.00 हैक्टे. से भी अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई भलस्वा झील परिसर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। झील के पूरब की ओर 58 हैक्टे. भूमि दि.वि.प्रा. की है और 34 हैक्टे. भूमि डी.टी. डी.सी. की है। झील की तरफ सुविधाओं, जैसे - 8 किओस्कों, शैल्टरों, मार्गों और पाकों का विकास दि.वि.प्रा. द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

झील से लगा हुआ 46 हैक्टे. क्षेत्र 18 होल गोल्फ कोर्स के विकास हेतु निर्धारित है। दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल ने दिनांक 8.6.2001 को स्थल पर एक बैठक आयोजित की थी और इच्छा व्यक्त की कि गोल्फ कोर्स के विकास का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाए तथा यह भी निर्देश दिया कि 3 गोल्फ-होल्स का कार्य फेज-I के रूप में आरंभ किया जाए। इन तीन गोल्फ होल्स का विकास दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया और इसके बाद माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा दिनांक 13.1.03 को इसका उद्घाटन किया गया।



गोल्फ होल्स सं. 4, 5 एवं 6 का कार्य पूरा हो चुका है। 7, 8 एवं 9 होल्स के निर्माण हेतु निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और कार्य दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। सिंचाई की स्वचलित प्रणाली को भी अन्तिम रूप दिया गया है और मई 2004 तक निविदाओं को आमंत्रित करने की सम्भावना है। 6 होल्स के लिए ट्यूब वेल और जी.आई. पाइपलाइन नैटवर्क, ड्राइविंग रेंज की रेलिंग सहित चारदीवारी और क्लब बिल्डिंग पूरी हो चुकी है। सम्प के साथ सिंचाई प्रणाली, इन होल्स के आसपास रेलिंग सहित चारदीवारी 31.05.2004 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

8.7.13 झड़ौदा माजरा और वजीराबाद में यमुना जैव-विविधता पार्क का विकास

पर्यावरणीय सुधार हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण झड़ौदा माजरा और वजीराबाद के निकट यमुना नदी घाटी के साथ-साथ एक जैव-विविधता पार्क का विकास कर रहा है। यह जैव-विविधता पार्क भारत में अपने प्रकार का प्रथम पार्क होगा। यह दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के आदेश से विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में बाहरी रिंग रोड से झड़ौदा माजरा और वजीराबाद की तरफ आसानी से पहुँचा जा सकता है। पार्क का विकास



खरीददारी परिसर, वसंत कुंज

विभिन्न फेजों में किया जाएगा। इस समय दि.वि.प्रा. फेज-I में 157 एकड़ भूमि पर जैव-विविधता पार्क का विकास कर रहा है। इस परियोजना का अवलोकन, विकृत नदी घाटी, इसके भू-जल और नदी तलहटी की जलीय विशेषताओं के संरक्षण के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

पार्क का विकास दिल्ली विश्व विद्यालय के वनस्पति विभाग के परामर्श से किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के अध्यक्ष, प्रो. सी.आर. बाबू के अनुसार पार्क उच्च-स्तरीय संरक्षण-महत्व होगा, क्योंकि इस पार्क में अनेक पारिस्थितिकियाँ उपलब्ध होंगी। इसमें अनेक प्रकार के उन पेड़-पौधों और जीव जन्तुओं का संरक्षण होगा जो जीवन के संकट से गुजर रहे हैं। इस पार्क का उच्च शैक्षिक महत्व होगा और पारिस्थितिक-पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

इस प्रकार का विकास निम्नलिखित 5 फेजों में किया जाएगा:-

- i) फेज-I: स्थल विकास - 2003-05
- ii) फेज-II: स्थलीय पारिस्थितिक व्यवस्था का संस्थापन और स्टाफ की भर्ती - 2003-07
- iii) फेज-III: तराई-क्षेत्र का विकास - 2003-05
- iv) फेज-IV: संरक्षणालयों की स्थापना - 2004-07
- v) फेज-V: प्रकृति-व्याख्यात्मक केन्द्रों की संस्थापना - 2005-07

निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए:

- 3 पोली-हाऊस की व्यवस्था कराना एवं लगाना।
- 1 नैट-हाऊस की व्यवस्था कराना एवं लगाना।
- 2 बांस के शेडों की व्यवस्था कराना एवं लगाना।
- ट्यूब वेल की बोरिंग एवं पम्प हाऊस का निर्माण।
- बिना छने हुए पानी की आपूर्ति हेतु जी.आई. पाइपलाइन बिछाना।
- चारदीवारी का निर्माण।
- फुटपाथ (मुख्य मार्ग) का निर्माण।
- कार्यालय परिसर / सम्मेलन भवन का निर्माण।
- एम.एस. ग्रील सहित रैन्डम रबल मैसनरी बाऊन्ड्री वाल का निर्माण।
- जलाशय का निर्माण।
- रास्ते (लूप मार्ग) का निर्माण।

कार्य जिनका अप्रैल, 2005 तक पूरा होने की सम्भावना है।

- जलाशय (अतिरिक्त) का निर्माण।
- पार्किंग का निर्माण।
- पुलों का निर्माण।
- वृक्षारोपण।
- कैफेटेरिया।

8.7.14 नेहरू प्लेस में आस्था कुंज

दिल्ली के नगर दृश्य को बढ़ावा देने के लिए दि.वि.प्रा. ने बहाई/कालकाजी और हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के बीच नेहरू प्लेस से सटे अपने जिला पार्क में “आस्था कुंज” नामक राष्ट्रीय महत्व के व्यापक हरित क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

क) पार्क का कुल क्षेत्रफल 81 हैक्टेयर (200 एकड़)

ख) से पहुंच

- i) बाहरी रिंग रोड दक्षिणी तरफ
- ii) राजा धीर सैन मार्ग उत्तरी तरफ
- iii) कैप्टन गौड़ मार्ग पूर्वी तरफ

ग) पार्क की मुख्य विशेषताएं -

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं और पार्किंग सहित सुंदर प्रवेश प्लाज़ा।





गुम्बद पार्क, लाडो सराय

- प्लाज़ा, फूड कार्नेस व लेक-साइड सुविधाओं सहित शहरी पार्क।
- समीपवर्ती सुविधाएं जैसे बच्चों के खेलने की जगह, सीनियर सिटिज़न कार्नेर, जोगिंग ट्रैक और फिटनेस ज़ोन।
- उत्सव में एकत्रित होने का क्षेत्र, बड़े समारोह स्थल सहित, योगा के लिए ध्यान-योग स्थल, प्रवचन हेतु स्थल।
- सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें सांस्कृतिक प्लाज़ा, अभिनय क्षेत्र और एम्पी थिएटर होगा।
- पारिस्थितिक कारिडोर, जिसमें नेचर ट्रेल्स सहित “लोरा ऑफ़ वैलथ, पैसिव रीक्रिएशन एरिया इत्यादि होंगे।
- अन्य सुविधाओं में शामिल हैं, स्मारिका, दुकानें, बुक स्टाल, सार्वजनिक उपयोगिताएं, रेस्टोरेंट और पौधों को बेचने की दुकानें।

घ) परियोजना की सम्भावित लागत 40 करोड़ रु.

ड.) परियोजना के पूरा होने का सम्भावित समय अगस्त, 2005

कार्य की वर्तमान स्थिति

- बी/वाल ग़िल फेंसिंग (7 कि.मी. लम्बी) कार्य प्रगति पर है। मई 2004 तक पूरा होने की सम्भावना है।
- नेहरू प्लेस की तरफ प्रवेश प्लाज़ा (2) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अप्रैल 2004 तक पूरा होने की सम्भावना है।
- शेष प्रवेश प्लाज़ा (4) शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
- लान क्षेत्रों में वाक-वे और फिलिंग वर्क अप-अर्थ का विकास निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और सितम्बर 2004 तक पूरा हो जाएगा।
- ओखला शोधन संयंत्र से आस्था कुंज स्थल तक कनवेयन्स ऑफ़ ट्रीटिड एफ्लूएन्ट (लगभग 2.5 कि.मी) जुलाई 2004 में प्रेस में निविदा आमंत्रण सूचना भेजी जाएगी।

vi) अण्डर ग्राउन्ड टैंक सहित पी/एल स्प्रेक्लर/सिस्टम पम्प हाऊस व सहायक कार्य। 2004-05 की पहली तिमाही में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

vii) 6 जल निकायों का विकास 2004-05 की दूसरी तिमाही में कार्य लिया जाएगा।

viii) विभिन्न भवन संरचनाओं का निर्माण कार्य 2004-05 की दूसरी तिमाही में शुरू हो जाएगा।

8.7.15 दि.वि.प्रा. से दि.न.नि. / दिल्ली जल बोर्ड को सेवाओं का अन्तरण

विकास एजेंसी होने के कारण दि.वि.प्रा. अपने क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है और उनके रखरखाव के नगर-निकाय होने के कारण दि.न.नि. / दिल्ली जल बोर्ड को सौंप देता है। इस प्रक्रिया में पहले से विभिन्न कालोनियों की सेवाएं दि.न.नि. को अन्तरित की जाती रही हैं।

फिलहाल 382 कालोनियों और 163 कालोनियों की सेवाओं को सौंपे जाने का कार्य प्रक्रिया के अधीन है। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क) दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को 382 (वास्तव में 348) कालोनियों की सेवाओं को सौंपना:

2003-04 के दौरान, 382 (वास्तव में 348) कालोनियों के लॉट में से शेष 8 कालोनियों की सेवाओं को दि.न.नि. को सौंपा गया। शेष 340 कालोनियों की सेवाओं को 31.03.2003 तक 8 लॉटों में पहले ही सौंपा जा चुका है।

ख) 163 (वास्तव में 136) कालोनियों की सेवाओं को दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को सौंपना:

वर्ष 2001 के दौरान उपर्युक्त कालोनियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई। 2003-04 के दौरान, दि.न.नि. को सौंपे जाने वाली सेवाएं जैसे सीवरेज ड्रेन, सड़कों, पार्कों, लघु भूखण्ड और पथ प्रकाश के लिए एक संयुक्त निरीक्षण पूरा किया गया, कम अनुमानों को निपटाया, भुगतान किया गया। 26.03.2004 को दि.न.नि. द्वारा इसका कार्यालय आदेश भी जारी किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड को सौंपे जाने वाली 136 कालोनियों के सीवरेज और जलापूर्ति को सौंपे जाने के लिए कुछ कालोनियों का संयुक्त निरीक्षण किया गया और कमी-राशि को भी निपटाया/भुगतान किया गया। कुछ नीति संबंधी विवादित मुद्दों के कारण प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका। उसे सुलझाने के लिए सी.ई.ओ., दि.ज.बोर्ड और उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के बीच बैठक आयोजित की गई। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पदनामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होने के पश्चात् सितम्बर, 2004 तक सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपर्युक्त कालोनियों के सीवरेज/जलापूर्ति प्रणाली को सौंपा जाएगा।



उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने वाली कालोनियों के अन्य लघु भूखण्डों का भी पता लगाया गया है तथा दिनांक 15.03.2004 को

146 कालोनियों की सूची मुख्य अभियन्ता (आर.जेड) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियों को पहले ही भेजी जा चुकी है।

8.7.16 वर्ष 2003-04 के लिए व्यय संबंधी विवरण पत्र (रू. लाखों में)

क्र.सं.	जोन	नजूल खाता-1	नजूल खाता-2	सामान्य विकास खाता	अन्य	कुल व्यय	संशोधित बजट अनुमान 2003-04
I	पूर्वी जोन	248.13	7058.49	7768.96	शून्य	15075.58	16058.80
2	उत्तर जोन	472.27	4518.75	5117.47	शून्य	10108.49	14772.80
3	द्वारका जोन	शून्य	7707.77	8883.77	शून्य	16591.54	20957.45
4	दक्षिण जोन	423.55	5561.40	2671.76	शून्य	8656.71	11195.75
5	दक्षिण पूर्वी जोन	20.71	7913.78	2935.29	शून्य	10869.78	13215.25
6	रोहिणी जोन	शून्य	4947.44	3079.99	शून्य	8027.43	10198.00
7	फ्लाई ओवर ग्रुप-1	शून्य	शून्य	शून्य	1741.59	1741.59	2265.00
8	फ्लाई ओवर ग्रुप-2	शून्य	शून्य	शून्य	3206.92	3206.92	3491.00
	कुल	1164.66	37707.63	30457.24	4948.51	74278.04	92153.55





मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र का एक दृश्य

9.1 दिल्ली मुख्य योजना 2021 (मुख्य योजना और नीति समीक्षा इकाई)

योजना को उसके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना दि.वि.प्रा. की दक्षता को दर्शाता है। दिल्ली के लिए नई मुख्य योजना की तैयारी आधारीक वास्तविकता पर आधारित होगी, जो सही समय पर किए गए सर्वेक्षणों और सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों के ज्ञान से प्रकट होगी। 2003-04 में मुख्य योजना और नीति समीक्षा इकाई द्वारा पूरे किए गए कार्य निम्नलिखित हैं:-

आंकड़ों का एकत्रीकरण, सर्वेक्षण एवं प्रस्तुतीकरण, ले-आउट नक्शों का एकत्रीकरण, दिल्ली मुख्य योजना 2001 में भूमि उपयोग संशोधनों का परिवर्तन।

आंकड़ों का विश्लेषण

उप समूहों की बैठकें

क) रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने के लिए इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उप-समूहों की बैठकें आयोजित की गईं।

- विकास नियन्त्रण - उप समूह द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- परिवहन - उप समूह द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
- पर्यावरण - उप समूह द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ख) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित उप समूह की बैठकें आयोजित की गईं।

वास्तविक आधारीक संरचना - अगस्त 2003 में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विस्तृत विचार-विमर्श/प्रस्तुतीकरण किया गया। दिल्ली मुख्य योजना 2021 में जोड़े जाने वाले आधारीक नक्शों की तैयारी के लिए उपाध्यक्ष द्वारा एक पत्र सम्बन्धित स्थानीय निकायों को भेजा गया है।

9.2 दिल्ली मुख्य योजना 2021 के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिशा निर्देश

दिल्ली मुख्य योजना 2021 की तैयारी के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों को वेबसाइट के द्वारा प्रचारित किया गया और लगभग 3500 रैजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों, व्यावसायिकों, चुने हुए जन प्रतिनिधियों इत्यादियों को बहुत सी पुस्तिकाएं दी गईं। जनता से

लगभग 76 ई-मेल और 1427 पत्र, टिप्पणियों/सुझावों के रूप में प्राप्त किए गए। इनका अध्ययन किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार्यात्मक पहलुओं पर गठित उप समूह द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा।

माननीय उप राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान विचार-विमर्श, उप समूह और किए गए विभिन्न अध्ययनों/विशेष अध्ययनों की रिपोर्टों पर आधारित ड्राफ्ट दिल्ली मुख्य योजना-2021 प्रस्तावों की तैयारी।

लैंड-प्लानिंग तकनीक - अध्ययनकार्य पूरा हो गया है और अगस्त 2003 में ए.एम.डी.ए. द्वारा उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

आर्थिक गतिविधियां और रोजगार अवसर योजना - ए.आई.यू.ए. द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

एम.आर.टी.एस. और अन्य मुख्य परिवहन मार्गों के साथ आबादी बसाना - एस.पी.ए. द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

परम्परागत पुराने निर्मित क्षेत्रों का पुनर्विकास - एस.पी.ए. से प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

डी.एम.आर.सी. एवं डी.डी.ए. द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन किया जा रहा है - अ.रा. बस अड्डे के साथ के क्षेत्र का पुनर्विकास - तीस हज़ारी एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर - अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उपाध्यक्ष/ उपराज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए तकनीकी उप समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया।

दिल्ली मुख्य योजना 2021 हेतु धारिता क्षमता अध्ययन को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

• ले-आउट प्लान का एकत्रीकरण, भूमि उपयोग का परिवर्तन, दिल्ली मुख्य योजना 2001 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु मौजूदा भूमि उपयोग प्लान ड्राफ्ट।

क) विविध कार्य

ख) समुचित समन्वय के लिए एन.सी.आर. योजना बोर्ड में ड्राफ्ट दि.मु.यो.-2021 का प्रस्तुतीकरण और विचार विमर्श। 01.04.2003 से 31.03.2004 तक राजस्व, भवन परमिटों, संघटन शुल्क और परिधीय प्रभारों के रूप में नीलामी क्रेताओं/आर्बिट्रितियों से 9,84,34,480/- रु. की राशि प्राप्त की।



9.3 भवन अनुभाग

क्र. सं.	एकक का नाम	संस्वीकृति	बी-1	अनन्तिम अधिभोग प्रमाण पत्र	एन.ओ.सी./ ओ.सी.	पुनर्वेधीकरण	सी फार्म	डी फार्म
1.	आवासीय	215	78	शून्य	157	23	शून्य	1
2.	रोहिणी	462	19	1	18	शून्य	शून्य	शून्य
3.	व्यावसायिक	209	73	1	90	4	शून्य	शून्य
4.	औद्योगिक	17	3	शून्य	23	शून्य	शून्य	शून्य
5.	सांस्थानिक	62	13	1	15	2	शून्य	शून्य
6.	ले-आउट	34	45	16	34	3	शून्य	शून्य
	कुल	899	231	19	237	32	शून्य	1

9.4 द्वारका परियोजना

द्वारका परियोजना 5648 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली है। इस क्षेत्र के 3 भाग हैं - निर्मित क्षेत्र, फेज 1 एवं फेज 2, इन दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 1688 है., 1964 है., 1996 है. क्षेत्र हैं। निर्मित क्षेत्र गांव इत्यादि वाला है। जबकि फेज 1 एवं फेज 2 की योजना दि.वि.प्रा. द्वारा की गई है। फेज 1 की योजना और विकास लगभग पूरा है और फेज 2 में कुछ भूमि को हाल ही में अधिग्रहित किया है। द्वारका परियोजना एक मिलियन जनसंख्या के लिए नियोजित की गई है। द्वारका परियोजना हेतु किया गया योजना कार्य निम्नलिखित है।

9.4.1 द्वारका के पहुंच मार्ग की योजना

- छावनी क्षेत्र से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-8 और द्वारका के बीच प्रस्तावित 45 मीटर सड़क को दि.वि.प्रा. तकनीकी समिति और उसके बाद दिल्ली नगर कला आयोग की स्वीकृति मिली।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-8 और द्वारका के बीच एक लिंक रोड को रेल अण्डर पास के सहित 60 मी. मार्गाधिकार के साथ दि.वि.प्रा. तकनीकी समिति द्वारा पहले अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस लिंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 तक 100 मी. मार्गाधिकार के साथ बढ़ाने का प्रस्ताव है। दि.वि.प्रा. तकनीकी समिति के विचार-विमर्श के लिए एक संरेखण योजना तैयार की गई है।
- बाराखम्बा नजफगढ़ रूट (लाईन न. 3) के विस्तार के रूप में द्वारका के अन्दर प्रस्तावित डी.एम.आर.सी. कारिडोर के विकास के लिए डी.एम.आर.सी., राइट्स, रेलवे और एयरपोर्ट प्राधिकरण के साथ समन्वय।

9.4.2 लोकनायक पुरम स्कीम (बकरवाला)

लोकनायक पुरम में दि.वि.प्रा. भूमि की बेहतर सम्पर्कता के लिए नांगलोई से नजफगढ़ तक 30 मी. चौड़े रोड की संरेखण योजना को तैयार किया गया। विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित तकनीकी समिति के विचारार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 तक 100 मी. मार्गाधिकार रोड का विस्तृत संरेखण तैयार किया गया।

9.4.3 विस्तृत विकास योजनाएं

सैक्टर 19 फेज 2 (भाग), सैक्टर 23 फेज 2, सैक्टर 24, सैक्टर 25 एवं 26 वाले द्वारका फेज-2 के लिए हाल ही में अधिग्रहित की गई भूमि हेतु सैक्टर प्लान तैयार किया गया और दि.वि.प्रा. स्क्रीनिंग कमेटी से उसे अनुमोदन मिला। विस्तृत व्यवहार्यता सीमांकन और कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग विंग को प्लान जारी कर दिया गया है।

9.4.4 कब्जा प्लान

दि.वि.प्रा. भूमि निपटान शाखा की आवश्यकतानुसार लगभग 108 कब्जा प्लान, सी.जी.एच.एस., स्कूलों, सामुदायिक कमरों, पुलिस, डिस्पेंसरी, अस्पताल, धार्मिक सुविधाओं, वैकल्पिक प्लांटों इत्यादि को भूमि का आबंटन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

9.4.5 भौतिक सर्वेक्षण

द्वारका फेज 1 एवं 2 में निपटान/योजना आवश्यकताओं के अनुसार सी.जी.एच.एस., सांस्थानिक, आवासीय, व्यावसायिक वाले बड़ी संख्या के पाकेटों के लिए एवं सड़कों इत्यादि के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण पूरा हुआ है।

9.4.6 सैक्टर 20 द्वारका में भारत वन्दना की वैचारिक योजना।
इस योजना को अन्तिम रूप देने के लिए योजना निवेश (इनपुट) उपलब्ध कराया गया।

9.4.7 अन्य परियोजनाएं

ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को अनुबन्धित करने, द्वारका के कूड़ा-करकट प्रबन्ध, द्वारका फेज-2 में समन्वित भाड़ा परिसर परियोजना, महानगर यात्री टर्मिनल परियोजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया शुरू की गई।

रेखीय (लीनियर) जिला केन्द्र सहित, द्वारका में व्यावसायिक पाकेटों की विस्तृत योजना एवं निपटान के लिए भूमि निपटान शाखा एवं एच.यू.पी.डब्ल्यू. की योजना प्रस्तुत की गई।

9.5 यातायात एवं परिवहन इकाई

यातायात एवं परिवहन इकाई, अन्य एजेन्सियों जैसे लोक निर्माण



विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, एन.एच.ए.आई., भूतल परिवहन मंत्रालय इत्यादि के साथ नगर में यातायात एवं परिवहन नीतियों की योजना के प्रति जिम्मेदार हैं।



रोहिणी में विकसित हरित क्षेत्र

सम्बन्धित परियोजनाएं

1. रिंग रोड और खेल गांव मार्ग (एन्ड्रयूस गंज)।
2. नेहरू प्लेस के पास बाहरी रिंग रोड।
3. सावित्री सिनेमा के पास बाहरी रिंग रोड।
4. रिंग रोड और अप्रीका एवेन्यू।
5. रिंग रोड और शान्ति पथ (मोती बाग)।
6. रिंग रोड और सरदार पटेल मार्ग (धौला कुंआ)।
7. रिंग रोड और अरविन्दो मार्ग (एम्स चौराहा)।
8. रिंग रोड और मथुरा रोड (आश्रम क्रासिंग)।
9. रिंग रोड और नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन)।
10. बाहरी रिंग रोड और रोड स. 41 (मधुबन चौक)।
11. कड़कड़डूमा चौक से गीता कालोनी - एक 2 स्तर की रोड।
12. गीता कालोनी और शान्तिवन को जोड़ता हुआ यमुना नदी के किनारे में फ्लाई ओवर।
13. शाहदरा सब - सी.बी.डी. को जी.टी.रोड से जोड़ता हुआ, रोड स. 58 के साथ अन्डरपास।
14. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 की सड़क संरक्षण योजना। तुलाराम मार्ग से गुड़गांव।
15. रोड न. 15 का संरक्षण।
16. नोएडा चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर क्लोवर लीफ।
17. विकास मार्ग के आई.टी.ओ. चुंगी चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर - ईस्ट मार्जिनल बांध रोड।
18. रानी झांसी रोड को संरक्षण योजना के साथ ग्रेड सैपरेटर।

19. ए-प्वाइंट/आई.टी.ओ. पर फ्लाईओवर।

20. डाबरी मोड़ पर फ्लाईओवर।

9.6 नरेला परियोजना

नरेला परियोजना 7365 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। 881 हैक्टेयर क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया है और आवास, व्यावसायिक, समन्वित भाड़ा परिसर, कैमिकल मार्किट, सार्वजनिक-अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, मनोरंजनात्मक, सर्कुलेशन, उपयोगिताओं, मुख्य योजना सड़कों इत्यादि के लिए नियोजित किया है। 4952 हैक्टेयर को अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। शेष लगभग 1532 हैक्टेयर क्षेत्र गांव, संरक्षित वन, डी.एस.आई.डी.सी., ए.आई.आर. खामपुर इत्यादि के अधीन है। वर्ष के दौरान इकाई द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित है:

1. सैक्टर ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4 में समूह आवास के लिए ले-आउट प्लान बनाए गए हैं और व्यवहार्यता के लिए भेजे गए हैं।
 2. यमुना पुश्ता से बवाना तक झुग्गी झोंपड़ी समूहों के पुनर्वास के लिए ड्राफ्ट कन्सैप्ट ले-आउट प्लान बनाया गया।
 3. सैक्टर ए-9, बी-4 और बी-6 में खाली भूमि पर झुग्गी झोंपड़ी समूहों के लिए ले-आउट प्लान बनाया गया।
 4. जी.टी. करनाल रोड से कैमिकल ट्रेडर्स तक पहुंच मार्ग के लिए 60 मी. मार्गाधिकार सड़क का संरक्षण प्लान बनाया गया।
 5. जी.टी. करनाल रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 तक 80 मी. मार्गाधिकार की संरक्षण योजना की मोनिटरिंग और कार्यान्वयन किया गया।
 6. ज़ोन पी का ड्राफ्ट ज़ोनल प्लान बनाया गया।
- निम्नलिखित 4 खाली पाकेटों में जे.जे. प्लाट के लिए ले-आउट प्लान बनाया गया है।

क) सैक्टर ए-9, पाकेट 1

ख) सैक्टर बी-4, पाकेट 11

ग) सैक्टर बी-4, पाकेट 13

घ) सैक्टर बी-6

9.7 रोहिणी परियोजना

रोहिणी परियोजना को 5 चरणों में विकसित किया गया है। फेज I, II एवं III पूरे हो चुके हैं और कार्यान्वित हो चुके हैं। फेज-I एवं II 1756 हैक्टेयर क्षेत्र में है और फेज-III 700 हैक्टेयर क्षेत्र में है। लगभग 2190 हैक्टेयर में फैले फेज-IV और V को योजना के लिए रखा गया है। रोहिणी परियोजना द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य निम्नलिखित हैं:-

1. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 4, ब्लॉक ए, सैक्टर 28, फेज-IV रोहिणी का ले-आउट प्लान।
2. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 5, ब्लॉक ए, सैक्टर 28, फेज-IV रोहिणी का ले-आउट प्लान।



3. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 6, ब्लॉक ए, सैक्टर 28, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
4. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 4, ब्लॉक सी, सैक्टर 28, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
5. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 4, ब्लॉक ए, सैक्टर 29, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
6. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 3, ब्लॉक ए, सैक्टर 29, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
7. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 1, ब्लॉक बी, सैक्टर 29, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
8. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 2, ब्लॉक बी, सैक्टर 29, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
9. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 1, ब्लॉक ए, सैक्टर 30, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
10. आवासीय (प्लॉटिड) पाकेट स. 1, ब्लॉक ए, सैक्टर 30, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
11. सी.एस./ओ.सी.एफ-3, पाकेट ई, सैक्टर 16, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
12. सी.एस./ओ.सी.एफ.6, पाकेट 10 के पास, ब्लॉक ई, सैक्टर 15, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
13. सी.एस./ओ.सी.एफ.5, ब्लॉक डी, सैक्टर 15, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
14. सी.एस./ओ.सी.एफ-8, सैक्टर-11 (एक्सटेंशन), रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
15. ब्लॉक एच, सैक्टर 15, रोहिणी में स्वास्थ्य केन्द्र के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
16. सी.एस./ओ.सी.एफ. ब्लॉक ई, सैक्टर 18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
17. सी.एस./ओ.सी.एफ. ब्लॉक, सैक्टर 16, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
18. ओ.सी.एफ. ब्लॉक एच, सैक्टर 18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
19. सी.एस./ओ.सी.एफ-2 ब्लॉक एच, सैक्टर 18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
20. सी.एस./ओ.सी.एफ-3 ब्लॉक, सैक्टर 18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
21. सी.एस./ओ.सी.एफ.4 ब्लॉक, सैक्टर 18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
22. सी.एस./ओ.सी.एफ.4 ब्लॉक, सैक्टर-18, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
23. सी.एस./ओ.सी.एफ-7 ब्लॉक, सैक्टर-24, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।
24. सी.एस./ओ.सी.एफ-2 ब्लॉक, सैक्टर-25, रोहिणी के सब-डिवीज़न का ले-आऊट प्लान।

25. सैक्टर 31, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
26. सैक्टर 32, फेज-IV रोहिणी का ले-आऊट प्लान।
27. स्थानीय बाजार सं-11, सैक्टर 7, रोहिणी में प्लॉट सं-1 से 10 के संबंध में कंट्रोल ड्राइंग।
28. पकेट-2, ब्लॉक सी, सैक्टर-27, फेज-IV रोहिणी में पुनर्वास का संशोधित ले-आऊट प्लान।
29. सैक्टर 26, रोहिणी के लिए संशोधित ले-आऊट प्लान।
30. स्लम पाकेट (शाहबाद डेयरी कालोनी, सैक्टर-26, फेज-IV रोहिणी के समीप) का ले-आऊट प्लान।
31. सड़क के 24 मी. मार्गाधिकार के स्थानान्तरण हेतु सैक्टर 29 के और कमान्ड टैंक (100 मी 175 मी.) फेज-IV रोहिणी के स्थान के ले-आऊट प्लान में संशोधन।
32. सैक्टर 26, फेज-IV, रोहिणी के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के स्थान में संशोधन।
33. पी.एस.पी. 4 सेवा केन्द्र, सैक्टर 11 एक्सटेंशन रोहिणी में व्यावसायिक प्लॉट की नीलामी।

9.8 यमुना पार क्षेत्र

यमुना पार क्षेत्र (ज़ोन ई) का क्षेत्रफल लगभग 8797 हेक्टेयर (लगभग) है। इसमें 2 मिलियन (अनुमानित) से अधिक जनसंख्या है। परियोजना द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित है:-

1. कड़कड़ूमा में 300 बीघा भूमि का ले-आऊट प्लान। 300 बीघा भूमि के अस्थायी ले-आऊट प्लान (हाल ही में अधिग्रहित सीता राम भण्डार ट्रस्ट भूमि) को तैयार किया गया और व्यवहार्यता के लिए भेजा।
2. चांद सिनेमा के पास सुविधा एवं बाज़ार केन्द्र हेतु ले-आऊट प्लान में संशोधन। सुविधा एवं बाज़ार केन्द्र (चांद सिनेमा के पास) हेतु एक ले-आऊट प्लान को परामर्शदाता द्वारा व्यवहार्यता के लिए स्थल की स्थिति के अनुसार संशोधित किया गया।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग 24, मयूर विहार फेज-2 में सेवा केन्द्र के ले-आऊट प्लान में संशोधन। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 में मयूर विहार फेज-2 में इस भूमि से जाने वाली 2 हाईटैशन लाईनों से सुरक्षित दूरी को ध्यान में रखते हुए सेवा केन्द्र के ले-आऊट प्लान को संशोधित किया गया। ड्राफ्ट प्लान को व्यवहार्यता



रोहिणी में एम.आई.जी. फ्लैट



के लिए भेजा जा रहा है। व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् इसे स्क्रीनिंग कमेटी में अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

4. सुन्दर नगर के पुनर्वास का ले-आउट प्लान। सुन्दर नगर में झुग्गियों के पुनर्वास का ले-आउट प्लान तैयार किया गया। इसकी व्यवहार्यता स्वीकार कर ली गई है और योजना पर अनुमोदनार्थ जांच समिति के समक्ष रखने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
5. कौडली में पुनर्वास का ले-आउट प्लान। नोएडा सीमा के निकट कौडली में खाली पड़ी हुई भूमि पर झुग्गी वासियों के पुनर्वास हेतु ले-आउट प्लान तैयार किया गया है और इसे व्यवहार्यता एवं टिप्पणियों हेतु भेजा गया है।
6. गांव खिचड़ीपुर के निकट खाली पड़ी हुई भूमि का अस्थाई ले-आउट प्लान तैयार कर लिया गया है और व्यवहार्यता हेतु इसे भेजा जा रहा है। इस प्लान को सम्बन्धित विभागों से व्यवहार्यता प्राप्त होने पर अनुमोदनार्थ जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।



संजय झील पार्क का दृश्य

7. पाकेट-सी, गाजीपुर भाड़ा-परिसर में ट्रक पार्किंग का एक विस्तृत ले-आउट प्लान तैयार कर लिया गया है और जांच समिति में इसे अनुमोदित करा लिया गया है।
8. गाजीपुर भाड़ा परिसर में सीवेज पम्पिंग स्टेशन की व्यवस्था। पाकेट सी, गाजीपुर भाड़ा परिसर का ले-आउट प्लान, इसमें सीवेज पम्पिंग स्टेशन को शामिल करने के लिए संशोधित कर दिया गया है और इसे अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है।
9. भूमि विभाग द्वारा समय समय पर किए गए अनुरोध के अनुसार ओ.सी.एफ. पाकेट के अनेक सब डिवीजन प्लान और नर्सरी स्कूल के लिए स्थान तैयार किया जा चुका है।

9.9 अनधिकृत कालोनियां एवं ज़ोन 'जे' (दक्षिण दिल्ली 2)

सरकार के निर्देशों के अनुसार कालोनियों को नियमित और वचन की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु एक “अनधिकृत कालोनी इकाई” कार्य करती है। यह इकाई (यूनिट) ज़ोन जे की ज़ोनल योजना

भी तैयार कर रही है। दिल्ली मुख्य योजना 2001 के अनुसार इस ज़ोन का कुल क्षेत्र लगभग 15178 हैक्टेयर है जिसमें से लगभग 6200 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्क/रिज शामिल हैं। इस यूनिट द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई 1071 कालोनियों की सूची में से 238 कालोनियां, जो कि दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नक्शे में दिखाना।
2. 238 कालोनियों का विभिन्न ज़ोनों में विभाजन
3. (क) ले-आउट प्लानों को दिल्ली नगर निगम और रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार से प्राप्त करना।
(ख) दि.न.नि. से प्राप्त किए गए अनधिकृत कालोनियों के ले-आउट प्लानों का खाका तैयार करना।
4. दि.न.नि. से प्राप्त ले-आउट प्लानों के आधार पर दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र में पड़ने वाली 34 अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण किया गया।
5. एम पी पी आर से तैयार कराए गए नक्शे के आधार पर 1071/239 कालोनियों की पहचान/निर्धारण हेतु आधार नक्शे (बेस मैप) तैयार किए गए।
6. रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की ओर से एन आई सी द्वारा पूरे किए गए हवाई फोटोग्राफ के आधार पर सर्वेक्षण प्लान मुहैया कराने हेतु रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के साथ बातचीत की गई।

9.9.1 ज़ोन 'जे' (दक्षिण दिल्ली-II)

1. रोहिणी कार्यालय से ज़ोन 'जे' का रिकार्ड तैयार कराया गया।
2. ज़ोन 'जे' की निम्नलिखित अध्ययन ड्राइंगें तैयार की गईं।
(क) सभी 30 राजस्व गांवों की राजस्व सीमाएं। विकास क्षेत्र भूमि उपयोग।
(ख) एम आर टी एस रूट दर्शाते हुए पार्ट प्लान।
(ग) शहरी विस्तार प्रस्ताव।
(घ) मलिकपुर कोही, रंगपुरी में नांगल, घेवत के बेदखल व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु ले-आउट प्लानों में संशोधन।
3. (क) स्लम पुनर्वास हेतु पाकेटों का निर्धारण करना।
(ख) भूमि विभाग और इंजीनियरिंग विभाग आदि के साथ पाकेटों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।
4. (क) डी.डी.ए. की भूमि के स्वरूप और 'भूमि उपयोग के परिवर्तन' (जिस पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है) पर विभिन्न संबंधित विभागों से सूचना एकत्रित करके उनका संकलन किया जा रहा है।
(ख) मंत्रालय द्वारा 56 हैक्टे. भूमि उपयोग का परिवर्तन किया गया।



5. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को मथुरा रोड से जोड़ने वाली महरौली बदरपुर रोड से यातायात को बाईपास करने के लिए 100 मी. चौड़ी सड़क और कई अन्य फीडर सड़कों का प्लान। इन सड़कों को अन्तिम रूप देने के लिए जांच की जा रही है।
6. विभिन्न मामलों से संबंधित अनेक न्यायालय मुकदमों में उपस्थित हुए और उनकी निगरानी की गयी।

9.10 विकास नियंत्रण विभाग

विकास नियंत्रण विभाग दि.मु.यो.-2001 की योजनाओं, नीतियों, विनियमों और विकास नियंत्रणों से सम्बन्धित कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह जोन 'डी' (नई दिल्ली) के कार्यों की देखभाल भी करता है। इस यूनिट ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए:-

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (सांस्थानिक एवं आवासीय) के ले-आउट प्लान पर कार्रवाई।
2. नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए आई.एन.ए. के निकट पुष्प हाट के ले-आउट प्लान / स्कीम पर कार्यवाही की गई।
3. रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर आधारित जोन 'डी' में आने वाले विकास क्षेत्रों की पहचान/निर्धारण।
4. चारदीवारी शहर अर्थात् अजमेरी गेट, हकीमबुक्का नई सड़क से प्रभावित व्यक्तियों/दुकानदारों के लिए अजमेरी गेट पर स्कीम तैयार करना/कार्रवाई करना।
5. न्यायालय के विभिन्न मामलों को समय-समय पर अनुसरण करना।
6. मुख्य योजना अनुभाग ने तकनीकी समिति की तीन बैठकें आयोजित कीं।
7. मुख्य योजना अनुभाग ने प्राधिकरण की बैठकों से संबंधित कार्य में भी समन्वय किया।
8. मुख्य योजना अनुभाग ने बैंकों, नर्सिंग होमों और अतिथि गृहों के लिए अधिसूचित विनियमों के आधार पर अनुरोध पर कार्यवाही करने हेतु एक नमूना तैयार किया है जो अनुमोदनार्थ उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों हेतु विनियमों को अधिसूचित किया गया।
10. दि.मु.यो.-2001 के क्लौज-10 के अनुरूप मिश्रित उपयोग नीति संशोधन के सम्बन्ध में नीति बनाना।
11. कैमिस्टों और फूल बेचने वालों के लिए मिश्रित उपयोग नीति।
12. पुनर्वास कालोनियों के लिए कार्य बल पर रिपोर्ट।
13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गांवों में, भवन योजना की मंजूरी से संबंधित नीति।

14. मुख्य योजना अनुभाग ने तकनीकी समिति की चार बैठकें आयोजित कीं।
15. इस अनुभाग ने 3 सार्वजनिक नोटिस जारी किए।
16. बैंक, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृहों के लिए अधिसूचित विनियमों के आधार पर मुख्य योजना अनुभाग ने आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु एक कार्य विधि तैयार की है, जो अनुमोदनार्थ उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई है।
17. ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प के विनियमों को अधिसूचित किया गया।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों की अनुमति चाहने वाले आवेदनों पर कार्रवाई हेतु औपचारिकताएं अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
19. इन अनुभाग ने सी.एल.यू. मामलों के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस जारी करने और प्रक्रियाधीन अवधि के दौरान आरम्भ किये गए योजनागत मामलों तथा प्राधिकरण के संकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित शहरी विकास मंत्रालय और उप-राज्यपाल कार्यालय के साथ समन्वय कार्य किया।

9.11 यमुना नदी परियोजना विंग

इस यूनिट द्वारा यमुना नदी तलहटी का पुनर्विकास किया जा रहा है। नदी तलहटी जोन 'ओ' और जोन 'पी' (भाग) में आती है। इस तलहटी का क्षेत्रफल लगभग 9700 हैक्टे. है। इसमें विविध मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और पी एस पी सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इस यूनिट द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार है:-

1. यमुना नदी 'ओ' जोन का आधार मैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आई एण्ड एफ विभाग से भारतीय सर्वेक्षण कागजात (शीट्स) एवं नक्शा एकत्र करना।
2. राष्ट्र मंडल खेल गांव के लिए स्थान निर्धारण करना।
3. केन्द्रीय जल आयोग एवं सी डब्ल्यू पी आर एस, पुणे के सहयोग से नोएडा टोल ब्रिज के साथ साथ क्रिकेट एवं फुटबॉल स्टेडियम परिसर तथा बाल केन्द्र परियोजना पर कार्रवाई करना।
4. मदनपुर खादर, पुनर्वास स्कीम के 37.0 हैक्टे. भूमि उपयोग के परिवर्तन पर कार्रवाई करना।
5. यमुना नदी नीति दिशा निर्देशों के नवीनीकरण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना पर 'नीरी' की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई करना, जैसा कि यथा स्थान पर स्लम एवं झुगियों को नियमित किया जाना है।

9.12 क्षेत्र योजना विंग

क्षेत्र योजना विंग क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार करने, संशोधन करने और कार्यवाही करने, विभिन्न सुविधा केन्द्रों के ले-आउट प्लान तैयार करने, विभिन्न पाकेटों के उपयोग और योजना जोनों - ए, बी, सी, एफ, जी एवं एच में निर्दिष्ट क्षेत्र हेतु पुनर्विकास स्कीम बनाने का कार्य करता है। इन योजना



जोनों का कार्य दो निर्देशकों (योजना) के नियंत्रण के अधीन दो यूनिटों द्वारा देखा जाता है। क्षेत्र योजना-I जोन ए, बी, एफ एवं जी का कार्य देखता है, जबकि क्षेत्र योजना-II जोन सी एवं एच का कार्य देखता है। इन योजनाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 37000 हैक्टे. है। इसके अतिरिक्त, ये यूनिटें अनेक न्यायालय-मामलो को भी देखती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार औद्योगिक इकाइयों की भूमि को वापिस प्राप्त करने से संबंधित कार्य भी क्षेत्र योजना-II द्वारा किए जाते हैं। इस इकाई द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. गांव महिपालपुर में लगभग 17 हैक्टे. क्षेत्र की पाकेट का उपयोग प्लान तैयार किया गया और प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया गया, जिसके लिए दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-ए के अन्तर्गत भूमि उपयोग के परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।
2. आई एच सी - वी वी प्रतिबंधित क्षेत्र के नाम से जाने वाले 92 हैक्टे. के प्लान में संशोधन किया गया।
3. मादीपुर में खाली पाकेट का उपयोग प्लान तैयार किया गया।
4. नारायणा आवासीय पाकेट के प्लान में संशोधन किया गया, जिसे पहले व्यावसायिक प्लानों के लिए निर्धारित किया गया था।
5. आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र की पुनर्विकास स्कीम में संशोधन किया गया और पार्किंग हेतु निर्धारित भूमि के उपयोग की सूचना को संशोधित किया गया।
6. फैंज़ रोड, अशोका पहाड़ी क्षेत्र की पुनर्विकास स्कीम में संशोधन किया गया।
7. झंडेवालान एक्सटेंशन में एस.पी. मुकर्जी मार्ग पर कबाड़ी बाज़ार के पुनर्वास हेतु एक स्कीम तैयार की गई।
8. विकास क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं संकलित की गईं और जोन-ए, बी, एफ एवं जी की अनधिसूचना भी जारी की गई।
9. मोलड़बंद क्षेत्र के ले-आउट प्लान में संशोधन किया गया।
10. पूसा रोड पर आवासीय प्लानों को शामिल करना, जहां पर गाडगिल ऐश्वर्योरेस स्कीम के अन्तर्गत डी.डी.ए. द्वारा प्लान आर्बिट्रिट किए गए हैं।
11. सरस्वती विहार पीतम पुरा, एच 4 एवं एच 5 में ब्लॉक सी सरकारी अध्यापक सी.बी.एच.एस. में सामुदायिक कक्ष हेतु ओ.सी.एफ. पाकेट का पार्ट प्लान बनाया गया।
12. पीतमपुरा में सेवा केन्द्र सं. 19 के ले-आउट प्लान में संशोधन किया गया।
13. पीतमपुरा एच 4 एवं एच 5 में रोड न. 43 पर एफ सी-57 स्थानीय खरीददारी केन्द्र के ले-आउट प्लान में संशोधन किया गया।
14. मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में सी.ई.टी.पी. के लिए 3106 वर्ग.मी. अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्ताव किया गया।
15. वजीरपुर फेज-II में सीवर शोधन संयंत्र के निकट सी.ई. आई.पी. हेतु 3000 वर्ग मी. अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्ताव किया गया।
16. मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में ब्लॉक सी में, प्लान न. 5, 6, 7, 8 एवं 9 को मिलाकर दर्शाते हुए पार्ट ले-आउट प्लान का संशोधन किया गया।
17. पीतमपुरा राजधानी सी.एच.बी.एस. में, नर्सरी स्कूल साईट के प्लान के उप-विभाजन हेतु प्रस्ताव किया गया।
18. पीतमपुरा रोड न. 43 एवं 45 पर नर्सिंग होम हेतु कब्ज़ा प्लान बनाया गया।
19. पीतमपुरा एच 4 एवं एच 5 में एच एस एस से संलग्न सामुदायिक सड़क को दर्शाते हुए रिशी नगर शकूर पुर के प्लान में संशोधन किया गया।
20. जोन एच, पीतमपुरा गांव के निकट खाली स्थान के ले-आउट प्लान में संशोधन किया गया।
21. ओ.सी.एफ. पाकेट पुनर्वास स्कीम गोपाल पुर, गांधी विहार का उप-विभाजन।
22. रामगढ़ कालोनी, झंडेवालान के पीछे खाली पड़ी पाकेट हेतु ले-आउट प्लान बनाया गया।
23. धीरपुर एफ सी 3 में सांस्थानिक प्लानों के ले-आउट प्लान को संशोधित किया गया।
24. हडसन लेन/आउट्रैम लाईन, किंगज्वे कैंप में दुकानों के लिए प्लानों के ले-आउट प्लान में संशोधन।
25. सहकारी समूह आवास समिति, धीरपुर के ले-आउट प्लान में संशोधन।



शाहजहांबाद का एक हवाई दृश्य

26. हडसन लाइन, आउट्रैम लाइन, किंगज्वे कैप के बचे हुए व्यक्तियों के लिए ले-आउट प्लान में संशोधन।

9.13 आवास एवं शहरी परियोजना विंग

आवास एवं शहरी परियोजना विंग दि.वि.प्रा. के सभी भवन क्रियाकलापों की योजना बनाने एवं डिजाइन बनाने और आवास, व्यावसायिक एवं अन्य मिश्रित कार्यकलाप जैसे - विरासत, खेल परिसर, समाज सदन एवं विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी लगाने जैसे आदि कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिकतर आवास परियोजनाएं तथा सामुदायिक केन्द्रों के स्तर तक की व्यावसायिक परियोजनाओं की निम्न श्रेणियां आवास विभाग द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कभी कभी आवास, सामुदायिक केन्द्रों और जिला केन्द्र प्राइवेट परामर्शदाताओं को सौंप दिए जाते हैं। सभी स्कीमें पहले जांच समिति/दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदित कराई जाती हैं।

अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 तक जांच समिति की 9 बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों में 193 मदों पर चर्चा हुई/अनुमोदित कराए गए।

9.13.1 आवास

1. वसन्त कुंज, जसौला एवं लाडो सराय में निम्न आय वर्ग आवास की 1120 आवासीय इकाइयां जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराई गईं और इंजीनियरिंग शाखा को ड्राइंगें जारी की गईं।
2. जसौला में 400 आ.इ. मैसर्स-सी डी ओ की अपेक्षानुसार ड्राइंगें संशोधित की गईं।
3. पीतमपुरा में टी.वी. टॉवर परिसर के निकट एम एस फ्लैटों की 260 आ.इ. विस्तृत वास्तुकलात्मक ड्राइंगें जारी की गईं।
4. अशोका पहाड़ी में 120 नि.आ.व. व 20 म.आ.व. आवासीय इकाइयों को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया और ड्राइंगें जारी की गईं।
5. द्वारका सैक्टर 19 बी में म.आ.व फ्लैटों की 440 आवासीय इकाइयां - इंजीनियरिंग शाखा को विस्तृत वास्तुकलात्मक ड्राइंगें जारी की गईं।
6. बक्करवाला की 5 पाकेटें-लगभग 6000 आ.इ.-वास्तुकलात्मक ड्राइंगें/विस्तृत विवरण को एच यू पी डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित कराया गया।
7. वसुन्धरा एंक्लेव में नि.आ.व. आवास की 200 आ.इ. जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराई गईं और ड्राइंगें इंजीनियरिंग शाखा को भेजी गईं।
8. प्रीत विहार, सूरजमल विहार, गगन विहार में 324 सी एस पी आवास - जांच समिति से अनुमोदित कराई गईं और ड्राइंगें इंजीनियरिंग शाखा को भेजी गईं।
9. नरेला में नि.आ.व. आवास की 3500 आ.इ. की 'टर्न की' आधार पर जांच की गई और विभाग द्वारा अनुमोदित की गईं। ड्राइंगें इंजीनियरिंग शाखा को भेजी गईं। विभिन्न श्रेणियों

के निम्नलिखित मकानों की संख्या निर्माण के विभिन्न चरणों में है :-

1. मुकर्जी नगर में 387 एस एफ एस बहुमंजिले आवास।
2. धीरपुर में 622 बहुमंजिले आवास।
3. 2756 आ.इ. वृहद आवास / समूह आवास, वसन्त कुंज।
4. 1811 उ.आ.व./म.आ.व./नि.आ.व. एवं मिश्रित भूमि उपयोग के प्लॉट - मैसर्स डेवलेपमेंट कन्सलटेंट द्वारा डिजाइन तैयार किया गया और परामर्शदाता द्वारा वास्तुविदीय ड्राइंगें प्रस्तुत की गईं, अनुमोदित की गईं तथा इंजीनियरों को भेजी गईं।
5. 80 एस एफ एस / 64 ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण विहार

9.13.2 व्यावसायिक

क) जिला केन्द्र

1. नेताजी सुभाष प्लेस - मल्टीप्लैक्स, थोक बाजार के लिए प्लॉट काटे गए, होटल हेतु प्लॉटों का विभाजन और बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉट नीलामी हेतु भूमि विभाग को सौंपे गए।
2. जुड़वां जिला केन्द्र रोहिणी - प्रत्येक प्लॉट की वास्तुविदीय नियंत्रण ड्राइंगें परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गईं और द्वितीय चरण के अनुमोदन हेतु दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत की गईं।
3. शास्त्री पार्क, प्लॉट न. 17 (सम्मेलन केन्द्र) - विस्तृत



नरेला में म.आ.व. फ्लैट

वास्तुविदीय ड्राइंगें इंजी. शाखा को जारी की गईं।

4. मयूर प्लेस - 3 प्लॉटों की वास्तुविदीय नियंत्रण ड्राइंगें निपटान हेतु आयुक्त (भूमि निपटान) को भेजी गईं।
5. केन्द्रीय व्यापार जिला शाहदरा - प्लॉट न. 3 और 5 नीलामी हेतु भेजे गए, प्लॉट न. 22 काफी हाउस व सांस्कृतिक केन्द्र प्लॉट आबंटन हेतु भेजा गया।
6. साकेत जिला केन्द्र - 6 प्लॉट नीलामी हेतु भेजे गए हैं।
7. जसौला - एक प्लॉट नीलामी हेतु भेज दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार ले-आउट प्लान संशोधित किया जा रहा है।
8. वसन्त कुंज में शॉपिंग मॉल - संशोधित वास्तुविदीय नियंत्रण



ड्राइंगें तैयार की गई / दि.न.क.आ. द्वारा अनुमोदित की गई एवं 6 प्लाट नीलामी हेतु भेज दिए गए हैं। इन प्लाटों को दि.वि.प्रा. द्वारा नीलामी कर दी गई हैं।

9. नेहरू प्लेस फेज-II दिल्ली नगर कला आयोग की टिप्पणी के अनुसार ले-आऊट संशोधित किया जा रहा है।

ख) समाज सदन

1. अलकनंदा - संशोधित अवधारणा प्लान जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और उसे अनुमोदनार्थ दि.न.क.आ. को प्रस्तुत कर दिया गया।
2. जहांगीर पुरी - समाज सदन का संशोधित ले-आऊट प्लान तैयार कर दिया गया है एवं जांच समिति से अनुमोदित कराया गया। तीन प्लाटों को निपटान हेतु भेजा गया है।
3. द्वारका सैक्टर 4 - अवधारणा प्रस्ताव का प्रथम चरण अनुमोदित किया गया और ड्राइंगें सर्विस एवं डिज़ाइन हेतु इंजी. विंग को जारी की गई एवं इन्हें सी.एफ.ओ. को अनुमोदनार्थ भेजा गया।
4. रोहिणी - दि.न.क.आ. की टिप्पणी के अनुसार 3 समाज सदन संशोधित किए जा रहे हैं और सही समय पर दि.न.क.आ. को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
5. 15 समाज सदन स्थलों का समन्वय एवं मानीटरिंग विभिन्न चरणों में चल रहा है।

ग) स्थानीय बाज़ार / सुविधा बाज़ार

1. 10 स्थानीय बाज़ार-स्थल जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराए गए हैं एवं विकास नियंत्रण मानकों के आधार पर इन्हें एक इकाई के रूप में निपटान हेतु भेजा गया है।
2. विभिन्न जोनों में 15 स्थानीय बाज़ारों का समन्वय कार्य किया गया है।
3. 10 सुविधा बाज़ारों के लिए स्थल जांच समिति द्वारा अनुमोदित किए गए और ड्राइंगें एक यूनिट के रूप में नीलामी हेतु भेजी गईं। विभिन्न जोनों में 25 सुविधा बाज़ारों का समन्वय और मानीटरिंग किया गया।

घ) विरासत परियोजनाएं

1. पुरातत्व पार्क, महरौली - इन्टैक द्वारा विरासत चिन्हों और संकेतों के विकास का कार्य चल रहा है।
2. आन्तरिक पुरातत्व पार्क, कुली खान के साथ कुतुब परिसर का एकीकरण - परियोजना प्रस्ताव उपाध्यक्ष को भेजा गया और यह निर्देश दिया गया कि परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।
3. भू-दृश्यांकित उद्यान, झरना महरौली का पुनरुद्धार - सूचीबद्ध संरक्षण वास्तुकारों से तकनीकी आमंत्रण मांगे गए थे और आयुक्त (योजना) के अन्तर्गत एक उप-समिति ने उनकी समीक्षा की और वास्तुकारों/फर्मों के एक और तकनीकी चयन हेतु बोलीदाताओं से एक संकल्पना स्कीम बनाने की इच्छा व्यक्त की गई।

4. सुल्तानगढ़ी और इससे संलग्न क्षेत्र का समेकित संरक्षण/शहरी डिज़ाइन का प्लान - भू-दृश्यांकन परामर्शदाता नियुक्त किया गया और फरवरी तक प्रारम्भिक अनुमान और वास्तुविदीय ड्राइंगें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
5. पुराने स्टीफन कालेज भवन, कश्मीरी गेट का संरक्षण - संरक्षण/कार्यशील ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं। लोक निर्माण विभाग इस परियोजना पर कार्य कर रहा है।
6. एंग्लो अरैबिक स्कूल, अजमेरी गेट - सभी ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं और कार्य चल रहा है।
7. सत्यनारायण भवन, रोशनारा रोड का संरक्षण - दूसरी मंजिल ध्वस्त कर दी गई है। सलाहकार ने संरचनात्मक पुनर्स्थापित करने हेतु विवरण प्रस्तुत कर दिया है। अब इस भवन को ए एस आई क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संरक्षित भवन के रूप में घोषित कर दिया गया है। परियोजना को जारी रखने की कार्यवाही चल रही है।
8. डी यू एच एफ न्यूज लैटर - निदेशक (जन सम्पर्क) को ड्राफ्ट अग्रेषित कर दिया गया है।
9. गार्ड हाउस, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय - परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया और डी यू एच एफ की 7वीं बैठक में प्रस्तुत किया।

ड.) खेलकूद एवं अन्य विशेष परियोजनाएं

1. पीतमपुरा में खेल परिसर - क्रिकेट पैवीलिअन एवं योगा हॉल का ले-आऊट प्लान तैयार कर दिया गया है और जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा विस्तृत अनुमान एवं संरचनात्मक ड्राइंगें तैयार करने के लिए उसे इंजीनियरिंग विंग को भेज दिया गया है।
2. प्रताप नगर में तरणताल - कार्यशील ड्राइंगें एवं विवरण को अन्तिम रूप दिया गया और इंजीनियरों को भेज दिया गया।
3. चिल्ला खेल परिसर - तरणताल, एरोबिक हॉल, और बैडमिंटन कोर्ट की संशोधित ड्राइंगें तैयार की गईं और इंजीनियरों को भेजी गईं।
4. राष्ट्रमंडल खेल गांव अक्षरधाम - प्रतिनिधियों के लिए पैनल, ग्राफिक चिन्ह, विवरणिका और फिल्में तैयार करवाई गईं।



हौज़ खास झील पर स्मारक



च) विविध परियोजनाएं

1. सुख विहार में ऑडिटोरियम एवं खरीददारी परिसर ड्राइंग प्रस्तुत की गई। उप-राज्यपाल के दौरे के लिए मॉडल तैयार किया गया और जांच समिति से स्कीम अनुमोदित कराई गई। कार्यशील ड्राइंगें / विवरण पर कार्यवाई चल रही है।
2. कौंडली घडौली आवास पाकिट (मिश्रित भूमि उपयोग) में समाज सदन, लाइब्रेरी, धार्मिक प्लाट और प्राइमरी स्कूल - प्लाट विभाजन जांच समिति से अनुमोदित करवाया गया। सी.एच. प्लाट उप निदेशक (सांस्थानिक भूमि) दि.न.नि. को आबंटन हेतु भेजा गया।
3. डी.डी.ए. स्कीम का नया पैनल प्रदर्शनी हेतु तैयार कर दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय भवन एवं निर्माण विषय पर प्रगति मैदान में प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

छ) विशेष परियोजनाएं

1. हनुमान मन्दिर, बेला रोड पर पुनर्विकास स्कीम - कथा कुंज का कार्य पूरा कर दिया गया है और उसका उद्घाटन कर दिया गया। शेष विकास कार्य चल रहा है और सलीमगढ़ क्षेत्र के विकास एवं हनुमान सेतु प्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की आवश्यक ड्राइंगें निर्माण एवं विकास हेतु जारी कर दी गई हैं।
2. जामा मस्जिद का पुनर्विकास - जामा मस्जिद के पुनर्विकास और जलाशय आदि के भू-दृश्यांकन विकास की स्कीम तैयार की गई और इंजीनियरिंग शाखा को जारी की गई।
3. निगम बोध घाट का सुधार/जीर्णोद्धार - निगम बोध घाट के सुधार/ पुनर्विकास की स्कीम तैयार की गई है, जिसे अक्टूबर 03 में जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान (आंकड़ों) और प्रारंभिक अनुमान तैयार करने हेतु ड्राइंगें इंजीनियरिंग शाखा को जारी कर दी गई हैं।
4. सीमापुरी में शवदाह गृह की स्कीम तैयार की गई और जांच समिति से अनुमोदित कराई गई ड्राइंगें/विवरण पर कार्यवाई चल रही है।

9.14 भू-दृश्यांकन एवं पर्यावरणीय योजना यूनिट

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुख्य योजना मानकों के अनुसार दिल्ली को नियोजित और विकसित किया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई प्रथम मुख्य योजना में, दिल्ली के नियोजित विकास पर जोर दिया गया था। दिल्ली मुख्य योजना 2001 के अनुसार, मनोरंजनात्मक पहलुओं, खुले स्थानों एवं खेलकूद की आवश्यकताओं के विवरण का आकलन शामिल है। निर्धारित नीति के अनुसार मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों अर्थात् मुख्य योजना स्तर के हरित क्षेत्रों के अन्तर्गत भूमि को दि.वि.प्रा. के कब्जे और रख रखाव के अन्तर्गत रखा जाता है। यद्यपि, शेष विकास-सेवाएं नागरिक एजेंसियों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। दि.मु.यो.-2021 में पर्यावरण और प्रदूषण के अध्याय पर सूचना भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा प्रदान की जाती है। निदेशक (भू-दृश्यांकन) इस यूनिट के सह-अध्यक्ष हैं।

दि.वि.प्रा. न केवल शहर का निर्माण करता है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन भी सुनिश्चित करता है। अपने इस प्रयास में दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों के विकास, विशिष्ट पार्कों, शहरी वनों, जैव-विविधता पार्कों आदि के विकास को बढ़ावा देता रहा है।

इन्हें दि.वि.प्रा. में भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा ही डिजाइन किया जाता है।

क) इस परियोजना में मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना और डिजाइन करना सम्मिलित हैं।

ख) दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी जिला पार्कों का डिजाइन तैयार करना।

ग) स्वस्थ पर्यावरण बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा खेल सुविधाएं और हरित क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है।

घ) भू-दृश्यांकन यूनिट में निकटवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, शिशु पार्कों और आवासीय क्षेत्रों में अन्य छोटे-छोटे पार्कों का डिजाइन तैयार करने का कार्य किया जाता है।

ड.) भू-दृश्यांकन यूनिट में विशेष परियोजनाएं जैसे - जैव-विविधता पार्क, गोल्फ कोर्स, सेनीटरी लैंडफिल स्थलों का सुधार (इन्द्रप्रस्थ पार्क), आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं।

9.14.1 वर्ष 2003-2004 के दौरान भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं मुख्य परियोजनाएं

1. **इन्द्रप्रस्थ पार्क** : रिंग रोड के साथ-साथ सराय काले खां एवं भैरों मार्ग के बीच में है। यह पार्क, रोड के साथ साथ लम्बाई में लगभग 2.7 कि.मी. की पट्टी है एवं 34 हैक्टे. से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक सैनीटरी लैंडफिल भी शहरी भू-दृश्यांकन में परिवर्तित कर दिया गया है। स्थलों पर बच्चों के खेलने के मैदान, एम्फी थिएटर, जल प्रपात, किओस्क और बैठने के स्थान बनाए गए हैं। दिल्ली वासियों में पार्क काफी प्रसिद्ध है और स्कूल के बच्चों के लिए भी यह एक पिकनिक स्थल बन गया है।

2. **झील पार्क** : यह धौला कुंआ पर 74.87 एकड़ में फैला हुआ है। संकल्पना प्लान जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। सीनियर सिटीज़न कॉर्नर, पिकनिक स्पॉट और लॉन जैसी सुविधाएं डिजाइन की गई हैं। विभिन्न जोंनों की विस्तृत ड्राइंगें, वृक्षारोपण प्लान तैयार करके जारी कर दिए गए हैं।

3. **आस्था कुंज** : माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिनांक 01.02.2003 को इसकी आधारशिला रखी गई। संकल्पना प्लान तैयार करके अनुमोदित किया गया। स्थल पर चारदीवार और 2 प्रवेश प्लाज़ा निर्माणाधीन हैं। सड़क का संरक्षण कर दिया गया है। चार दीवारी (बाउन्डरी) लगाई जा रही है।



4. जिला पार्क, कांति नगर : यमुना पार क्षेत्र में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किए जा रहे एक ओएसिस में बैडमिंटन कोर्ट, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए मल्टीजिम, बैठने के लिए स्थान और फव्वारे हैं। एक तरणताल के प्रस्ताव और विवरण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे अनुमोदित कर दिया गया है। स्थल पर कार्य चल रहा है।

5. यमुना जैव-विविधता पार्क : इस परियोजना हेतु यह आदर्श विचार दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से झड़ौदा माजरा में एक जैव-विविधता पार्क विकसित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यह अपनी प्रकार का एक विशेष पार्क है, जो यमुना नदी बेसिन की जैव-विविधता विरासत के साथ साथ शहरी समाज को पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। इसके लिए तकनीकी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही है, जबकि भू-दृश्यांकन प्रस्ताव दि.वि.प्रा. के ही संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

स्थल नक्शा (साईट प्लान) और कार्यशील ड्राइंगों का विवरण तैयार है और जारी कर दिया गया है। पौली हाउस, नेट हाउस, सम्मेलन भवन तथा इसका आन्तरिक भाग, मुख्य पथ, पम्प हाउस, और जलाशय की खुदाई आदि कार्य पूरे हो चुके हैं। वैटलैंड की भी खुदाई हो गई है और लैंडफार्म तैयार हैं। स्थल पर 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। 150 किस्मों के 500 फल वाले वृक्ष भी लगाए गए हैं।

मिट्टी के टीले, जलाशय की ग्रेडिंग और चारदीवार निर्माण करने का कार्य चल रहा है। पार्किंग और पहुंच मार्ग निर्माणाधीन हैं। चार दीवार के साथ साथ विभिन्न किस्मों के वृक्ष लगाने और फलोद्यान क्षेत्र में फल वाले वृक्ष लगाने का कार्य किया जा रहा है। यमुना नदी बेसिन में सात प्रकार के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। मई 2004 तक सम्मेलन भवन स्थापित कर दिया जाएगा और प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी पैनल तैयार किए जा रहे हैं।

6. तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक पार्क : दि.वि.प्रा. के अधीन विशाल हरित क्षेत्र डिजाइन किए गए हैं और माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति की सलाह से ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं। तुगलकाबाद किला मनोरंजनात्मक सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो पर्यटकों/आगन्तुकों को दिल्ली के वैभव का आनन्द देगा। स्थल पर कार्य फेज-I, II एवं III में चल रहा है।

7. अरावली जैव-विविधता पार्क : माननीय उपराज्यपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से वसन्त विहार के निकट द्वितीय जैव-विविधता पार्क को प्रतिबिम्बित करने का उत्तम विचार प्रतिपादित किया। यह पार्क शिक्षा देने, पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने और दिल्ली की जीवन आधार प्रणाली

को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। स्थल पर निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं। चार दीवार की डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सम्मेलन भवन का डिजाइन तैयार करने का कार्य चल रहा है। ले-आउट प्लान तैयार किया जा रहा है।

8. पश्चिम विहार बी-3 ब्लॉक में जिला पार्क : निकटवर्ती समुदायों के लिए पार्क के रूप में 3.45 हैक्टे. खुले क्षेत्र का डिजाइन तैयार किया गया है। डिजाइन को जांच समिति से अनुमोदित कराया गया है और विस्तृत ड्राइंगों पर कार्य चल रहा है।

9. ई.ई. ब्लॉक जनकपुरी में विजय पार्क : विस्तृत ड्राइंगें जारी करने के बाद स्थल पर 1.05 हैक्टे क्षेत्र में फेले हुए पार्क का कार्य चल रहा है। आगे विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

9.14.2 खेलकूद विंग से संबंधित परियोजनाएं

1. भलस्वा गोल्फ कोर्स : भलस्वा परिसर के निकट 18 होल्स गोल्फ कोर्स डिजाइन किया गया है। ड्राइविंग रेन्ज के साथ साथ स्थल पर 3 होल्स चालू है, जिसका माननीय उप राज्यपाल द्वारा दिनांक 13.01.2003 को उद्घाटन किया जा चुका है। अगले 3 होल्स का निर्माण कार्य स्थल पर चल रहा है। दिसम्बर के अन्त तक कुल 9 होल्स गोल्फ कोर्स चालू हो जाएंगे।

2. क्रीड़ा स्थलों का सुधार : निम्नलिखित पार्कों के सुधार का प्रस्ताव किया गया है:-

प्रताप नगर, विकास पुरी सी ब्लॉक, रोहिणी सैक्टर 3, गुरु हनुमान मिनी खेल परिसर, कांति नगर, मंडावली फाजलपुर, मुनीरका, मस्जिद मोठ।

3. बहुव्यायामशाला (मल्टीजिम) : पहले से ही विद्यमान मल्टीजिमों के अतिरिक्त 2 जिम और भी निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तावित किए गए हैं:-

- शिवाजी पार्क, बसई दारापुर
- पूठकलां, रोहिणी



जिला पार्क, पीतमपुरा



9.14.3 नगर पार्कों का सुधार

दिल्ली में स्थानीय निकायों द्वारा हरित क्षेत्रों की मांग बढ़ती जा रही है और भागीदारी एवं रूचि के अनुसार जनता से इनकी अत्यधिक मांग की गई है। डिज़ाइन किए गए और विकासधीन कुछ पार्कों की सूची निम्न प्रकार है:-

- मामूरपुर गांव, नरेला का पार्क ● द्वारका, 16-सी में नजफगढ़ नाले के साथ साथ जिला पार्क ● पश्चिम विहार, बी ब्लॉक में जिला पार्क ● पश्चिम विहार में जन्माष्टमी पार्क ● बेहरा एन्कलेव, पश्चिम विहार में समीपवर्ती पार्क ● ए-ब्लॉक, पश्चिम विहार में जिला पार्क ● आई एफ सी, गाजीपुर में हरित क्षेत्र ● लाजपत नगर में लाला लाजपत राय पार्क ● सफदरजंग अस्पताल के निकट थेरपी पार्क ● खेलकूद।

वर्ष 2003-04 में सुधार हेतु तैयार किए गए भू-दृश्यांकन प्लान नीचे दिए गए हैं

- मायापुरी एन्कलेव में मुख्य योजना हरित क्षेत्र ● सिगरेट वाला बाग के चारों ओर हरित क्षेत्र ● महाराजा सूरजमल स्टेडियम नांगलोई का सुधार ● ए ब्लॉक जनकपुरी में जिला पार्क
- हौज़खास में तिकोना पार्क ● बृज विहार में समीपवर्ती पार्क ● तरूण एन्कलेव में समीपवर्ती पार्क
- दिलशाद गार्डन में डीअर पार्क के सामने जिला पार्क। ● जनकपुरी में दशहरा पार्क ● मेजर ध्यान चन्द खेल परिसर का सुधार कार्य

वर्ष 2003-2004 के दौरान जांच समिति द्वारा कुल 42 भू-दृश्यांकन प्लान अनुमोदित कराए गए

1. दक्षिण पूर्व जोन	4
2. दक्षिण पश्चिम जोन	15
3. उत्तर जोन	7
4. पूर्वी जोन	6
5. द्वारका	4
6. रोहिणी	4
7. नरेला	2

9.14.4 भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा किए गए अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं

दि.वि.प्रा. द्वारा पुष्प-प्रदर्शनी/उद्यान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सारी दिल्ली से और प्राइवेट नर्सरियों के भागीदारों ने भाग लिया। उद्यान समारोह उद्यान विभाग की विभिन्न ज़ोनों में जनता की भागीदारी से आयोजित किया गया, जो दिनांक



मसूदपुर गांव में समाज सदन

28 एवं 29 फरवरी, 2004 को पुष्प प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। भू-दृश्यांकन यूनिट पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने और प्रतियोगिता में विभिन्न प्रविष्टियों के बारे में निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा एक विवरणिका, सूची और निमंत्रण कार्डों के डिज़ाइन तैयार किए गए।

यमुना जैव विविधता पार्क और अरावली जैव-विविधता पार्क विषय पर दो विवरणिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं और आर. डब्ल्यू.ए, संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों आदि को वितरित कर दी गई हैं।





वसन्त कुंज में दि.वि.प्रा. फ्लैट

10.1 घर अर्थात् प्यारा सा घर वही है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण 1967-68 से अपने नागरिकों को प्रदान करता आ रहा है। इसने समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए स्कीमें घोषित करके लोगों की आशाओं को पोषित करके उनके सपनों को साकार किया है। आरंभ में वर्ष 1969 में प्रथम पंजीकरण योजना आरंभ की गई थी। इसके बाद, अभी तक 38 स्कीमें घोषित की जा चुकी हैं। अब तक आरंभ की गई कुल 39 स्कीमों में से अब केवल 5 स्कीमें चालू हैं। आज दि.वि.प्रा. को दिनांक 31.3.2004 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 3,42,982 आबंटन करने के बाद अपने पर गर्व है। स्कीमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्कीम का नाम	किए गए कुल आबंटन
सामान्य आवास स्कीम	65,590
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-79	1,62,398
स्व वित्त योजना/विजयी वीर आवास योजना	52,932
अम्बेडकर आवास योजना-1989	14,505
विस्तारणीय आवास योजना 1995-96	20,052
एन एच एस/श्रमिक आवास योजना आदि	
जनता आवास पंजीकरण योजना-96/	14,828
पंजाब एण्ड कश्मीर प्रवासी/मोतिया खान सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों/	
जम्मू एण्ड कश्मीर प्रवासी (आर.पी.एस.)	1015
मिश्रित	440
उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.)	3,337
सरकारी संगठन	4,670
जसौला जनता टेनेमेंट्स 2003	2,215
कुल	3,42,982

10.2 आवासीय योजनाओं की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है:-

10.2.1 न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979

म.आ.व., नि.आ.व. और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन हेतु वर्ष 1979 में एन.पी.आर.एस.-1979 आरम्भ की गई थी। यह स्कीम अखिल भारतीय स्तर पर थी और 1,71,272 (म.आ.व.

47521, नि.आ.व. - 67502 एवं जनता 56249) व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे। इस स्कीम के अन्तर्गत आबंटित किए गए फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	आबंटित किए गए फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	46,247	शून्य
नि.आ.व.	57,863	10,280
जनता	58,288	शून्य
कुल	1,62,398	10,280

10.2.2 अम्बेडकर आवास योजना-1989

यह स्कीम एन.पी.आर.एस-79 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 25% पंजीकृत व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत म.आ.व./नि.आ.व. एवं जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु 20,000 व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे।

आबंटन का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आबंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	7,000	5,901	...
		(दो पुराने मामलों सहित)	
नि.आ.व.	10,000	5616	3422
जनता	3,000	2,988	शून्य
कुल	20,000	14,405	3,422

इस स्कीम में निम्नलिखित आरक्षण किए गए:-

- 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए
- 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
- 1% युद्ध में मारे गए लोगों की विधवाओं के लिए

10.2.3 जनता आवास पंजीकरण योजना 1996

यह स्कीम चरणबद्ध तरीके से जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु समाज के कमजोर वर्ग के 20000 लोगों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 1996 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित आरक्षण किए गए:-

1. 25 % अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु

2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए
1. 1% शहीदों की विधवाओं के लिए
2. 2% बच्चों वाली शहीदों की विधवाओं के लिए

आबंटन की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है

पंजीकृत व्यक्ति	आबंटन किया गया	बकाया संख्या
20000	12621	6773

10.2.4 विजयीवीर आवास योजना-1999

विजयीवीर आवास योजना वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी और यह स्कीम शुरू में 'ऑपरेशन विजय' में शहीद हुए अथवा स्थाई रूप से विकलांग हो गए सैनिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों के लिए 10.09.1999 से 30.11.1999 तक खोली गई थी। इसके बाद स्कीम 30 सितम्बर, 2003 तक खोल दी गई है और मई 1999 के बाद ऑपरेशन में शहीद हुए अथवा स्थाई रूप से विकलांग हो गए सैनिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों के लिए भी बढ़ा दी गई है।

इस स्कीम के अन्तर्गत 414 फ्लैटों का निर्माण किया गया है जिनमें से 312 फ्लैट दो शयनकक्ष वाले (टाईप-ए) और 102 फ्लैट तीन शयनकक्ष वाले (टाईप-बी) के हैं। इस समय 419 आवेदकों ने आवेदन भेजे हैं। 419 आवेदकों में से 14 आवेदकों ने आवेदन वापिस ले लिए हैं। शेष 405 आवेदकों में से, 266 को टाईप-ए (2 शयन कक्ष वाले) फ्लैट और 91 को टाईप-बी (3 शयनकक्ष वाले) फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं। 48 आवेदकों ने अभी अपेक्षित 90% राशि जमा नहीं की है, अतः उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं किए गए हैं।

10.2.5 पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

पंजाब के 3661 प्रवासी, जो निम्नलिखित कैम्पों में ठहरे हुए थे, के पुनर्वास हेतु दिनांक 04.04.2000 को आवास स्कीम आरंभ की गई थी:-

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	पीरागढ़ी कैम्प	2560	दि.वि.प्रा.
2.	मंगोलपुरी कैम्प	226	डी.एस.आई.डी.सी.
3.	गोविन्दपुरी कैम्प	347	डी.एस.डी.आई.सी.
4.	जहांगीरपुरी कैम्प	385*	दि.वि.प्रा.
5.	ज्वालापुरी कैम्प	42	स्लम एवं जे.जे.
6.	पालिका होस्टल कैम्प	36	एन.डी.एम.सी.
7.	यूथ होस्टल, मोरी गेट	65	दिल्ली प्रशासन
कुल		3661	

*इन प्रवासियों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैट आबंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने इन्हें फ्लैट आबंटित करने का निर्णय लिया है।

आबंटन के बारे में दिनांक 31.12.2003 तक नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:

कुल प्रवासी	: 3661
घटाएं- जहांगीर पुरी में रहने वाले प्रवासी	: 385
	: 3276

आबंटन हेतु आवेदन किया	: 2880
फ्लैट्स आबंटित किए गए	: 2880

दिनांक 31.12.2003 तक 2880 में से लगभग 2000 कब्जा पत्र जारी कर दिए गए हैं (नरेला, द्वारका और रोहिणी में फ्लैट्स आबंटित किए गए)

10.2.6 कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

कुल 14 शरणार्थी कैम्प हैं, जिनमें इस समय 237 कश्मीरी प्रवासी ठहरे हुए हैं। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	हौज रानी	16	दि.न.नि.
2.	बापू धाम	24	एन.डी.एम.सी.
3.	न्यू मोती नगर	23	दि.न.नि.
4.	पालिका धाम	13	एन.डी.एम.सी.
5.	बलजीत नगर	49	स्लम एवं जे.जे.
6.	मंगोल पुरी-डी ब्लॉक	34	स्लम एवं जे.जे.
7.	मंगोल पुरी-एन ब्लॉक	16	दि.न.नि.
8.	सुलतान पुरी-पी-2	09	स्लम एवं जे.जे.
9.	बेगम पुरा	06	दि.न.नि.
10.	साउथ एक्स. पार्ट-2	06	दि.न.नि.
11.	कृष्णा पार्क	10	दि.न.नि.
12.	कैलाश कॉलोनी	02	दि.न.नि.
13.	अली गंज	12	दि.न.नि.
14.	नन्द नगरी	18	स्लम एवं जे.जे.
कुल प्रवासी		237	
आबंटन के लिए आवेदन किया		110	
आबंटन किया गया		110	

10.2.7 सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना

दिनांक 02.07.2001 को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना आरंभ की गई थी। कुल 2074 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए:-

क्र. सं.	श्रेणी	आवेदन प्राप्त हुए	आबंटन किया गया
1.	म.आ.व.	1464	400+10=410
2.	नि.आ.व.	550	544+2=546
3.	जनता	60	59
कुल		2074	1015

टिप्पणी: कोई बकाया नहीं है, क्योंकि जमा राशि पंजीकृतों को लौटा दी गई है।



10.2.8 मोतियाखान झुग्गीवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने अपने संकल्प सं.88/2002 दिनांक 26.12.2000 द्वारा मोतियाखान के पात्र झुग्गीवासियों को रोहिणी, सेक्टर-4 मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक कमरे के आवास के आवंटन हेतु योजना का अनुमोदन किया था। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मोतिया खान में 2068 झुग्गीवासी थे। यह योजना 26.09.2001 से आरंभ की गई और 30.06.2002 तक जारी रही। अब तक 1288 पात्र झुग्गी परिवारों को रोहिणी में फ्लैट आवंटित किये गए हैं। अब योजना बंद हो चुकी है।

10.2.9 उच्च आय वर्ग आवास योजना द्वारका-2003

416 आवंटन किये गए और प्रतीक्षा सूची रखते हुए योजना बंद कर दी गई है।

10.2.10 जसौला जनता आवास योजना-2003

2215 आवंटन किये गए और प्रतीक्षा सूची रखते हुए योजना बंद कर दी गई है।

10.2.11 नरेला आवास योजना-2003 (30% छूट सहित) योजना 15.04.2004 तक खुली है।

10.2.12 म.आ. वर्ग, नि. आ. वर्ग और जनता फ्लैटों के समाप्त प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों हेतु कार्य योजना

म.आ. वर्ग	नि. आ. वर्ग	जनता	प्रस्तावित तिथि
शून्य	10280	6773	मार्च-2005

एनपीआरएस-1979 के अन्तर्गत म.आ. वर्ग के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की मुख्य सूची पूरी हो चुकी है। अब जनता/नि.आ. वर्ग से म.आ. वर्ग में परिवर्तन के मामलों और उसके अन्तिम भाग की प्राथमिकता शुरू की जाएगी और 2003 के अन्त तक समाप्त कर दी जाएगी।

दि.वि.प्रा. ने मार्च-2005 तक 4980 म.आ. वर्ग, 12919 नि.आ. वर्ग और 544 जनता फ्लैटों का निर्माण पूरा करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त कुछ एक कमरे वाले आवास निपटान के लिए उपलब्ध हैं।

10.2.13 योजना वार बकाया व्यक्ति

क्र.स.	योजना	कुल बकाया व्यक्ति
1.	एन पी आर एस-79	10280
2.	अं. आ. योजना-89	3422
3.	जे एच आर एस-96	6773
	कुल	20475

10.2.14 पट्टाधारिता आधार से मुक्त आधार में परिवर्तन

पट्टाधारिता से मुक्त आधार में फ्लैटों के परिवर्तन, नामांतरण और 2003-04 के दौरान जारी किये गए कब्जा पत्रों के संबंध में आवास विभाग से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

10.3 आवास लेखा विंग

10.3.1 आवास लेखा विभाग फ्लैटों के आवंटन से संबंधित मुख्यतः



नरेला में स्थित मध्यम आय वर्ग के फ्लैट

निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है।

1. वित्तीय सहमति के लिए बी जी डी ए के आरंभिक अनुमान की जांच।
2. लागत मामलों की कार्रवाई एवं निपटान।
3. निर्मित दुकानों के संबंध में खातों का रख-रखाव।
4. फ्लैटों की प्राप्तियों और भुगतानों तथा उनकी वसूली के खातों का रखा-रखाव।

10.3.2 वर्ष 2003-04 के दौरान मुख्य कार्यकलाप/उपलब्धियां

1. आरंभिक अनुमानों की जांच
- क. 5 (पांच) आवास योजनाओं के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई इसमें 6590 फ्लैट शामिल हैं।
- ख. 6 (छह) योजनाओं में दुकानों के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई। इसमें 314 दुकानें और 39 खोके शामिल हैं।

2. दुकानों की लागत का निर्धारण

- क. 9 नई योजनाओं की लागत के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया गया। इसमें 243 दुकानें और 25 प्लेट फार्म शामिल हैं।

3. फ्लैटों की लागत का निर्धारण

- क. 6 नई योजनाओं की लागत के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया गया, जिसमें 4029 फ्लैट शामिल हैं।
- ख. इस अवधि के दौरान 196 योजनाओं में शामिल छूटे हुए 6168 फ्लैटों की लागत के निर्धारण को भी अंतिम रूप दिया गया।

10.3.3 अन्य उपलब्धियां

- क. विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत निकालने के लिए ली जाने वाली कुर्सी क्षेत्र दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण का संकल्प पारित करवाया इसकी प्रभावी तिथियां 1.4.2003 एवं 1.10.2003 हैं।
- ख. 14.11.2003 से निर्माण अवधि के दौरान ब्याज दर घटा कर 12% वार्षिक से 10% वार्षिक कर के फ्लैट की कीमत कम



करने एवं सेवा प्रभार और शेर राशि कम करने का प्राधिकरण का संकल्प पारित किया गया।

ग. उत्तर दिनांकित चैक योजनाओं के लिए प्राधिकरण का संकल्प पारित किया।

घ. मांग पत्र जारी होने की तिथि से दो महीनों से तीन महीनों का अधिक समय किश्त आरंभ होने के लिए दिया जाता है।

10.3.4 कम्प्यूटरीकरण

निम्नलिखित सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

1. फ्लैटों की लागत का निर्धारण
2. सामान्य आवास शाखा का कम्प्यूटरीकरण
3. वेतन नामावली खाता



सुविधा बाजार वसंत कुंज

10.3.5 वसूली में तेजी लाने के लिए किए गए कार्य

इसके अन्तर्गत मासिक किश्तों के बकाया की वसूली/चूककर्ता आवंटितियों से जुर्माना वसूल करने को प्रभावी बनाने के लिए

और चूककर्ता आवंटितियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से और ऐसे आवंटितियों के विरुद्ध निश्चित और समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए चालू वित्त वर्ष में जुर्माना राहत योजना 2001 भी लागू की गई।

वसूली के उद्देश्य से पांच सहायक समाहर्ता ग्रेड-II/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आवास लेखा विंग में नियुक्त किये गए।

10.3.6 आवास लेखा विंग के कुछ अन्य कार्य

- i. वर्ष 2003-04 के दौरान स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत 91 मांग पत्र जारी किये गए।
- ii. पट्टाधारिता आधार से मुक्त आधार में परिवर्तन के 8538 मामलों में निर्णय लिया गया।
- iii. कब्जा पत्र जारी करने हेतु प्रबन्धन विंग को 3647 मामलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गए।
- iv. अनिच्छुक आवंटितियों को 2159 मामलों में धन की वापसी की गई।
- v. अक्टूबर 2001 में नई जुर्माना राहत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 1766 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 1845 मामलों को निपटाया गया और 31.3.2004 तक कुल आवेदन पत्र 7831 निपटाए गए मामले 7582 और 3415.55 लाख रु. की वसूली करते हुए इस वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 744.55 लाख रु. की वसूली की गई।
- vi. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सुनवाई के प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को जन शिकायत के मामले भी निपटाए गये।



भूमि प्रबन्ध एवं निपटान विभाग

11



सरिता विहार में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित आश्रय स्थल चित्रकूट का दृश्य

11.1 भूमि प्रबन्ध

11.1.1 विभिन्न प्रकारों और श्रेणियों की भूमि दि.वि.प्रा. के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। पूर्व विकास सुधार न्यास से दि.वि.प्रा. को सौंपी गई नजूल-1 भूमि के अतिरिक्त इसके पास 1957 के बाद अधिग्रहीत नजूल-11 भूमि भी है। पूर्व पुनर्वास मंत्रालय से अनुबंध के आधार पर भी कुछ भूमि प्राप्त हुई थी। शहरी विकास मंत्रालय भूमि एवं विकास कार्यालय से भी कुछ भूमि निपटान और रखरखाव हेतु मिली हुई है। इस भूमि का उपयोग एवं आवंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

11.1.2 भूमि प्रबन्ध विभाग के मुख्य कार्य

- i. भूमि अधिग्रहण
- ii. भूमि प्रबन्ध
- iii. भूमि उपयोगकर्ता विभागों को सौंपे जाने से पूर्व भूमि की सुरक्षा
- iv. भूमि उपयोगकर्ता विभागों की सहायता
- v. भूमि उपयोग मामलों में विभिन्न विभागों और बाहरी एजेंसियों का सहयोग
- vi. अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम की योजना और निष्पादन
- vii. विकास क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही
- viii. मुख्य योजना प्रावधानों के अन्तर्गत दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई।

11.1.3 इस विभाग में एक शाखा नजूल भूमि-1 से संबंधित है, जो पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार न्यास से दि.वि.प्रा. को प्राप्त हुई भूमि और नजूल-11 भूमि जो 1.4.2003 से 31.3.2004 की अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और निपटान की नीति के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई थी।

11.1.4 भूमि प्रबन्ध विभाग के कार्य का अति महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र दि.वि.प्रा. भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा करना है। दि.वि. प्रा. ने भूमि सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है।

इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और राहिणी ये छह क्षेत्र हैं।

11.1.5 प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख संयुक्त/उपनिदेशक स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। इनकी सहायता सचिवीय एवं फील्ड स्टाफ करता है। सुरक्षा गार्डों द्वारा दि.वि.प्रा. भूमि पर नियमित नजर रखी जाती है, जो विशिष्ट गश्त क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियानों की योजना बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से पूरी की जाती है।

11.1.6 अप्रैल-2003 से 31.3.2004 तक दि.वि.प्रा. ने 354 अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाए और लगभग 259.44 एकड़ भूमि अतिक्रमण कर्ताओं से मुक्त कराई गई। इस प्रक्रिया में 13077 कच्चे-पक्के और आधे पक्के ढांचे हटाए गए। भूमि प्रबन्ध विभाग ने इस वर्ष के दौरान कुछ बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाए, जिनकी भू-माफिया को छोड़ कर प्रैस सहित समाज के सभी वर्गों ने प्रशंसा की। कुछ ऐसे ही बड़े अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम यमुना तट क्षेत्र, कापस हेड़ा, मोहन को आपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाटला हाउस, राहुल गांधी जे जे कैम्प वसन्त विहार, शकरपुर के पीछे उपायुक्त कार्यालय, गुरु रविदास धर्मस्थान आर के पुरम, बी-9 वसन्त कुंज जे जे समूह, सलीमगढ़ फोर्ट जमना बाजार, हनुमान कलोनी गांव हौज रानी, मयूर विहार फेज-1, गांव बदरपुर, कीर्तिनगर, सी सी पश्चिम विहार, एल ए सी नरेला, जे एन यू रोड किशन गढ़, गांव भलस्वा, अलीगंज, जे जे समूह कठपुतली कालोनी, वधवा बाजार मुखर्जी नगर, कड़कड़ डुमा क्षेत्र, आनन्द विहार, रिठाला गांव, महिपालपुर, वेटवेयर डिफेंस एन्क्लेव, कुसुमपुर पहाड़ी फेज-IV, जे जे कैम्प अलकनन्दा, सराय पीपल थला, सेक्टर-27, रोहिणी, एस पी अहलूवालिया इंडस्ट्री, टीकरी खुर्द गांव, पीतम पुरा, गांव भोरगढ़, समयपुर बादली, मंगोलपुर कलां, दयाल बाग, मालवीय नगर, रोहिणी विहार, राजीव नगर, गांव शाहीपुर, शालीमार बाग गांव, गांधी कैम्प लाजपत नगर, जे जे समूह कमल सिनेमा, जैन कालोनी, राज कमल पैटर्न बरदपुर, तेहखंड, आर्कड गार्डन, बसन्त कुंज, रेवाड़ी लाइन फेज-II एवं



रानी गार्डन में चलाए गए। इससे दि.वि.प्रा. की छवि एक ऐसी एजेंसी के रूप में बनने में मदद मिली है, जो अपनी भूमि की सुरक्षा प्रभावी तरीके से करती है। मुकदमेबाजी और कानून और व्यवस्था में पुलिस की व्यस्तता से उसकी अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी अतिक्रमण हटाओ अभियानों में देर हो जाती है। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने काफी बड़े पैमाने पर भूमि के कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट केस भी जीते हैं।

11.1.7 दि.वि.प्रा. के नियंत्रणाधीन सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों से भूमि खाली कराने और क्षतिपूर्ति निर्धारण एवं वसूली का कार्य क्षतिपूर्ति शाखा करती है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध दि.वि.प्रा. पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करता है। इस शाखा के दो संपदा अधिकारी हैं, जिन्हें क्षतिपूर्ति निर्धारण और अतिक्रमण हटाने का कार्य करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

1.4.2003 से 31.3.2004 तक संपदा अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गए:-

- i) 137 लाख रू. की क्षतिपूर्ति वसूली
- ii) 887 मामलों में निर्णय लिये गए
- iii) 31.3.2004 तक 73 अतिक्रमण हटाने के मामले निपटाए गए।

11.1.8 दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-29 (II) जिसे नीचे दिया गया है, के प्रावधानों के अनुसार मुख्य योजना में दिये गए मानकों के विरुद्ध भूमि एवं भवन का दुरपयोग न होने देना सुनिश्चित करने का कार्य प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) शाखा को सौंपा गया है।

धारा 29 (II)

“यदि कोई व्यक्ति, जो धारा-14 में दिये गए प्रावधानों के विरुद्ध भूमि का उपयोग करता है, तो उस पर उस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमों द्वारा निर्धारित किसी निबन्धन एवं शर्त का उल्लंघन करने पर 5,000/- रू. (केवल पांच हजार रू.) जुर्माना किया जाएगा। आगे भी ऐसे किसी जारी रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे अपराध के प्रथमवार किये जाने का दोष सिद्ध हो जाने के बाद जब तक वह अपराध जारी रहेगा तब तक उस अवधि में 250/- रू. प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।”

1.4.2003 से 31.3.2004 तक के दौरान आरंभ किये गए अभियोजन के मामलों और न्यायालय द्वारा लगाये गए जुर्माने की स्थिति इस प्रकार है:-

1. आरंभ किये गए अभियोजनों की संख्या-183
2. न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना - 13,69,180 लाख रू.



जनता बाजार का दृश्य

11.1.9 वर्ष 2001.02, 2002.03 और 2003.04 की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है:-

क्रम सं. कार्य	2001-02	2002-03	2003-04
1. एल सी ए द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	473.25 एकड़	2095 एकड़	770.697 एकड़
2. निर्माण गिराने के लिए चलाए गए अभियान	460	472	154
3. झुग्गी समूहों को हटाकर फिर से प्राप्त की गई भूमि	164.84 एकड़	374.54 एकड़	259.44 एकड़
4. हटाये गए ढांचे/भवन	5906	14567	13077
5. क्षतिपूर्ति की वसूली	1.02 करोड़ रू. (लगभग)	115.33 लाख रू. (लगभग)	137 लाख रू.
6. निर्णीत क्षतिपूर्ति मामले	421	835	887
7. शुरू किये गए अभियोजना मामले	493	599	183
8. न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना	4.02 लाख रू.	4.21 लाख रू.	13,69,180/- रू.



11.2 भूमि निपटान विभाग

11.2.1 व्यावसायिक भूमि शाखा

i) व्यावसायिक भूमि शाखा ने लगभग 250 सम्पत्तियों के लिए 16 नीलामी/निविदा कार्यक्रम किये, जिनसे अबतक का सर्वाधिक राजस्व 2073 करोड़ रु. प्राप्त हुआ। यह 300 करोड़ रु. के लक्ष्य से भी अधिक था। गत वित्त वर्ष (2002-03) के दौरान इस शाखा ने 94 व्यवसायिक भू-खण्डों का निपटान कर 450 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया।

ii) 2003-04 के दौरान शाखा की सबसे बड़ी सफलता वसन्त कुंज माल में 6 व्यावसायिक भू-खण्डों का सफलतापूर्वक निपटान कार्यक्रम था, जिनमें आरक्षित दर 560 करोड़ रु. की तुलना में 1100 करोड़ रु. की सर्वोच्च बोली लगी। यह भूमि निपटान विंग, योजना विंग एवं वास्तुकला विंग के सलाहकारों के मध्य नियोजित एवं सुनिश्चित अभियान और अच्छे समन्वय के कारण संभव हो सका। दि.वि.प्रा. ने वसन्त कुंज माल में व्यावसायिक भूखंडों के निपटान के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष में कोर्ट केस भी सफलता-पूर्वक प्रस्तुत किये। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज की और नीलामी कार्यक्रम का समर्थन किया।

iii) भूमि निपटान विंग की व्यावसायिक भूमि शाखा ने भी व्यावसायिक और औद्योगिक निर्मित प्लेटों हेतु मुक्त आधार परिवर्तन नीति तैयार की, यह योजना सितंबर 2003 से कार्यान्वित की गई।

iv) प्राधिकरण द्वारा जून-2003 में एक नई/संशोधित पेट्रोल पंप नीति भी तैयार एवं अनुमोदित की गई। आवंटन की नई नीति के अनुसार अब पेट्रोल पंप और गैस गोदाम निविदा/नीलामी के माध्यम से उन तेल कंपनियों/फर्मों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पेट्रोलिअम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली है। अक्टूबर-2003 में तीन पेट्रोल पंपों को स्थलों के लिए एक नीलामी कार्यक्रम किया गया, यद्यपि एक का भी निपटान न हो सका। यह नीति आवंटन का समुचित निर्धारण करेगी, तथा इसे अधिक पारदर्शी बनाती है एवं पेट्रोल पंप स्थलों के वास्तविक व्यावसायिक मूल्य प्राप्त कराने में समर्थ होगी।

v) उपर्युक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय व्यापार जिला शाहदरा, जिला केन्द्र साकेत, जिला केन्द्र जसौला जैसे महत्वपूर्ण एवं भावी व्यावसायिक केन्द्रों में निपटान हेतु जोरदार अभियान और प्रयास किये गए। प्रयासों के परिणामस्वरूप गत एक वर्ष में 6 प्लॉट सी बी डी शाहदरा में, 7 प्लॉट साकेत जिला केन्द्र में 1 प्लॉट जिला केन्द्र जसौला में निपटान कर के दि.वि.प्रा. ने उच्च राजस्व प्राप्त किया। यह इन जिला केन्द्रों के पुनः विकास हेतु प्रोत्साहन देगा।

vi) शाखा ने रोहिणी में लगभग 62 एकड़ के मनोरंजन पार्क का भी सफलतापूर्वक निपटान किया और पुनः मनोरंजन पार्क

के विकास के मार्ग में आने वाले लॉबित मुद्दों को भी सफलता पूर्वक पूरा किया।

vii) पांच सिनेमा एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्सों प्रशान्त विहार, नेताजी सुभाष प्लेस, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, शालीमार बाग समाज सदन का भी निपटान किया गया, जिनसे पुनः पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ।

viii) वधवा मार्केट के दुकानदारों एवं मजनु का टीला के अधिभोगियों का पुनर्वास किया गया, डी एम आर सी परियोजना के कारण खाली ट्रक पार्किंग का सफलता पूर्वक स्थानांतरण किया गया।

ix) मजनु का टीला में खाली पार्किंग के अधिभोगियों को, लंबे समय से लॉबित वैकल्पिक आवंटन के मामलों को निपटारा गया। मजनु का टीला में डी एम आर सी की भूमि मांग के बाद लगभग 120 अधिभोगी स्थानांतरित किये गए थे। अब सभी अधिभोगियों का पुनर्वास वैकल्पिक स्थल पर किया जा रहा है और लगभग 85 मामलों में लाइसेंस शुल्क आधार से आवंटन का तरीका पट्टाधारिता आधार के अकेले तरीके में परिवर्तित कर दिया गया है। कागज व्यवसायियों को चारदीवारी के शहर के गाजीपुर में स्थानांतरित करने हेतु वैकल्पिक स्थल के शीघ्र विकास हेतु प्रयासों में तेजी लाई गई।

x) द्वारका के विभिन्न सैक्टरों, नेहरू प्लेस फेज-II, जिला केन्द्र रोहिणी, अलकनन्दा समाज सदन में व्यावसायिक सम्पत्तियों की वैज्ञानिक ढंग से योजना और निपटान का कार्य भी किया गया।

xi) भीकाजी कामाप्लेस, नेहरू प्लेस जिला केन्द्र जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रों के लिए अपग्रेडेशन और रख-रखाव एवं प्रबन्ध की संकल्पना भी शुरू की गई।



नेहरू प्लेस जिला केन्द्र

11.2.2 पट्टा प्रशासन शाखा (आवासीय)

क्रम पद 1.4.03 से 31.3.04 के सं. दौरान कार्य उपलब्धियां

1. प्लॉटों का आबंटन	
क) नीलामी के द्वारा	191
ख) आबंटन के द्वारा	582
2. प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि	791.70 करोड़
3. कम्पोजीशन फीस के रूप में वसूली गई राशि	81.55 लाख
4. हस्तान्तरण विलेख (फ्री-होल्ड)	1039
5. कब्जा-पत्र	940
6. पट्टा विलेख	510
7. नामान्तरण	209
8. समयावधि बढ़ावा	48
9. बन्धक अनुमति	92
10. कारण बताओ नोटिस	286
11. रद्दकरण	4
12. पुनर्बहालीकरण	2

11.2.3 पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)

1. प्लॉटों का आबंटन	
क) नीलामी के द्वारा	-
ख) आबंटन के द्वारा	-
2. प्राप्त परिवर्तन-आवेदन	1852
3. निपटाए गए परिवर्तन-आवेदन	1683
4. प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि	-
5. कम्पोजीशन फीस एवं भू-भाटक के रूप में वसूली गई राशि	36,35,632/-रू.
6. हस्तान्तरण विलेख (फ्री-होल्ड)	-
7. कब्जा-पत्र	-
8. पट्टा विलेख जारी/निष्पादित	120/188
9. नामान्तरण	33
10. समयावधि बढ़ाना	439
11. बंधक अनुमति	25
12. कारण बताओ नोटिस	58
13. रद्दकरण	-
14. पुनर्बहालीकरण	-

11.2.4 सहकारी समिति कक्ष

1. कम्पोजीशन फीस एवं अनर्जित वृद्धि के रूप में वसूली गई राशि	320,67,500/- रू.
2. परिवर्तन मामलों को अंतिम रूप दिया गया	700
3. उप-पट्टा विलेख	11
4. नामान्तरण/अन्तरण	69
5. समयावधि बढ़ावा	46
6. बंधक अनुमति	10
7. कारण बताओ नोटिस	52
8. उप-पट्टा विलेख का रद्दकरण निर्धारण	6
9. पुनर्बहालीकरण	3

11.2.5 समूह आवास समिति कक्ष

1. प्लॉटों का आबंटन	14
2. प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि	29,03,36,150/-
3. कम्पोजीशन फीस के रूप में वसूली गई राशि	42,69,587/-
4. परिवर्तन मामलों को अंतिम रूप दिया गया	2422
5. कब्जा-पत्र	1
6. पट्टा विलेख	10
7. नामान्तरण/अन्तरण	122
8. निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र	2
9. बन्धक अनुमतियाँ	70
10. कारण बताओ नोटिस	-
11. हस्तान्तरण विलेख निष्पादित	2953

11.2.6 सांस्थानिक शाखा

1. जारी किए गए आबंटन एवं मांग पत्र	180
2. प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि	54 करोड़
3. कब्जा-पत्र	107
4. निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र	115
5. कारण बताओ नोटिस	57
6. समयावधि बढ़ावा	129
7. पट्टा विलेख	-



11.2.7 औद्योगिक शाखा

1. प्लाटों का आबंटन	-
2. देर से किए गए भुगतान, भू-भाटक, ब्याज, अनर्जित वृद्धि, उप-किराएदारी इत्यादि के रूप में वसूली गई राशि	88.21 लाख रु.
3. उप-किराएदारी की अनुमति	3
4. रद्द किए गए पट्टे	9
5. कब्जा-पत्र	28
6. निष्पादित पट्टा विलेख	40
7. नामान्तरण/परिवर्तन	41
8. बन्धक अनुमतियाँ	19
9. कारण बताओ नोटिस	165
12. समयावधि बढ़ाना	55
11. मुक्त आधार मामले की अनुमति दी गई	4

11.2.8 पुरानी योजना शाखा

1. नीलामी/निविदा के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति	694,25,000/- रु.
2. परिवर्तन मामलों को अन्तिम रूप दिया गया	249
3. पट्टा विलेख	27
4. नामान्तरण	28
5. कब्जा-पत्र	24
6. समयावधि बढ़ाना	16
7. बन्धक अनुमति	14
8. दुरुपयोग नोटिस	-
9. नीलामी किये गए आवासीय प्लाटों की संख्या	24

11.2.9 व्यावसायिक भूमि शाखा

1. प्लाटों का आबंटन	
नीलामी द्वारा	98
आबंटन द्वारा	शून्य
2. प्रीमियम के रूप में वसूली गई राशि	
भू-भाटक	2073 करोड़
विविध	7.3 करोड़
3. समयावधि बढ़ाना	75
4. कब्जा-पत्र	106
5. पट्टा विलेख	94
6. नामान्तरण/अन्तरण	27
7. बन्धक अनुमति	11
8. कारण बताओ नोटिस	162
10. आबंटन का पुनर्बहालीकरण	01

11.2.10 व्यावसायिक सम्पदा शाखा

1. दुकानों/कार्यालय/स्टालों का आबंटन	510
2. प्राशुल्क के रूप में वसूल की गई राशि	36,00,65,922/-रु.
3. आरक्षित दर	29,99,77,130 रु.

11.2.11 भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

1. प्लाटों का आबंटन	
क) नीलामी द्वारा	105
ख) आबंटन द्वारा	6831
2. प्राप्त राशि	55 करोड़
3. जारी किये मांग पत्र	6936
4. जारी किये कब्जा पत्र	192
5. भुगतान हेतु समयवृद्धि पत्र जारी किये	45
6. बंधक अनुमति	47
7. जारी किये कारण बताओ नोटिस	107
8. रद्दकरण आदेश बनाए/पत्र जारी किये	170
9. जारी किये नामांतरण पत्र	153
10. कम्प्यूटर में समावेशन के लिए पतों में परिवर्तन	418

11.3 भूमि लागत निर्धारण विंग

11.3.1 भू-भाटक की वसूली

भू-भाटक की बकाया की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसे वर्ष के दौरान आगे भी चलाया गया। कम्प्यूटरीकृत चूककर्ता नोटिस (ब्याज सहित) जारी कर दिये गए हैं, जिनकी कुल राशि 34.22 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप भू-भाटक की बकाया राशि की वसूली में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान 34.75 करोड़ रु की राशि वसूल की गई, जो वर्ष 2002-03 में 33.96 करोड़ रु. थी। इन दो वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	भू-भाटक (करोड़ रु. में)
1998-1999	12.86
1999-2000	15.75
2000-2001	20.58
2001-2002	29.50
2002-2003	33.96
2003-2004	37.45



11.3.2 लाइसेंस शुल्क की वसूली

दि.वि.प्रा. की अनेक सम्पत्तियां लाइसेंस शुल्क के आधार पर आर्बिट्रि की जाती है। जनकपुरी जिला केन्द्र और भीकाजी कामा प्लेस में दि.वि.प्रा. की निर्मित सम्पत्तियां भी लाइसेंस शुल्क के आधार पर आर्बिट्रि की गई थी। वर्ष के दौरान इन सम्पत्तियों से लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान लाइसेंस शुल्क की वास्तविक वसूली निम्नानुसार है।

वर्ष	भू-भाटक (करोड़ रु.)
1998-1999	19.29
1999-2000	18.58
2000-2001	20.74
2001-2002	29.89
2002-2003	32.88
2003-2004	33.87

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों के दौरान वसूल राशि में इससे पूर्व के वर्षों की तुलना में पर्याप्त सुधार हुआ है।

अन्य उपलब्धियां/पहल-कार्य

11.3.3 लागत लाभ विश्लेषण

समुचित वित्तीय प्रबन्ध और सुव्यवस्थित परियोजना आंकलन हेतु वर्ष के दौरान 2003-04 और 2004-05 में द्वारका, नरेला, रोहिणी फेज-3 और तिगड़ी कलां के पीवीसी मार्केट की परियोजना के लागत-लाभ विश्लेषण को अंतिम रूप दे दिया गया है और दिनांक 11.3.2004 को आयोजित की गई बैठक में प्राधिकरण द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है। इन्हें अनुमोदन तथा अधिसूचना जारी करने हेतु मंत्रालय को भेज दिया गया है।

11.3.4 सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क दरों के निर्धारण हेतु एजेंडा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 18.12.2003 को आयोजित की गई बैठक में उसे अनुमोदित किया गया तथा सरकार के अनुमोदनार्थ उसे मंत्रालय में भेज दिया गया। मंत्रालय ने फरवरी 2004 में इसे अनुमोदित कर दिया है।

11.3.5 बैंकों, नर्सिंग होम और अतिथि गृह आवासीय क्षेत्रों की अनुमति हेतु परिवर्तन शुल्क

आवासीय परिसरों में बैंकों, नर्सिंग होम और अतिथि गृहों की अनुमति हेतु परिवर्तन शुल्क के लिए दरें सरकार के अनुमोदन के बाद निर्धारित कर दी गई हैं। वित्तीय मुद्दों पर औपचारिकताओं के रूप में स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए भी इन्हें निर्धारित किया गया है।

11.3.6 विलंबित भुगतान पर ब्याज की दरों में संशोधन

ब्याज की दरों में अधिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए 18% वार्षिक की दर से विभिन्न प्रकार के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की दर की समीक्षा की गई है। प्राधिकरण के अनुमोदन से भूमि प्राशुल्क, अनर्जित वृद्धि, दुरुपयोग प्रभार और संघटन शुल्क आदि पर वसूल किये जाने वाले विभिन्न भुगतानों पर ब्याज की दर घटा कर 30 दिन के विलंब के लिए 12.5% और 30 दिन से अधिक विलंब के लिए 15% कर दी गई है। यह दर नीलामी के माध्यम से बेची जानी वाली सम्पत्तियों के लिए विलंबित भुगतान पर भारत सरकार द्वारा हाल में संशोधित दरों के अनुसार है।

11.3.7 क्षति पूर्ति की दरों में संशोधन

इस समय सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण हेतु क्षतिपूर्ति के कारण तीन स्तरीय दरों का ढांचा विद्यमान है (क) 1.4.81 से पूर्व कब्जाधारियों के लिए (ख) 1.4.81 से 31.3.92 तक के अधिभोगियों के लिए (ग) 1.4.92 के बाद के अधिभोगियों के लिए। एक दशक से पूर्व निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति प्रभारों की दरों में काफी समय से संशोधन नहीं हुआ था। शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय (भूमि एवं विकास कार्यालय डिवीजन) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें दि.वि.प्रा. से भूमि की दरें 10% की एक समान दर से लगाने के लिए कहा गया था। यह दर, विद्यमान दरों से लगभग 10 गुनी थी। इसके बाद एक समिति द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष निदेशक, (भूमि लागत) थे और इसमें अन्य संबंधित क्षेत्रों के कई अधिकारी शामिल थे। इसके बाद प्राधिकरण के अनुमोदन से विभिन्न स्तरों पर व्यापक सहमति से एक प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसमें क्षतिपूर्ति की विद्यमान दरों को 2.5 गुना निर्धारित किया गया। नजूल-2 के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों (दि.वि.प्रा. के अधीन भूमि हेतु) के लिए सरकारी नमूने को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव अनुमोदनार्थ मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।





स्कैटिंग रिक का दृश्य

12.1 खेलों का शुभारम्भ

जब से दि.वि.प्रा. ने दिल्लीवासियों को किफायती सुविधाएं प्रदान की हैं तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सब 1989 में सीरी फोर्ट में इसके प्रथम खेल परिसर की स्थापना के साथ शुरू हुआ। संरचना के विकास सहित खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, जिसे दि.वि.प्रा. आगामी वर्ष में चलाता है, प्रतिवर्ष की वार्षिक कार्य योजना से इसका आरंभ होता है। नई सुविधाओं के विकास को बढ़ाने और पुरानी खेल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान भरसक प्रयास किये गए। प्राधिकरण से यह भी कहा गया कि अब से डिजाइन और विकास स्तर पर उपयोगकर्ताओं की अपेक्षानुसार खेल संरचना का विकास उसे करना होगा। यह स्मरणीय है कि चल रही परियोजनाओं और वर्ष के दौरान खेल विंग द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं की प्रगति की मात्रा और स्तर दोनों में आशानुरूप वृद्धि हुई है।

12.1.1 खेल परिणामों को देखते हुए एथलेटिक्स प्रोत्साहन स्कीम आरंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित एथलीटों ने राज्य और राष्ट्र स्तर पर पदक जीते हैं। डी.डी.ए. फुटबाल प्रोत्साहन स्कीम टीम ने भी राज्य स्तर पर टूर्नामेंट जीते हैं। डी.डी.ए. ओपन स्क्वैश, जूनियर ओपन टेनिस (ए आई टी ए रैंकिंग) जैसे राष्ट्र स्तरीय खेल अत्यन्त प्रतियोगी हो गए हैं और देश के अधिकतर राज्य इसमें भाग लेते हैं। इसलिए हाकी टूर्नामेंट को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया है। स्कैटिंग, वॉली बाल, बास्केट बाल, फुटबाल और हॉकी में पुरस्कार राशि आमंत्रण टूर्नामेंट भी आयोजित किये गए।

12.1.2 खेल परिसरों में नियमित प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जाती हैं और गर्मी की छुट्टियों के दौरान ग्रीष्म प्रशिक्षण कैम्प चलाए जाते हैं, जिनमें सदस्यों को उनकी पसन्द के खेलों को सीखने के लिए सदस्यों और गैर सदस्यों को

अवसर प्रदान किये जाते हैं। क्रिकेट अकादमी/प्रशिक्षण योजनाओं में दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले क्रिकेट प्रशिक्षण के अन्तर्गत बच्चों के लिए भी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।

12.1.3 तैराकी के सीजन के दौरान दि.वि.प्रा. के तरणताल बहुत लोकप्रिय होते हैं और तैरने तथा तैराकी सीखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्लीवासियों को आकर्षित किया है। दि.वि.प्रा. की बहु व्यायामशालाओं का भी विशेषकर हरित क्षेत्रों में निकटवर्ती निवासियों द्वारा खूब उपयोग किया जाता है। यमुना खेल परिसर और कान्ति नगर खेल मैदान में महिलाओं की बहु व्यायामशाला ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को आकर्षित किया है।

12.1.4 दि.वि.प्रा. ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 हेतु बोली जीतने में सक्रिय भूमिका निभाई और खेल गांव परिसर बनाने और इन खेलों के एक भाग के रूप में बैडमिंटन, स्क्वैश, बॉक्सिंग, रेस्टलिंग और रूग्बाइ के आतिथ्य के लिए आधारिक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी ली है। दि.वि.प्रा. 10 जून 2004 को आयोजित होने वाले एथेंस 2004 ओलंपिक्स का दिल्ली के माध्यम से टाच रिले के समन्वय में भी शामिल हो चुका है।

12.1.5 खेल परिसर चलाने और रख-रखाव के अतिरिक्त खेल विंग ने विभिन्न खेलों के प्रायोजन द्वारा दिल्ली में खेलों को प्रोत्साहन का कार्य भी शुरू किया है।

12.1.6 खेल संरचना का विकास, मौजूदा सुविधाओं को प्रोत्साहन, टूर्नामेंट और प्रोत्साहन योजनाओं सहित खेल गतिविधियां, सदस्यता प्रबन्ध, प्रचार और वित्तीय व्यवस्था के संबंध में मुख्य उपलब्धियां अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं।

12.2 खेल कूद संरचना

12.2.1 मौजूदा खेल कूद संरचना

निम्नलिखित खेल संरचना का विकास किया गया है और खेल-कूद विंग द्वारा इसका रख-रखाव किया जा रहा है और चलाया जा रहा है।

खेल परिसर	: 13
लघु खेल परिसर	: 01
खेल परिसरों में तरण ताल	: 09
खेल मैदानों (मुनीरका) में	: 01
तरण ताल	
खेल परिसरों में बहु-व्यायामशाला	: 13 (यमुना खेल परिसर में एक महिला व्यायामशाला सहित)
खेल मैदान में बहु-व्यायामशाला	: 23 (कान्ति नगर में एक महिला व्यायामशाला सहित)
आन्तरिक बहुउद्देश्यीय हॉल	: 6 (सीरी फोर्ट, हरी नगर, रोहिणी, द्वारका, पूर्व दिल्ली खेल परिसर एवं यमुना खेल परिसर)
गोल्फ कोर्स	
कुतब गोल्फ कोर्स	: 18 होल वाला सार्वजनिक गोल्फ कोर्स और एक ड्राइविंग रेन्ज
भलस्वा गोल्फ कोर्स	: 3 होल और एक ड्राइविंग रेन्ज मौजूद हैं।

12.2.2 वर्ष के दौरान खेल संरचना का विकास

खेल परिसर: वसन्त कुंज का उद्घाटन माननीय श्रम मंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा 5 फरवरी 2004 को किया गया।

लघु खेल परिसर: मुनीरका में बाबा गंग नाथ खेल परिसर में तरणताल जोड़ कर इसे पूर्णरूप से सक्रिय किया गया। प्रताप नगर और कान्ति नगर में दो लघु परिसरों का विकास चल रहा है।

बहु-व्यायामशालाएं: 4 बहु व्यायामशालाएं अर्थात वसन्त कुंज, सुभाष नगर, जनकपुरी ए-1बी, अवन्तिका सैक्टर 'ए' रोहिणी जोड़ी गई। एक अन्य व्यायामशाला प्रसाद नगर में विकसित की जा रही है।

तरण ताल: वर्ष के दौरान मुनीरका में तरणताल चलाया जा रहा है। द्वारका, वसन्त कुंज, पीतमपुरा, कान्तिनगर और प्रताप नगर में पांच तरणताल विकासाधीन हैं।



श्री ए.के. पटनायक, वित्त सदस्य एवं श्री सुनील शर्मा, आयुक्त (कार्मिक) के बीच जारी टेबल टेनिस मैच

12.2.3 खेल सुविधाओं का उत्तरोत्तर विकास

खेल परिसर	2001-02	2002-03	2003-04
	3 (द्वारका, चिल्ला एवं जसौला)	1 (मुनीरका खेल परिसर) 4 नए विकसित परिसरों पीतम पुरा, द्वारका, चिल्ला एवं जसौला में सदस्यता खोली गई	1 (वसन्त कुंज का उद्घाटन किया गया)
तरण ताल	1 (यमुना खेल परिसर)	2 (जसौला एवं पश्चिम विहार)	1 (मुनीरका)
बहुव्यायामशाला	3 (कल्याण विहार, जनकपुरी सी-2बी, कान्ति नगर महिलाओं के लिए)	10 (सुभाष मुहल्ला बिन्दापुर, गोकुल पुरी, हस्थल, मुनीरका, जसौला, द्वारका, चिल्ला, पूर्व दिल्ली खेल परिसर एवं यमुना खेल परिसर महिला व्यायामशाला	4 (अवन्तिका, वसन्त कुंज, जनकपुरी ए-1बी, सुभाष नगर
इंडोर हॉल्स	2 (द्वारका एवं हरी नगर)	1 सीरी फोर्ट खेल परिसर	1 सकेत खेल परिसर में निर्माणाधीन है।
गोल्फ कोर्स	1 (कुतब गोल्फ कोर्स के 18 हॉल्स)	1 (3 हॉल्स भलस्वा गोल्फ कोर्स)	भलस्वा एवं कुतब गोल्फ कोर्स का आगे विकास



गोल्फ कोर्स: वर्ष के दौरान कुतब गोल्फ कोर्स में एक अतिरिक्त होल का विकास शुरू किया गया और भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास कार्य चल रहा है।

खेल मैदान: खेल विंग द्वारा ग्रहण करने के लिए बताए गए 8 खेल मैदानों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहन शुरू किया गया।

12.2.4 भावी प्रस्ताव

दो लघु खेल परिसर कान्ति नगर और प्रताप नगर का विकास चल रहा है और 2005 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

प्रसाद नगर में एक बहु व्यायामशाला अधिकांश रूप से पूर्ण है और 2004 में उद्घाटन किए जाने की संभावना है।

पांच खेल परिसरों का उन क्षेत्रों में विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्तमान में सेवाधीन हैं। ये नरेला, करोल बाग,

पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, रोहिणी फेज-3, राजघाट और द्वारका फेज-2 में स्थित होंगे।

पांच तरण ताल द्वारका, वसन्त कुंज, पीतमपुरा, कान्ति नगर और प्रताप नगर में निर्माणाधीन हैं और वर्ष के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है।

12.3 वर्तमान सुविधाओं को प्रोत्साहन

खेल सुविधाओं को प्रोत्साहन देना एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक खेल परिसर की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इसे प्रति वर्ष कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष के दौरान मुख्य प्रोत्साहन निम्नानुसार है:

तरण ताल: अप्रैल-2004 में तैराकी का सीजन शुरू होने से पूर्व टाइलों की मरम्मत, सफाई, सफेदी/डिस्टैम्पर के साथ-साथ सभी कार्यशील तरण तालों के जल सफाई सयंत्रों में परिवर्तन सहित प्लांट रूम में विद्युत मरम्मत की गई। तथापि, सीरी फोर्ट में तरण ताल पूर्ण नवीकरण के अन्तर्गत है और मई 2004 में क्रियाशील हो जाने की उम्मीद है।

बहु व्यायामशालाएं: उपकरणों की मरम्मत और सामान्य सिविल/इलैक्ट्रीकल रख रखाव, सभी बहुव्यायामशालाओं में किया गया। सीरीफोर्ट में बहुव्यायामशाला वर्तमान में व्यापक नवीकरण के अन्तर्गत है।

बैडमिंटन हाल: साकेत में ढका हुआ बैडमिंटन हाल निर्माणाधीन है और 2004-05 में चालू हो जाने की संभावना है।

एअरोबिक हाल: साकेत और सीरीफोर्ट में एअरोबिक हालों



जारी एअरोबिक्स सत्र

12.4 खेल गतिविधियां

12.4.1 दि.वि.प्रा. द्वारा प्रायोजित मुख्य पुरस्कार राशि टूर्नामेंट निम्नानुसार हैं:

टूर्नामेंट का नाम	तिथि	स्थल
उप-राज्यपाल कप फुटबाल टूर्नामेंट-2003 (1.6 लाख रू. पुरस्कार राशि)	25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2003 तक	डा. अम्बेडकर स्टेडियम
चौथा दि.वि.प्रा. आमंत्रण वॉलीबाल टूर्नामेंट-2003	15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2004 तक	हरी नगर खेल परिसर
डी डी ए ओपन जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप (ए आई टी ए रैंकिंग)	3 नवंबर से 8 नवंबर 2003 तक	साकेत खेल परिसर
17 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए दूसरा डी डी ए फुटबाल टूर्नामेंट-2003 (पुरस्कार राशि 75,000/-रू.)	25 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2003	सीरीफोर्ट खेल परिसर
राष्ट्रीय स्तर तीरंदाजी टूर्नामेंट तृतीय चरण (पुरस्कार राशि 1.75 लाख रू.), पूर्णरूप से दि.वि.प्रा. द्वारा प्रायोजित	27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2003 तक	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
अखिल भारतीय पुरस्कार राशि हॉकी टूर्नामेंट (पुरस्कार राशि 3.00 लाख रू.)	24 से 30 जनवरी 2004	शिवाजी स्टेडियम
ग्यारहवां डी.डी.ए. ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट (1.50 लाख रू. की पुरस्कार राशि)	19 फरवरी से 25 फरवरी 04 तक	सीरी फोर्ट खेल परिसर



को वातानुकूलित किया गया है, जिससे एअरोबिक की कक्षाओं में सुधार हुआ है। जसौला खेल परिसर में एक एअरोबिक हाल निर्माणाधीन है।

टेनिस कोर्ट: वर्ष के दौरान सीरीफोर्ट में दो टेनिस परिसरों का सुधार कर सिंथेटिक परिसर बनाए गये। सीरीफोर्ट में चार हार्ड कोर्ट और साकेत खेल परिसर में तीन हार्ड कोर्ट सिंथेटिक तल कोर्ट में बदले जाने की प्रक्रिया में हैं।

स्ववेश कोर्ट: साकेत में सभी चार स्ववेश परिसरों में लकड़ी के फर्श का नवीकरण किया गया है। इन सभी परिसरों में अब काले शीशे की दीवार हैं। हरी नगर खेल परिसर में स्ववेश परिसर में लकड़ी का फर्श पुनः बिछाया गया है। जसौला में दो शीशों की दीवार वाले परिसरों का निर्माण कार्य अधिकतर पूरा हो गया है।

12.4.2 खेल परिसरों में आयोजित टूर्नामेंट

सीरी फोर्ट खेल परिसर:

- स्कूल के बच्चों के लिए 25 नवम्बर 2003 से 3 दिसंबर 2003 तक आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
- 12वां उपाध्यक्ष क्रिकेट टूर्नामेंट 23 फरवरी 2003 को आयोजित किया गया।

साकेत खेल परिसर:

दिसंबर 2003 में खेल समारोह के साथ स्कूलों के लिए आमंत्रण बास्केट बॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया।

नेताजी सुभाष खेल परिसर:

खेल समारोह के साथ-साथ स्कूल/कालेज के लड़कों एवं लड़कियों के लिए आमंत्रण बास्केट बाल टूर्नामेंट आयोजित किया गया।

पश्चिम विहार खेल परिसर:

स्कूली बच्चों (14 वर्ष से कम) के लिए अक्टूबर 2003 में दूसरा आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। बच्चों के लिए दिल्ली राज्य स्तरीय स्केटिंग चैम्पियनशिप 23 अगस्त 2003 को आयोजित की गई थी।



गोल्फ कोर्स, लाडो सराय

द्वारका खेल परिसर:

14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए आमंत्रण खेल 7, 8 और 12 अक्टूबर को आयोजित किये गए।

हरी नगर खेल परिसर:

चौथा दि.वि.प्रा. आमंत्रण वॉली बाल टूर्नामेंट 2003, अक्टूबर 2003 में आयोजित किया गया।

मेजर ध्यान चन्द खेल परिसर:

9वें रौलर स्केटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन खेल समारोह 2003 में भाग के रूप में किया गया।

रोहणी खेल परिसर:

खेल समारोह के साथ वधिरो और नेत्रहीनों के लिए आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

पूर्व दिल्ली खेल परिसर:

दूसरा डी.डी.ए. इंटर स्कूल बास्केट बाल टूर्नामेंट 1 से 15 नवंबर 2003 तक आयोजित किया गया।

यमुना खेल परिसर:

- जिमनास्टिक का आयोजन 2 से 4 मई 2003 तक किया गया।
- ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का आयोजन 15 जून 2003 को किया गया।
- इंटर स्कूल आमंत्रण टूर्नामेंट 2003 का आयोजन 19 से 22 नवंबर 2003 तक किया गया।
- परिसर में पल्स पोलिओ फुटबाल टूर्नामेंट 2003 का आयोजन 2 सितम्बर से 13 सितम्बर 2003 तक किया गया। इसमें 24 स्कूलों ने भाग लिया।

चिल्ला खेल परिसर:

- इंटर कॉम्प्लैक्स क्रिकेट कोचिंग/एकेडमी टूर्नामेंट 2003 का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2003 में किया गया।

कुतब गोल्फ कोर्स:

- इंडियन नेवी और डी.डी.ए. के मध्य दिनांक 7 दिसंबर 2003 को एडमिरल कप का आयोजन किया गया।
- उप-राज्यपाल गोल्फ टूर्नामेंट 7-8 फरवरी 2004 को आयोजित किया गया।
- सीएजी कप गोल्फ टूर्नामेंट 2 फरवरी 2004 को आयोजित किया गया।

लघु टूर टूर्नामेंट: • भारत के व्यावसायिक गोल्फ खिलाड़ियों के संगठन का मिनी टूर टूर्नामेंट 4 और 5 दिसंबर 2003 को 36 होलों पर आयोजित किया गया।

- कुतब गोल्फ कोर्स में दिनांक 6 सितंबर 2003 को स्थायी फोर्ड फुल ईन्डीकैप 18 होल पर मेडल राउन्ड टूर्नामेंट खेला गया था, इस टूर्नामेंट में 63 ने भाग लिया।





सीरी फोर्ट खेल परिसर में स्क्वाश प्रशिक्षण

12.4.3 अन्य खेल गतिविधियां

खेल समारोह: अक्टूबर से दिसंबर 2003 तक खेल उत्सव मनाया गया। सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए टेनिस, बैड मिंटन, स्क्वैश, टी टी, विलिअर्ड्स/स्नूकर की प्रतियोगिताएं परिसरों में कराई गई। कुछ परिसरों ने बच्चों के लिए स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जौगिंग/वाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया।

प्रशिक्षण: पूरे वर्ष टेनिस, क्रिकेट, स्केटिंग, कराटें, टेबल टेनिस, बास्केट बाल, तैराकी, एआरोबिक्स, योगा, बैडमिंटन, स्क्वैश एवं दीवार आरोहण की नियमित कक्षाएं आयोजित की गई थीं। इस वर्ष से सीरी फोर्ट एवं साकेत खेल परिसरों में टेनिस में गहन प्रशिक्षण शुरू किया गया।

ग्रीष्म प्रशिक्षण कैम्प: सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेल, जैसे टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश, बास्केट बाल, स्केटिंग, ताइक्वांडो, तैराकी आदि का मई-जून 2003 के दौरान विशेष ग्रीष्म प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सदस्यों, उनके आश्रितों और गैर-सदस्यों ने इन कैम्पों में भाग लिया।

तैराकी: अप्रैल, 2003 के पहले सप्ताह के दौरान दि.वि.प्रा. में सभी 10 तरणतालों में तैराकी के कार्यक्रम शुरू किये गये। तैराकी की समय-अवधि के दौरान सदस्यों, उनके आश्रितों और गैर-सदस्यों ने खेलों का आनन्द लिया। अनेक स्कूलों ने अपने छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए तरणतालों को बुक भी करवाया। सितम्बर, 2003 में तैराकी की काल अवधि की समाप्ति पर कुछ परिसरों ने तैराकी समारोह का आयोजन भी किया।

कृत्रिम दीवार पर चढ़ना : कोंडली स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल और दरियागंज स्थित हैप्पी हायर सेकेण्डरी स्कूल के लगभग 900 छात्रों को 14, 15 और 20 दिसम्बर, 2003 को यमुना खेल परिसर में कृत्रिम दीवार पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया गया।

गोल्फ: गोल्फ क्लिनिक : उन सभी व्यक्तियों, जिनके पास कुतुब गोल्फ कोर्स में खेलने का अधिकार है, के लिए 2 अप्रैल, 2003 से 26 अप्रैल, 2003 तक एक निःशुल्क गोल्फ क्लिनिक आयोजित की गई। सीरीफोर्ट गोल्फ ड्राइविंग रेंज पर गोल्फ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई।

12.5 खेलकूद प्रोत्साहन योजना

12.5.1 एथलेटिक्स : 16 वर्ष से कम के लड़के और लड़कियों के लिए दि.वि.प्रा. की एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना नवम्बर, 2001 में आरम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार करना है। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री जी.एस. रंधावा दि.वि.प्रा. के एथलेटिक्स सलाहकार हैं और वे चुने हुए एथलीटों को प्रशिक्षण देने का निरीक्षण भी करते हैं। फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों अर्थात् 16, 18 एवं 20 वर्ष से कम आयु वर्ग में 14 एथलीट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले एथलीटों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और कुल मिलाकर 29 स्वर्ण, 22 रजत और 9 कांस्य पदक प्राप्त किये।

- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 7 से 9 अगस्त, 2003 तक आयोजित दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप।
- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 18 से 19 अगस्त, 2003 तक आयोजित नार्थ जोन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप।
- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 13 से 19 सितम्बर, 2003 तक आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप।
- जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2003 तक आयोजित स्वाभिमान खेल उत्सव एथलेटिक प्रतियोगिता।
- चेन्नई में 4 से 5 अक्टूबर, 2003 तक आयोजित नेशनल फेडरेशन कप जूनियर चैम्पियनशिप।
- छत्रसाल स्टेडियम में 4 से 10 नवम्बर, 2003 तक आयोजित इंटर जोनल एथलेटिक चैम्पियनशिप।
- मानेसर (गुजरात) में 15 से 18 नवम्बर, 2003 तक आयोजित सी.बी.एस.ई. नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप।
- कोलम में 20 से 24 दिसम्बर, 2003 तक आयोजित नेशनल इंटरस्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2003।
- जल पाई गुड़ी में 10 से 15 जनवरी, 2004 तक आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स।
- टाटा नगर में 27 से 31 जनवरी, 2004 तक आयोजित 64वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप।

12.5.2 फुटबाल : दि.वि.प्रा. ने दिल्ली में फुटबाल के खेल को बढ़ावा देने और प्रसिद्ध बनाने के लिए 1 जून, 2002 से फुटबाल प्रोत्साहन योजना आरम्भ की थी। सीरी फोर्ट और यमुना खेल परिसर मुख्य केन्द्र हैं जहाँ श्री मेल्विन डिस्जूजा और एन.आई.एस. के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उनकी टीम में विशेष मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों की दो श्रेणियों अर्थात् 13 और 16 से कम आयु के लिए सीरी फोर्ट और यमुना खेल



परिसर में क्रमशः 14 और 15 जून, 2003 को चयन हेतु परीक्षण का आयोजन किया गया। फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत 69 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 14 और 17 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों से बनाई गई टीमों की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:

- **चार टीमों :** 14 और 17 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की दो-दो टीमों ने 7 से 24 अक्टूबर, 2003 तक आयोजित नीविया ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया और सीरी फोर्ट की 14 वर्ष से कम आयु की टीम ने नीविया एकादश को 5:0 से हराकर नीविया कप जीत लिया और सीरी फोर्ट की 17 वर्ष से कम आयु की टीम टूर्नामेंट के सेमी फाइनल तक पहुँची।

- यमुना खेल परिसर की 17 वर्ष से कम आयु की टीम ने 2 अक्टूबर, 2003 को स्वाभिमान फेस्टिवल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन तीसरा स्थान प्राप्त किया।

- दि.वि.प्रा. की 17 और 14 वर्ष से कम आयु की फुटबॉल टीमों ने 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 2003 तक सीरी फोर्ट में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में 75,000/- ₹. की पुरस्कार राशि वाले द्वितीय उपाध्यक्ष कप में क्रमशः विजेता और उप-विजेता का स्थान प्राप्त किया। इस टूर्नामेंट में 21 अच्छी स्कूल टीमों ने भाग लिया था।



जारी लॉन टेनिस मैच का दृश्य

- 14 और 17 वर्ष से कम आयु की टीमों ने खेड़ी तेलवाड़ा (महिन्द्रगढ़) में 5 से 8 फरवरी, 2004 तक आयोजित हरियाणा आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में 17 वर्ष से कम आयु की टीम अपने वर्ग में विजेता रही, जबकि 14 वर्ष से कम आयु की टीम सेमीफाइनल तक पहुँची।

- दि.वि.प्रा. फुटबॉल प्रोत्साहन योजना के तीन प्रशिक्षार्थियों को अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान के अन्तर्गत कोलकाता/गोवा में प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उदीयमान फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है।

12.6 सदस्यता प्रबन्ध

वर्ष के दौरान 3092 सदस्यों का नामांकन किया गया।

12.7 प्रचार

दि.वि.प्रा. खेल समाचार पत्र : दिल्ली वासियों को दि.वि.प्रा. द्वारा सृजित खेल-कूद आधारिक संरचना की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए और दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों में आयोजित किये जा रहे खेल कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए वर्ष 2002 में एक तिमाही खेल समाचार पत्र का आरम्भ किया गया। अभी तक इस पत्र के 8 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें से समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान चार संस्करण प्रकाशित किए गए। इस पत्र में तिमाही के दौरान आयोजित विभिन्न खेल कार्य-कलापों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में दि.वि.प्रा. की भूमिका और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाता है। प्रत्येक पत्र में प्रतिष्ठित खिलाड़ी का लेख भी शामिल होता है। इस समाचार पत्र को सभी ने पसंद किया है तथा स्कूलों / कॉलेजों / क्लबों में यह काफी लोकप्रिय हुआ है।

12.8 प्रशिक्षण

एमटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ अर्बन मैनेजमेन्ट, नई दिल्ली में 15 से 20 दिसम्बर, 2003 तक “सम्पदा प्रबन्ध एवं रखरखाव” विषय पर आयोजित कार्यशाला में 5 अधिकारियों (दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों के सचिवों) ने भाग लिया। खेल विंग के अनेक कर्मचारियों ने दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दि.वि.प्रा. विकास सदन में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया। ये पाठ्यक्रम कम्प्यूटर साक्षरता, आंतरिक लेखा परीक्षा, अग्नि शमन यंत्र का प्रयोग करने, मूल भूत नियम/सेवा नियम/पेंशन नियम, तनाव मुक्ति, रिकार्ड प्रबन्ध और सेवा विनियम एवं आचरण नियमों आदि विषयों से संबंधित थे।

12.9 वित्तीय प्रबन्ध :

वर्ष 1992 में खेल प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में सदस्यों से एकत्रित प्रवेश शुल्क को प्रेषित राशि के रूप में दि.वि.प्रा. मुख्य नजूल खाता-2 में खेलकूद संबंधी आधारिक संरचना के विकास पर खर्च किये गये पूंजी व्यय के लिए अंतरित कर दिया जाता है। अभी तक 19.69 करोड़ रुपये से अधिक राशि दि.वि.प्रा. मुख्यालय में प्रेषित की जा चुकी है। मासिक अंशदान और विविध प्राप्तियों के रूप में एकत्रित हुई निधि को खेल विंग के दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस कारण यह आर्थिक रूप से स्व संपोषित इकाई बन जाती है। खेल विंग में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित लेखा प्रणाली अपनाई जा रही है। खेल परिसरों के वित्तीय प्रबन्ध को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये:

- **सदस्यता संबंधी आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण :** सभी खेल परिसरों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं और सदस्यता संबंधी आंकड़ों को सभी खेल परिसरों में अद्यतन कर दिया गया है।

- **नोटिस भेजना:** तिमाही आधार पर चूककर्ताओं को नोटिस भेजने से लम्बित देय राशि की वसूली में सुधार हुआ है।



• **चूककर्ताओं की सदस्यता को रद्द करने के लिए नियमित अभियान :** चूककर्ताओं की सदस्यता नियमित रूप से रद्द की जा रही है ताकि नये सदस्यों को नामांकित किया जा सके और चूककर्ताओं को सदस्य बने रहने की अनुमति न दी जा सके।

• **बजट एवं लेखा प्रणाली:** खेल लेखा दि.वि.प्रा. मुख्य बजट का एक भाग है और नजूल-2 शीर्ष के अन्तर्गत दि.वि.प्रा. लेखा का भाग भी है। दि.वि.प्रा. के लेखों के शामिल करने के लिए समेकित लेखों को मासिक आधार पर मुख्य लेखाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

• **लेखा परीक्षा :** खातों की लेखा परीक्षा दि.वि.प्रा. के आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा और बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा की जाती है।

• **वित्तीय स्थिति:** खेल विंग की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष : 2003-04 के दौरान आय	:	14.69 करोड़
वर्ष : 2003-04 के दौरान व्यय	:	12.54 करोड़

12.10 निष्कर्ष : दिल्ली विकास प्राधिकरण के खेल परिसर विंग ने प्रारम्भिक रूप से दिल्ली के सभी वर्गों को बहुत कम शुल्क पर खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं सृजन करने का प्रयास किया है। दि.वि.प्रा. की उपलब्धियाँ खेल परिसरों, बहु-व्यायामशालाओं, तरणतालों, प्रशिक्षण सुविधाओं और खेल प्रोत्साहन योजनाओं के रूप में दिखाई देती हैं। पब्लिक गोल्फ कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि जनता को यह खेल बहुत कम दरों पर उपलब्ध कराया जा सके। दि.वि.प्रा. द्वारा देश की स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के टूर्नामेंटों को प्रायोजित किये जाने से हॉकी और फुटबॉल जैसे मुख्य खेलों को बढ़ावा मिला है। दि.वि.प्रा. की एथलेटिक्स और फुटबॉल प्रोत्साहन योजना को भी ख्याति मिली है क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने वाले खिलाड़ियों ने विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं।

सुविधाओं का विकास एवं सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। जिस पर खेल विंग द्वारा निरन्तर नज़र रखी जा रही है।

खेल विंग की प्रशासनिक टीम शत-प्रतिशत खेल कार्यकलापों को पूरा करने में समर्थ रही है, जिनकी योजना उसने अपनी 2003-04



जारी हॉकी मैच का दृश्य

की कार्य योजना के भाग के रूप में बनाई थी। खेल संबंधी आधारीक संरचना में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें एक सम्पूर्ण खेल परिसर, एक छोटा खेल परिसर, चार बहुव्यायामशालाएँ, एक तरणताल और आठ खेल के मैदान शामिल हैं, जिन्हें सुधार के लिए निर्धारित किया गया है और बेहतर रखरखाव, सुविधाओं के सुधार और संचालन संबंधी जिम्मेदारी के लिए समीपतावर्ती दि.वि.प्रा. खेल परिसरों को सौंप दिया गया है। दि.वि.प्रा. के तरणतालों ने भारी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और तैराकी का समय ठीक निकल गया।

खेल परिसरों द्वारा आयोजित ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण शिविरों ने पूरे ग्रीष्म अवकाश के दौरान युवाओं को बहुत मामूली शुल्क पर प्रशिक्षण देने का शानदार कार्य किया है। दि.वि.प्रा. खेल परिसर आमंत्रण खेलकूद टूर्नामेंटों के अतिरिक्त वार्षिक खेल समारोह का आयोजन भी करते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग भाग लेते हैं। सदस्य अपनी पसंद के विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अनेक पुरस्कार जीतते हैं।

सदस्यता प्रबंध ने कम्प्यूटर द्वारा चूककर्ता सदस्यों का पता लगाकर और तिमाही आधार पर उन्हें नोटिस भेजकर अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाया है।

वित्तीय प्रबंध ने भी लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाकर और चूककर्ता सदस्यों को नोटिस जारी करके तथा देय राशि का भुगतान न करने वाले सदस्यों की सदस्यता रद्द करके अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाया है।



उद्यान- राजधानी को हरा-भरा बनाना



रोहिणी स्थित बाग

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा-भरा रहने वाले वन का मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश में श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों के विकास, वन क्षेत्र, हरित



पुष्प प्रदर्शनी का दृश्य

पट्टियों, गोल्फ कोर्स, खेल परिसर, सहस्राब्दी पार्क और आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आस-पास बने हुए लघु भूखण्डों के कारण मिला है।

वर्ष के दौरान व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, मंत्रियों/विधायकों और सांसदों ने भी भाग लिया। दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग द्वारा फरवरी, 2004 में सफलतापूर्वक एक पुष्प-प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

13.2 पिछले वर्ष की तरह दि.वि.प्रा. ने वसंत ऋतु के दौरान 22 फरवरी से 29 फरवरी, 2004 तक उद्यान उत्सव का आयोजन करने का निर्णय भी किया। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने “अच्छे जीवन स्तर के लिए हरित क्षेत्रों का विकास” संबंधी विषय के पालन हेतु भरसक प्रयास किये।

अपने प्रारम्भिक काल से चार दशकों में दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के पर्यावरण को अच्छा बनाने में सफलता पाई है और दिल्ली निवासियों को अच्छा एवं सुखी जीवन प्रदान किया है। यह माना जाना चाहिए कि दिल्ली का विकास एक निरन्तर प्रगतिशील प्रक्रिया है

वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तरी जोन में कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ

क्र. सं.	मद	वर्ष 2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	वृक्षारोपण	2,10,000	58,208 वृक्ष 1,62,081 झाड़ियाँ
2.	नए लानों का विकास	131.10 एकड़	98.77 एकड़
3.	बाल उद्यान का विकास	30	22 सैट
4.	खेल के मैदानों का विकास	1	1 सी.सी. कालोनी कल्याण विहार
5.	खंभों पर पौधरोपण	2150	1500
6.	उद्यानों का सुधार	14	5
7.	सीड बैड में पौधे तैयार करना	3,54,700	3,17,250
8.	ट्यूब वेल लगाना	33	18
9.	पम्पसेट लगाना	62	25
10.	पानी की पाइप लाइन की व्यवस्था करना	17,760	2700
11.	पम्प हाउस का निर्माण	74	29
12.	पार्कों में प्रकाश व्यवस्था करना	40	15
13.	खाद के गड्ढे	105	75
14.	फुटपाथ का निर्माण	18,050 वर्ग मी.	16,240 वर्ग मी.
15.	चार दीवारी लगाना	5000 आर.मीटर	1500 आर.मीटर पूरी कर दी गई 2500 आर.मीटर का कार्य चल रहा है
16.	स्मृति वन का विकास	1	कार्य चल रहा है

वर्ष 2003-04 के दौरान दक्षिणी जोन में कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ

क्र. सं.	मद	वर्ष 2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	गड्ढे खोदना	2.50 लाख	2,75,500
2.	वृक्षारोपण	2.50 लाख	2,50,825
3.	खम्भों पर वृक्षारोपण	4750	1,400
4.	रोड डिवाइडर पर वृक्षारोपण	16000	14,000
5.	क्यारियों में पौधे तैयार करना	7.48 लाख	5,97,490
6.	वृक्षारोपण करके पार्कों का सुधार करना	53	33
7.	नए लॉनों/ का विकास	166.91 एकड़	89.92 एकड़
8.	बाल कॉर्नर/पार्क	18	18
9.	ट्यूब वेल/नये बोरिंग की व्यवस्था	142	134
10.	पम्प सैट लगाना	133	12
11.	पानी की पाइप लाइन लगाना	42400 आर.मीटर	शून्य
12.	चारदीवारी	21385 आर.मीटर	1590 आर.मीटर
13.	फुटपाथ/कब्र स्टोन	10800 आर.मीटर	200 आर.मीटर
14.	पार्कों में बिजली की व्यवस्था	200	39
15.	खाद के गड्ढे	126	40
16.	पम्प हाउस का निर्माण	61	शून्य
17.	स्थल कार्यालय एवं भण्डार	17	शून्य
18.	चिक हाउस का निर्माण	12	शून्य
19.	शेल्टर का निर्माण	11	3



कोटि

14 नियंत्रण कक्ष



दि.वि.प्रा. की कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला का दृश्य

14.1 सन् 2003-04 का उद्देश्य सर्वप्रथम गुणवत्ता पर ध्यान देना था और यह निर्माण कार्य एवं दैनिक कार्य की गुणवत्ता में सुधार की पहचान बन गया है। चूंकि गुणवत्ता दि.वि.प्रा. का नया मंत्र है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए गुणवत्ता के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए।

14.2 कोटि नियंत्रण कक्ष निर्माण-कार्य के विभिन्न स्थलों पर प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की प्रभावी रूप से निगरानी करने में समर्थ रहा है और यदि कोई कमी पाई गई है तो उसे तुरन्त प्रभावी कार्रवाई के लिए अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता की जानकारी में लाया गया है। ऐसे कार्यों, जिनमें दोषपूर्ण कार्यों को गिराने/ उनका फिर से निर्माण करने का काम शामिल है, के लिए उपयुक्त प्रशासनिक/ संचिदा संबंधी कार्रवाई की गई।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा स्थल के विभिन्न निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि मुख्य अभियंताओं द्वारा विकास कार्यों के लिए कंक्रीट पेवर टाइलों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। इस संबंध में सी.पी.डब्ल्यू.डी/बी.आई.एस./आई आर. सी. की कोई निर्धारित विनिर्दिष्टियाँ नहीं है। अतः यह पाया गया था कि पेवर टाइल्स बिछाने के लिए कोई एकरूप विनिर्दिष्टियाँ नहीं अपनाई जा रही थीं।

14.4 इस कार्य के लिए एकरूप विनिर्दिष्टियाँ तैयार करने का कार्य कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा शुरू किया गया। इस संबंध में उत्पाद के मुख्य और अच्छी कोटि वाले विनिर्माताओं से संबद्ध आंकड़े प्राप्त करने का परिश्रमपूर्ण कार्य किया गया और इस मामले पर भारतीय मानक ब्यूरो और इंडियन रोड कांग्रेस के साथ विचार-विमर्श भी किया गया, जो पेविंग के लिए प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक की विनिर्दिष्टियाँ तैयार करने की प्रक्रिया में है।

14.5 इसी बीच दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष ने पेवर टाइल्स के लिए (जब तक बी.आई.एस./सी.पी.डब्ल्यू.डी. और आई. आर.सी. का इस बारे में निर्णय नहीं आता) मार्ग निर्देश/मानदण्ड तैयार किये हैं और ये प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर हैं तथा जल्दी ही परिचालित कर दिये जाएंगे।

14.6 यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्यकलाप में दि.वि.प्रा. नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल कर रहा है जिससे नई दिशाएँ खोल रहा है और निर्माण कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है। जैसे -फ्लाई ओवरों का निर्माण, मुख्य योजना सड़कों का निर्माण, टर्न की आधार पर आवासों का निर्माण आदि।

14.7 दि.वि.प्रा. के निर्माण-कार्यों में निर्धारित विनिर्दिष्टियों के

अनुसार मिश्रित कंक्रीट डिजाइन की संकल्पना भी बड़े पैमाने पर अपनाई गई है। दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष ने इस प्रकार के कार्य किये हैं और स्थल कर्मचारियों को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी है ताकि इसका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

14.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, लम्बित कोटि नियंत्रण पैरा/ मामलों की समाप्ति के बैंक लॉग को निपटाने पर भी जोर दिया गया, जिसके लिए कोटि नियंत्रण कक्ष के सभी अधिशासी अभियंताओं द्वारा विभिन्न अधिकारियों के पास देरी वाले मामलों का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया। व्यापक कार्रवाई करने के बाद देरी वाले मामलों की सूचना सभी मुख्य अभियंताओं को उनके उत्तर भेजने/उनकी निगरानी करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने हेतु भेज दी गई थी। कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा भी देरी वाले मामलों को कम करने और मामलों को समाप्त करने के लिए पूरी निगरानी की जाएगी।

14.9 इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कोटि नियंत्रण कक्ष द्वारा किये जा रहे निरीक्षण निर्माण-कार्य की गुणवत्ता में सुधार/रिकार्ड के समुचित रखरखाव/अनिवार्य निर्धारित परीक्षण करने आदि की दृष्टि से प्रभावी रूप से किये जा रहे हैं। सभी मुख्य अभियंताओं को पहले और निरीक्षणों के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची दे दी गई थी ताकि ज्ञापन का पालन करने के मामले में समय नष्ट न हो और निरीक्षण में बताए गये उद्देश्य से कार्य पूरा किया जा सके। इससे निश्चित रूप से निर्माण-कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा उसके लिए प्रयास सुदृढ़ होंगे क्योंकि गुणवत्ता अभियंताओं द्वारा किये गये समुचित कार्य पालन से झलकती है। चूंकि दि.वि.प्रा. को निर्माण और भूमि-प्रबंध का प्रमुख कार्य सौंपा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने में ही जनहित निहित है।

दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष के कार्य निष्पादन/ उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े

क्र.सं.	मर्दे	2003-04	2002-03	2001-02
1.	निरीक्षण	362	373	382
2.	नमूने/सामग्री	383	410	429
3.	फाइलें बंद करना	150	326	397
4.	शिकायतें	05	05	03
5.	कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला में नमूनों की जाँच	11569	9213	7003





रोहिणी में एक पार्क

15.1 वित्त संबंधी सभी मामले दि.वि.प्रा. के वित्त एवं लेखा विभाग के अन्तर्गत आते हैं। यह कार्य वित्त सदस्य के विश्वसनीय हाथों में सौंपा गया है, जिनकी सहायता मुख्य लेखाधिकारी, वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) और निदेशक (वित्त) द्वारा की जाती है।

दि.वि.प्रा. का वित्त एवं लेखा विभाग दि.वि.प्रा. के वित्त का कामकाज देखता है। यह विभाग वार्षिक लेखा तैयार करने, बजट बनाने, शहरी विकास निधि का निधि प्रबंध करने, शहरी विरासत पुरस्कार निधि, सामान्य भविष्य निधि सहित, कर्मचारी पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन वितरण एवं परियोजना अनुमोदन का कार्य करता है।

15.2 प्राधिकरण के वार्षिक खाते

क) बजट एवं लेखा उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण का लेखा निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत रखा जाता है:

1. नजूल खाता - 1
2. नजूल खाता - 2
3. बजट सामान्य विकास खाता

ख) 31.3.2004 को तीनों खातों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षिप्त रूप से दी गई है:

1. नजूल खाता - 1

नजूल खाता-1 पुरानी नजूल संपदा से संबंधित लेनदेन को प्रदर्शित करता है, जो प्रबन्ध हेतु सरकार द्वारा पुराने नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप दी गई थी और बाद में इसे दि.वि.प्रा. द्वारा दिसम्बर, 1957 में उत्तराधिकारी निकाय के रूप में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस खाते में दिल्ली मुख्य योजना और जोनल विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित लेनदेन भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस खाते के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय इस प्रकार रहा :

आंकड़े करोड़ रु. में

	2001-02	2002-03	2003-04 (वास्तविक आंकड़े)
प्राप्तियाँ	2.73	9.16	2.86
व्यय	14.18	14.76	12.38

2. नजूल खाता - 2

इस खाते में दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और उनके निपटान की स्कीम से संबंधित लेनदेन शामिल है। इस लेखा के अंतर्गत भूमि के विक्रय से प्राप्त आय और भू-भाटक आदि की वसूली का हिसाब रखा जाता है और व्यय मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण तथा उसके विकास पर किया जाता है। इस खाते में संचयी अधिशेष प्राप्तियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण और बड़े हुए मुआवजे के भुगतान और विकास कार्यों पर व्यय एवं संस्थापना व्यय हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान के लिए किया जाता है। भूमि अधिग्रहण और बड़े हुए मुआवजे के भुगतान हेतु वर्ष 2002-2003 के दौरान किए गए 442.53 करोड़ रुपये के भुगतान के मुकाबले रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को 3/04 तक 219.35 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस लेखाशीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

आंकड़े करोड़ रु. में

	2001-02	2002-03	2003-04 (वास्तविक आंकड़े)
प्राप्तियाँ	478.53	705.92	2466.83
व्यय	739.48	940.94	675.61

3. सामान्य विकास खाता

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है। प्राधिकरण में निहित सभी संपत्तियों और भूमि का भुगतान इस खाते के राजस्व से ही किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत दि.वि.प्रा. उच्च आय वर्ग के अंतर्गत आवासों के अतिरिक्त कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और माध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास कार्यक्रम चलाता है। और दिल्ली के विभिन्न भागों में सुविधा बाजारों/स्थानीय बाजारों में दुकानों तथा



पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित भूमि के लिए भी इस खाते से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार रहा :

आंकड़े करोड़ रु. में

	2001-02	2002-03	2003-04 (वास्तविक आंकड़े)
प्राप्तियां	486.38	487.99	522.09
व्यय	436.08	487.21	572.83

4. वार्षिक खाते

वर्ष 2000-01 तक के वार्षिक खातों को समेकित कर दिया गया है और उनकी लेखा परीक्षा महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा कर दी गई है और वर्ष 2000-2001 तक के प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के वार्षिक खातों को प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महालेखाकार लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. शहरी विकास निधि

1992-93 में भारत सरकार ने लीज होल्ड अवधि को फ्री होल्ड अवधि में परिवर्तित करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 31.3.04 तक 570.35 करोड़ की राशि (निवेश पर ब्याज सहित) प्राप्त की गई। इस खाते में से निधि शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति (प.अ.स.) द्वारा अनुमोदित योजनाओं / परियोजनाओं को दी जा रही है। कुछ परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. लॉट-I, जिसके अन्तर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा रा.रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार की तरफ से सात फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना था, के अन्तर्गत फ्लाई ओवर से संबंधित समझौता ज्ञापन करार के अनुसार परियोजना की कुल लागत 145 करोड़ रुपये है , जिसमें से 110 करोड़ रुपये यू.डी.एफ. से प्राप्त होंगे अर्थात् 88 करोड़ रुपये रा.रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार द्वारा 20 वर्षों में 10% ब्याज की दर से वापस दिया जाने वाला ऋण माना जाएगा और 22 करोड़ रुपये अनुदान राशि मानी जाएगी, जबकि शेष 35 करोड़ रुपये रा.रा.क्षेत्र. दिल्ली सरकार का हिस्सा माना जाएगा। 110 करोड़ रुपये में से 89.70 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है और 20.30 करोड़ रुपये की शेष राशि अभी जारी की जानी है। दिनांक 31.3.2004 तक देय कुल राशि 70.20 करोड़ रुपये है जिसमें 68.40 करोड़ रुपये की राशि अब तक रा.रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार से ऋण की वापसी और उसके हिस्से के रूप में प्राप्त हो चुकी है।
2. लॉट-II, जिसके अन्तर्गत सात फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, के अन्तर्गत फ्लाई ओवर के संबंध में पी. डब्ल्यू.डी./रा.रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार के साथ एम.ओ.यू./करार के अनुसार परियोजना की कुल लागत 135 करोड़ रुपये है। इस राशि में से 75 करोड़ रुपये यू.डी.एफ. से प्राप्त होंगे अर्थात् 50% अनुदान माना जाएगा और 50% ऋण माना जाएगा जो 10% वार्षिक की दर से 2001-02 से वसूल किया जाएगा, जबकि शेष 60 करोड़ रुपये रा.रा.क्षेत्र. दिल्ली सरकार का हिस्सा है। दिनांक 31.3.2004 तक देय की कुल राशि 71.25 करोड़ रुपये है, लेकिन रा.रा. क्षेत्र. दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

3. मिन्दो रोड/माता सुन्दरी रोड से झुगियों के पुनर्वास के लिए दिनांक 17.4.2000 को ऋण के रूप में 9.47 करोड़ रुपये की राशि सी.पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से अपर आयुक्त (स्लम एवं ज.जे.) को जारी की गई थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. से 9,47,78,000/- रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।
4. अफ्रीकी-एशियाई खेलों के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के आस-पास के क्षेत्र की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार/विकास के लिए अनुदान के रूप में 3.00 करोड़ रुपये की राशि सी.पी. डब्ल्यू.डी. को जारी की गई। सी.पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से बिना खर्च हुई 63,69,045/- रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।
5. चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल के निर्माण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. से 2.91 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।
6. ईदगाह बूचड़ खाने के आधुनिकीकरण के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 40 करोड़ रुपये (20 करोड़ ऋण के रूप में और 20 करोड़ अनुदान के रूप में) की राशि स्वीकृत की गई। अनुदान के रूप में 20 करोड़ रुपये में 10.00 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली नगर निगम को जारी कर दी गई है।

6. डी.एम.आर.सी. को भुगतान जारी करना

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो परियोजना (द्वारका सेक्शन) के निधिकरण के लिए शहरी विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृति की सूचना दि.वि.प्रा. को दे दी है। उक्त परियोजना के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसार इस कार्य के लिए कुल 320 करोड़ रुपये अपेक्षित है, जिसमें से 160 करोड़ रुपये यू.डी.एफ. से प्राप्त होंगे जिनमें 50% अनुदान के रूप में और शेष 50% ऋण के रूप में होंगे जिस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा जो समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार शासित होगा।

- i) दि.वि.प्रा. अपनी निधि में से 240 करोड़ रुपये का निधिकरण करेगा क्योंकि यह यू.डी.एफ. के ऋण घटक का लाभ नहीं उठाएगा।
- ii) शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुमोदन / स्वीकृति के अनुसार डी.एम.आर.सी. को अब तक नजूल खाता-2 में 80 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

7. शहरी विरासत पुरस्कार कोष

किसी नगर की विरासत उसके सृजनात्मक उत्साह के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। दिल्ली की कम से कम एक सौ वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, जो अभी उपयोग में हैं, के संरक्षण, सुरक्षा एवं रख-रखाव और उन्हें बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में दि. वि.प्रा. ने पुरस्कार देना प्रारम्भ किया, जिसे “दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरस्कार” कहते हैं और यह दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। 23.50 लाख रु. के आवश्यक फंड की व्यवस्था अलग से की गई है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देने के लिए इसका निवेश किया जाता है।

8. बकाया ऋण एवं अन्य देय राशियाँ

अब ऋण/ऋण पत्र आदि के रूप में दि.वि.प्रा. के प्रति कोई बकाया देयता नहीं रह गई है।



15.3 बजट

क) दि.वि.प्रा. के बजट एवं लेखा नियम 1982 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में अगले वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमानों और चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों को संकलित करने के पश्चात प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित बजट अनुमान केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाता है। विभिन्न सिविल, विद्युत एवं उद्यान विभागों की संबंधित भुगतान इकाइयों द्वारा बजट व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न कार्यों पर व्यय के लिए धनराशि जारी करके प्रभावी बजट नियंत्रण रखा जाता है। बजट के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की आवधिक समीक्षा की जाती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई जाने वाली कमियों को रोकने हेतु समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

ख) क्षेत्रवार बजट, जो विभिन्न कार्यों, योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाता है, प्रतिवर्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा संकलित किया जाता है। विभिन्न योजना/परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि और योजना की वास्तविक प्रगति, जो संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा दर्शाई जाती है, का यह-संबंध है। इससे विभिन्न योजना और परियोजनाओं पर प्रभावी निगरानी आसानी से होती है और समय और लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

ग) बजट एक नजर में

क. प्राप्तियां (आंकड़े करोड़ रु. में)

	2002-03 संशोधित अनुमान	2002-03 वास्तविक आंकड़े	2003-04 संशोधित अनुमान	2003-04 वास्तविक आंकड़े
नजूल खाता-I	3.03	9.16	18.00	2.86
नजूल खाता-II	503.76	705.92	2824.81	2466.83
बी.जी.डी.ए.	657.00	487.99	727.80	522.09
कुल	1163.79	1203.07	3570.61	2991.78

ख. व्यय (आंकड़े करोड़ रु. में)

	2002-03 संशोधित अनुमान	2002-03 वास्तविक आंकड़े	2003-04 संशोधित अनुमान	2003-04 वास्तविक आंकड़े
नजूल खाता-I	21.02	14.76	16.61	12.38
नजूल खाता-II	1065.54	940.94	1077.97	675.61
बी.जी.डी.ए.	511.62	487.21	723.88	572.83
कुल	1598.18	1442.91	1818.46	1260.82

घ) दिल्ली नगर निगम को अंतर प्रभार

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष रखरखाव के लिए काफी संख्या में कालोनियाँ दिल्ली नगर निगम को सौंपता रहा है। वर्ष 2002-2003 में भुगतान किए गए 1.33 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2003-2004 तक के दौरान 3.01 करोड़ रु. का भुगतान दिल्ली नगर निगम को अंतर प्रभार के रूप में किया गया।

15.4 कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

दि.वि.प्रा. ने वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान स्टाफ/अधिकारियों

एवं पेंशनभोगियों के संबंध में बहिरंग उपचार के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की मौद्रिक वार्षिक सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और पेंशन भोगी बाहरी उपचार के अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों, दिल्ली सरकार में पंजीकृत अनुमोदित पैनल के नर्सिंग होमों और निजी अस्पतालों में किए गए आन्तरिक उपचारों के व्यय की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं।

15.5 सामान्य भविष्य निधि योजना

केन्द्रीय सरकार की सामान्य भविष्य निधि योजना के समान ही दि.वि.प्रा. की सामान्य भविष्य निधि योजना इसके कर्मचारियों के लिए लागू है। वर्ष 2002-2003 के दौरान किये गये 259.12 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में 31.3.2004 को केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूति / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के गारंटी बांड में 344.69 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया।

15.6 पेंशन योजना

क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों पर 1973 से लागू हैं। प्राधिकरण से 3909 पेंशनभोगी/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस मासिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान पेंशन संबंधी लाभ के रूप में 14.30 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया।

ख) बैंकों द्वारा पेंशन का संचितरण

i) दि.वि.प्रा. के सेवा निवृत्त कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक, विकास सदन और सेन्ट्रल बैंक दिल्ली क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, में स्थित सभी शाखाओं से अपनी पेंशन ले सकते हैं। यह मामला उनके क्षेत्रों में पड़ने वाले अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी यह सुविधा देने के लिए बैंकों से उठाया गया है।

ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दि.वि.प्रा. ने सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भावी पेंशन देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त निधि रखी है। 3/2004 तक पेंशन निधि निवेश के संबंध में कुल निधि 53.01 करोड़ रु. है।

ग) समूह बीमा योजना (जी.आई.एस.) / हितकारी निधि (बी.एफ.) एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.) इन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. समूह बीमा योजना (जी.आई.एस.)

कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में, जांच सूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित समूह बीमा योजना का पूरा मामला समूह बीमा योजना की राशि के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए आगे की जाँच हेतु आहरण एवं संचितरण अधिकारी द्वारा समूह बीमा योजना शाखा को भेजा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम दस्तावेजों का सत्यापन, जाँच करने के पश्चात दि.वि.प्रा. के पक्ष में समूह बीमा योजना की राशि जारी करता है। तब दि.वि.प्रा. द्वारा कानूनी वारिस को भुगतान किया जाता है।

2. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.)

दुर्घटना के कारण दि.वि.प्रा. कर्मचारी की मृत्यु होने पर और किसी एक अंग अथवा एक आँख इत्यादि का नुकसान होने पर



व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के मामले भी समूह बीमा योजना शाखा में निपटाए जाते हैं। जांच सूची के अनुसार दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ.आई.आर., पोस्ट मार्टम रिपोर्ट इत्यादि सहित पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए समूह बीमा योजना शाखा में भेजा जाता है। समूह बीमा योजना शाखा में दस्तावेजों की जांच की जाती है और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद कानूनी वारिस को दि.वि.प्रा. की निधि से भुगतान किया जाता है।

3. प्रतिनियुक्ति स्टाफ की हितकारी निधि/समूह बीमा निगम के मामले

दि.वि.प्रा. स्टाफ के दिल्ली नगर निगम/जे.जे. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में हितकारी निधि/समूह बीमा योजना/ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी इत्यादि के मामलों की भी समूह बीमा योजना शाखा में जांच की जाती है एवं भुगतान समूह बीमा योजना शाखा द्वारा किया जाता है।

2003-2004 के दौरान इस शाखा में अनेक मामले प्राप्त किये गये और बीमा कम्पनी द्वारा उनको निपटाया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	अवधि के दौरान प्राप्त मामले की सं.		बीमा निगम द्वारा निपटाए गए मामलों की सं.		टिप्पणी
	सा.बी. यो.	पी.ए. आई.पी.	सा.बी. यो.	पी.ए. आई.पी.	
2003-2004	186	12	155	10	सा.बी.यो. के 31 और पी.ए.आई.पी. के 2 मामलों पर कार्रवाई चल रही है

जहाँ तक हितकारी निधि का संबंध है, दिनांक 1.4.2002 से मृत्यु के मामले में 50,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से 32/- रुपये की एक समान दर से वसूली की जाती है। वर्ष 2002-03 में किये गये 0.60 करोड़ के भुगतान की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान 29.2.04 तक मृतक कर्मचारियों के कानूनी वारिस को हितकारी निधि के भुगतान के रूप में 0.83 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

15.7 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान भूमि और आवास के विकास के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं के व्यापक परियोजना अनुमोदन के बाद 276.45 करोड़ रु. के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की गई। इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने के परिणामस्वरूप 81.67 लाख रु. की बचत की गई।

(ख) प्रारम्भिक अनुमान

प्रशासनिक अनुमोदन एवं अनुमान संस्वीकृति प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया जाता है, जो कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व-अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रारम्भिक अनुमान को प्रस्तुत करने से पूर्व इसे वित्त सदस्य के पास वित्तीय सहमति के लिए भेजा जाता है।

वित्तीय सहमति प्राप्त होने के पश्चात प्रारम्भिक अनुमान को पी.ए. सी. के समक्ष प्रशासनिक अनुमोदन एवं अनुमान संस्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जाता है, जिसके प्रमुख उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग विंग से प्राप्त 109 प्रारम्भिक अनुमानों की जाँच की गई और वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. द्वारा वित्तीय सहमति दी गई। संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	अवधि	प्रारम्भिक अनुमानों की संख्या	राशि (करोड़ों में)
1.	2001-2002	58	730.88 रु.
2.	2002-2003	30	203.31 रु.
3.	2003-2004	40	276.45 रु.

15.8 दि.वि.प्रा. में वेतन-पत्रक पैकेज का विकास

दि.वि.प्रा. के लिए एक वेतन-पत्रक पैकेज का विकास किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल्स शामिल हैं:-

1. वेतन बिल रजिस्टर तैयार करना।
2. आयकर का परिकलन एवं फार्म नं 16 जारी करना ।
3. वार्षिक खाता स्लिप जारी करने सहित सामान्य भविष्य निधि खाता तैयार करना
4. पेंशन और उपदान का परिकलन।
5. विभिन्न अग्रिम राशियों और वसूलियों के लिए रिकार्ड का रख-रखाव।
6. वेतन की बकाया राशि का परिकलन।
7. लेखा परीक्षा ट्रायल सहित पुराने आंकड़ों का रखरखाव।

मॉड्यूल वार जांच एवं प्रलेखन पूरे किये जा चुके हैं और दि. वि.प्रा. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए पे-रोल पैकेज को क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

15.9 वित्त वर्ष 2002-03 के लिए दि.वि.प्रा. की आयकर रिटर्न दर्ज करना

वित्त अधिनियम 2002 द्वारा किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2002-03 से सभी आवास विकास प्राधिकरण/बोर्ड आयकर अधिनियम 1961 की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर की विभिन्न किश्तों की देयता 15 सितम्बर, 2003 दिसम्बर, 2003 और मार्च, 2004 तक निकाली गई। वित्तीय वर्ष 2002-03 की आयकर रिटर्न भी निर्धारित तिथि तक दर्ज कर दी गई थी।



प्राप्तियाँ

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मदों का विवरण	वास्तविक आंकड़े 2002-2003	संशोधित अनुमान 2003-2004	वास्तविक आंकड़े 2003-04
	प्रारम्भिक नगद शेष	76.27	131.94	131.94
1.	क्षतिपूर्ति सहित निर्माण कार्य और विकास योजनाओं से राजस्व/पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.73	90.12	79.37
2.	किराया खरीद योजना के अंतर्गत आवासों और दुकानों के निपटान से प्राप्तियाँ	244.39	457.25	342.04
3.	भूमि के निपटान से प्राप्तियाँ	431.00	2756.09	2225.79
4.	ब्याज (सामान्य, पेंशन, सा.भ.निधि खेल ई.डब्ल्यू.एस. एवं शहरी विरासत निवेश सहित)	159.63	105.55	112.39
5.	अन्य प्राप्तियाँ	342.97	101.81	187.38
6.	प्लान स्कीमें और निक्षेप कार्य	23.34	59.79	5.72
7.	केन्द्र सरकार से अनुदान	—	—	—
8.	सा.भ.निधि/सा.बी. योजना/पी.ए.आई.पी.	97.93	85.70	107.59
9.	ऋण और डिबेंचर	—	—	—
10.	जमा और अग्रिम:			
	क) निवेश का नकदीकरण	1485.99	2000.60	1082.67
	ख) आवर्ती निधि	490.79	1077.97	386.32
	ग) व्यक्तिगत बही खाता	1111.78	1300.00	570.85
	घ) रक्षित निधि	14.73	13.75	16.76
	ङ) अन्य उचंत जमा और अग्रिम	1902.67	1530.36	3237.90
	कुल	6383.22	9710.33	8486.72



भुगतान

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मदों का विवरण	वास्तविक आंकड़े 2002-2003	संशोधित अनुमान 2003-2004	वास्तविक आंकड़े 2003-2004
1.	विकास योजनाओं, मुख्य योजना को प्रभारित शेयर लागत सहित प्रशासनिक लागत-प्रशासन लागत घटाएं	157.15	204.68	185.70
2.	भूमि के विकास आदि पर व्यय आवर्ती निधि से वित्त	433.01	477.97	391.70
3.	निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं पर व्यय	51.49	75.33	51.74
4.	भूमि अधिग्रहण, बढ़ाया गया मुआवजा	442.53	500.00	219.35
5.	आवासों/दुकानों का निर्माण	292.36	448.95	335.62
6.	ऋण, सा.भ.निधि पर ब्याज का भुगतान और अग्रिम जमा	22.51	19.68	21.36
7.	प्लान स्कीम निक्षेप निर्माण-कार्य	43.14	59.79	54.93
8.	अन्य व्यय	0.70	32.06	0.47
9.	ऋण का भुगतान	-	-	-
10.	सा.भ.निधि सा. बीमा योजना, पी.ए.आई.पी.	48.87	56.72	57.77
11.	जमा और अग्रिम			
	क) सा.भ.निधि निवेश, पेंशन निधि, सामान्य निवेश खेल सहित	1341.16	1646.00	2341.08
	ख) ऋणमोचन का प्रावधान	-	-	-
	ग) आवर्ती निधि को भुगतान की गई राशि	490.79	2824.81	386.32
	घ) रक्षित निधि	10.43	13.10	14.31
	ङ) व्यक्तिगत बही खाता	1089.34	1100.00	1087.75
	च) अन्य उचित एवं अग्रिम	1827.80	1863.07	3212.01
	अन्तिम शेष	131.94	388.17	126.61
	कुल	6383.22	9710.33	8486.72

